लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated..18/X/75..

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४--अंक ३१ से ४०--२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१--शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३२५१

सभा का कार्य ३२५१-५२

अनुदानों की मांगें . ३२५२--३३३२

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२५१--७९

शिक्षा मंत्रालय . . ३२८०--३३३२

दैनिक संक्षेपिका ३३३३

अंक ३२--सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३ . . . . ३३३५--३३५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से ११११३ . . . . . ३३५८--६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५ . . . . ३३६८--३४०२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३४०२--०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३४०५--०७

(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश . ३४०५-०६

(२) डकोटा विमान का गिरना ३४०६-०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३४०७--०९

तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर में शुद्धि . . ३४०९

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य . ३४०९

अनुदानों की मांगें ३४०९--५४

शिक्षा मंत्रालय ३४०९--१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९

प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९

स्थगन प्रस्ताव—

अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२

२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . . ३५३२—३३

३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३५३३—८०

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८

विधि मंत्रालय . . . . . ३५४८—७०

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११६५ . . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १६६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—६२

उतर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७६३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७६५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७६५—६६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७६६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७६६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८४४—४६

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४, १२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३८९८—९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९००

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय ४०३६-४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्‌गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४-७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५-७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—८७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२—२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उतर वाले प्रश्द में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २८ मई, १९६२

७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड

\+

†*१०७०. { **श्री सुबोध हंसदा :** / **श्री स० चं० सामन्त :** }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप, लिमिटेड के उत्पादन में विविधिता लाने या उसे आधुनिक बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी फर्मों के साथ सहयोग की कोई योजना है ; और

(ग) यह सहयोग संभवतः किसके साथ होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) :** (क) वर्कशाप का स्वरूप नहीं बदला गया है और न ही ऐसी कोई योजना है लेकिन यह अच्छी हालत में रखा गया है। आवश्यकता के अनुसार और जो भी संभव था, साज-सामान जोड़ दिया गया है।

(ख) जी नहीं, उसे आधुनिक बनाने के लिये नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि जबसे उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, वह घाटे पर चल रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** वह एक दूसरा सवाल है। वह घाटे पर नहीं चल रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

1145(Ai) LSD—1.

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि वह अच्छी हालत में रखा गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि अच्छी हालत का क्या मतलब है ? उसे अच्छी हालत में रखने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बता दिया गया है कि वह अच्छी हालत में रखा गया है। मतलब शायद हम शब्दकोष से जान सकते हैं।

†श्री भगवत झा आजाद : क्या सरकारी स्वामित्व के अधीन भी कम्पनी के रूप में प्रबन्ध अभी भी जारी रहेगा और यदि हां, तो उससे क्या लाभ होगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : कम्पनी के सभी शेअर राष्ट्रपति के पास हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

स्टैन्डर्ड वैक्यूअम ऑयल कम्पनी

+

†*१०७२. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि मेसर्स स्टैंडर्ड वैक्यूअम ऑयल कम्पनी आफ इंडिया का नाम बदलकर अब एस्सो स्टन्डर्ड (ईस्टर्न) इन्क रखा गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस देश के सम्बन्ध में अभी तक इसके वित्तीय परिणामों का पूरी तरह से अनुमान लगा लिया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक कि अभी मालूम है, नाम बदलने के कोई वित्तीय परिणाम नहीं हैं।

†श्री वारियर : क्या सरकार को कम्पनी से इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि वह नाम किन कारणों से बदला जा रहा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं। यह उनका काम है। भारत में स्टैन्डर्ड वैक्यूअम ऑयल कम्पनी का वह हिस्सा दूसरे साझीदार एस्सो ने ले लिया है। उनके व्यापार का वह हिस्सा एस्सो के आस पास गया है।

†श्री वारियर : क्या इस नयी कम्पनी से सरकार को ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि वह नयी कम्पनी वे सभी करार मानेगी जो स्टैन्डर्ड वैक्यूअम कम्पनी ने भारत सरकार के साथ किये थे ?

†श्री के० दे० मालवीय : अवश्य ही, यही समझौता है।

†श्री वासुदेवन नायर : क्या पुरानी कम्पनी में कर्मचारियों के काम करने की दशाएं और दूसरी सुविधाएं इस नयी कम्पनी में भी उसी प्रकार कायम रहेंगी या कर्मचारियों के लिये कोई खतरा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं। वही स्थिति कायम रहेगी। नौकरी की शर्तों में या और किसी दूसरी तरह भी प्रायः कोई रद्दोबदल नहीं होगा।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि एस्सो ने सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है कि पुराने करार की जगह पर उद्योग अधिनियम के अधीन एक नया लाइसेंस उसे दिया जाये और यदि हां, तो सरकार की क्या राय है ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वारियर : क्या सरकार को मालूम है कि नाम बदल देने के बाद वह कम्पनी वितरण अनुभाग के अनेक आपरेटरों तथा दूसरे अनुभागों के कर्मचारियों की छंटनी कर रही है और वह ऐसा क्यों कर रही है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ?

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि एस्सो ने एक ल्यूब्रिकेटिंग प्लांट और नेफ्था कोकिंग प्लांट चालू करने की कोई योजना सरकार के सामने रखी है और पश्चिम बंगाल को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में खोजबीन के लिये लाइसेंस मांगा है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल एक कम्पनी के नाम बदलने और उसके वित्तीय परिणामों के सम्बन्ध में है। अगला प्रश्न।

प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन

†*१०७४. श्री श्रीनारायण दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई रिपोर्ट पेश की गयी है ; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री श्रीनारायण दास : इस अध्ययन दल ने कौन सी खास खास बातें अध्ययन के लिये सामने रखीं हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जानकारी अनुसूची में मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षक होंगे :— विधान, प्राथमिक शिक्षा के संचालन के लिये राज्यों के संगठन, प्राथमिक शिक्षा के संचालन से सम्बद्ध अन्य निकाय, गैर-सरकारी स्कूल (वित्त), लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण, अनिवार्य शिक्षा आदि। ये ही मुख्य शीर्षक हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या राज्य सरकारें अध्ययन दल से किसी प्रकार सम्बद्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मद्रास को छोड़ कर अन्य राज्यों और त्रिपुरा को छोड़ कर संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखे गये हैं और उनसे जानकारी इकट्ठी की गई है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष दूसरे 'ईअर-बुक' में जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है, प्रकाशित की जायगी।

†श्री श्रीनारायण दास : इस अध्ययन दल को कपनी रिपोर्ट पेश करने मे और कितना समय लगेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे आशा है कि इस वर्ष के दौरान 'ईअर-बुक' प्रकाशित कर दी जायगी।

छोटे उद्योगों के लिए लोहा और इस्पात

†*१०७५. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों के उद्योगपतियों की लोहे और इस्पात सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या पहली प्राथमिकता के आधार पर जो कोटा छोटे उद्योगों के उद्योगपतियों को दिया जाता है उसका केवल एक तिहाई हिस्सा ही उन्हें वास्तव में मिल पाता है और बाकी कोटा उन्हें कभी नहीं मिलता ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तो इस बात पर निर्भर है कि मांगा गया माल कितना उपलब्ध है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि कई श्रेणियों के सम्बन्ध में नियंत्रण उठा लिया गया है और वह वस्तुएं काफी परिमाण में उपलब्ध हैं। कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में कमी अवश्य रहेगी।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : कौन-कौन सी विशिष्ट श्रेणियों की सप्लाई कम है और उनकी सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ श्रेणियों के चद्दरों और तारों की सप्लाई कम और इन श्रेणियों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिये हर कोशिश की जा रही है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह कमी कितनी है जो देशी उत्पादन से पूरी नहीं की जा सकती क्या वह चीजें आयात करने की कोई कोशिश की जा रही है ताकि छोटे उद्योग चाहते रहे ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में और अनेक इस्पात कारखानों में विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन के बारे में हैं। मेरा सुझाव है कि इसके लिये अलग प्रश्न पूछा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या आवश्यक इस्पात की वस्तुएं विदेशों से मंगाने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों ने वर्ष, १९६१–६२ में उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा का, जिसका विवरण में उल्लेख भी है, पूरा-पूरा उपयोग किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस्पात की कुछ वस्तुएं मंगाने के लिये वह रकम नियत की गई है और उसका उपयोग किया गया है।

†**श्री त्यागी** : क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जहां कोटा पाने वाले लोगों ने अपना कोटा खुद इस्तेमाल करने के बजाय उसे काला बाजार में बेच दिया था और यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून पास करने जा रही है जिससे इस तरह की प्रथाएं अवैध घोषित की जा सकें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अब भी इन लोगों को दंड देने के लिये कानून है और यदि इस दुरुपयोग का पता लगाया जाये, तो अभी भी कार्यवाही की जा सकती है।

†**श्री शयाम लाल सर्राफ** : कुछ समय पहले अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर यह निश्चय किया था कि सप्लाई डीपो खोले जायें ताकि छोटे उद्योग नजदीकी जगहों पर अपना अपना कोटा ले सकें। क्या ये डीपो अब खोले जा चुके हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे उस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये।

शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रदेशिक भाषाएं

†*१०७७. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से राष्ट्र के भावनात्मक एकीकरण में रुकावट पैदा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा संस्थाओं को तीन भाषा वाला सूत्र जो अभी हाल में राष्ट्रीय एकीकरण उम्मेलन ने प्रस्तुत किया है, कार्यान्वित करने की सलाह दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से उसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि :

> "किस भी दशा में स्कूलों और कालेजों में हिन्दी और अंग्रेजी की पढ़ाई के स्तर में सुधार किया जाना चाहिये और उसका स्तर ऊंचा रखा जाना चाहिये।"

क्या सभा इसका यह मतलब समझे कि अभी हाल के वर्षों में स्कूलों और कालेजों में अंग्रेजी और हिन्दी की पढ़ाई का स्तर काफी गिर गया है और वह गिरता जा रहा है और यदि हां, तो उसे ऊंचा उठाने के लिये क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : वह स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार सदा ही चिन्तित रहती है। हम आदर्श स्तर तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। उसमें बराबर सुधार जारी रहना चाहिये।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या वह स्तर गिर गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं मानता हूं कि अंग्रेजी का स्तर गिर गया है। हिन्दी के मामले में, उसके स्तर में कोई बहुत अधिक गिरावट नहीं है और इसलिये वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अंग्रेजी का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं।

†श्री जसवन्त मेहता : क्या विवरण में बतायी गई नीति सभी राज्यों द्वारा एक ही तरह से कार्यान्वित की गई है और इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमने सभी राज्यों से जानकारी इकट्ठी कर ली है और प्रायः अधिकतर राज्यों ने यह नीति स्वीकार कर ली है। यह कार्यान्वित की जा रही है। प्रगति के बारे में सदस्यों को जानकारी देने वाले विवरण मैं बराबर सभा पटल पर रखता रहूंगा।

श्री सरजू पाण्डेय : इस स्टेटमेंट को देखने से यह मालूम होता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में यूनिवर्सिटी की शिक्षा देना अब सम्भव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विचारधारा को छोड़ दिया है, या वह पुनः इस बारे में विचार करेगी।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि हमारा अन्तिम ध्येय यही है कि क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा शिक्षा हो, क्षेत्रीय भाषायें और हिन्दी शिक्षा का माध्यम हों। लेकिन इस स्टेटमेंट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि प्रान्तीय भाषाओं के बीच में जो एक कड़ी है, वह कड़ी नहीं टूटनी चाहिये——वह बराबर कायम रहनी चाहिये। इस लिये स्टेटमेंट में इस बात पर खास तौर से तवज्जह दी गई है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक तथा दूसरी पाठ्यपुस्तकों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये कोई कदम उठाया गया है और यदि हां, तो क्या ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, कई कदम उठाये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि कई राज्यों में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की सहायता से समन्वय समितियां कायम की गई हैं और भारत सरकार वैज्ञानिक तथा प्रविधिक पुस्तकों के अनुवाद के लिये शत प्रतिशत सहायता दे रही है। हमने उन सरकारों को यह भी बताया है कि वे मुनाफा अपने पास रख सकती हैं ताकि वे उस रकम को और आगे अनुवाद के काम में लगा सकें जिससे कि यह काम बराबर चलता रहे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अगस्त, १९६१ में मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उस के सम्बन्ध में सदन-पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अवधि निर्धारित की गई है और क्या विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उस अवधि में इस पर पूरी तरह से अमल हो जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे ख़याल से ऐसे मामलों में कोई निश्चित तारीख या अवधि नहीं निश्चित की जा सकती है। इन प्रश्नों के कई पहलू हैं। यह तो धीरे धीरे हो सकता है। जब माननीय सदस्य उस स्टटमेंट को देखेंगे, जो कि मैं टेबल पर रख रहा हूं, तो उनको पता चलेगा कि इस दृष्टि से काफ़ी प्रगति हुई है। कई ऐसे राज्य हैं, जहां तीन भाषाये पढ़ाई जा रही हैं। कुछ राज्य हैं, जहां थोड़ी बहुत हेर-फेर है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने सिद्धान्ततः इस बात को मान लिया है और वे इस को कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री बड़े : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में साइंटिफ़िक और टेक्निकल वर्ड्ज के विषय में एकसूत्रता न होने से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिये ग्वालियर में "आक्सीज़न" कहते हैं और इन्दौर में "प्राण-वायु"। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साइंटिफ़िक और टैक्निकल वर्ड्ज की कोई डिक्शनरी बनाई गई है।

डा० का०ला० श्रीमाली : मुझे यह बताते हुए खुशी है कि डिक्शनरी अभी हाल में छप चुकी है और उस के दो वाल्यूम्ज़ निकल चुके हैं। जितने साइंटिफिक और टैक्निकल वर्ड्ज़ हैं, उन की परिभाषा हो चुकी है। अभी हाल में शिमला में इस बारे में एक सेमिनार होने जा रहा है, जहां प्रान्तीय क्षेत्रों से कई विद्वान लोग आ रहे हैं। जो साइंटिफिक कमीशन बैठा है, वह उसे एक बार फिर देख लेंगे। यह आशा की जाती है—और राज्यों से हम ने यह निवेदन भी किया है—कि जो अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द हैं, उन में हेर-फेर न हो और सभी भाषायें और सब राज्य एक ही शब्द स्वीकार करें। मैं आशा करता हूं कि यह बात सब राज्यों और सब प्रान्तीय भाषाओं को स्वीकार होगी।

जम्मू तथा काश्मीर से लोक सभा के सदस्य

+

*१०७८. { **श्री अब्दुल गनी गोनी** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पु० रा० पटेल :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से हाल में मांग की गई है कि जम्मू और काश्मीर से लोक-सभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) कुछ क्षेत्रों से इस तरह की मांग की गई है।

(ख) अन्य राज्यों की भांति जम्मू और काश्मीर से लोक सभा के सदस्यों को चुनने में संविधान की धारा ८१ में जो जम्मू और काश्मीर में लागू होती है संशोधन करना होगा। इसके लिये जम्मू और काश्मीर सरकार की सम्मति की आवश्यकता है। हाल में जम्मू और काश्मीर के प्रधान मंत्री ने विधान सभा में कहा कि भविष्य में लोक सभा में इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का अन्य राज्यों की तरह सीधा चुनाव हुआ करेगा। इस उद्देश्य से अभी राज्य सरकार ने यथारीति कोई सुझाव नहीं दिया है। ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर यथाशीघ्र मामले पर कार्यवाही की जायगी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अब्दुल गनी गोनी :** क्या १९६७ के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे उसका उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री पु० र० पटेल :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री ने अपनी राय जाहिर की है, इस मामले में भारत सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री दातार :** ज्यों ही अभ्यावेदन प्राप्त होगा सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

†**श्री त्यागी :** मुझे ताज्जुब है कि भारत सरकार काश्मीर से अभ्यावेदन की क्यों प्रतीक्षा कर रही है। वह स्वतः ही इस मामले में क्यों नहीं कदम उठाती ?

†**श्री दातार :** संविधान के अधीन जो उपबन्ध बनाया गया है उसमें यदि कोई संशोधन करना हो तो यही उचित है कि उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** सरकार ने इस सभा में जो वक्तव्य दिया है उसे ध्यान में रखते हुए क्या जम्मू और काश्मीर सरकार को इस बारे में याद दिलायी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य वह बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। उनका पत्र भी उतना ही महत्व रखता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद ३७० को रद्द कर के पूरा संविधान जम्मू और काश्मीर पर लागू दिया जाये ताकि उसे अन्य राज्यों के बराबरी पर लाया जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक अधिक विस्तृत प्रश्न है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने बताया है कि वे राज्य से भी सलाह मशविरा करेंगे। संपूर्ण संविधान लागू करने का प्रश्न इससे अधिक व्यापक प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** राज्य सरकार से अभ्यावेदन मिलने के बाद केन्द्रीय सरकार की क्या राय है, क्या वह प्रत्यक्ष -निर्वाचनों के पक्ष में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** केन्द्रीय सरकार पूर्णरूप से उसके पक्ष में है। अभी हाल में, बख्शी गुलाम मुहम्मद द्वारा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त किये जाने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया था अगला चुनाव पांच साल बाद होगा। इस अवधि में, प्रक्रिया के अनुसार हमें उनकी सम्मति मिलने की आशा है और तब हम इस मामले में औपचारिक रूप से कार्यवाही करेंगे।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या इस सभा में अधिकृत काश्मीर के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोई योजना सरकार के सामने है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल :** क्या मैं यह समझूं कि छः सीटों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के समय जम्मू और काश्मीर को दिया गया महत्व संविधान के अनुसार कम कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह नीति विषयक इतना व्यापक प्रश्न है कि अभी इसकी चर्चा नहीं की जा सकती ।

†श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि वह अगले पांच वर्षों में हो सकता है। यह क्यों मान लिया जाये कि उससे पहले निर्वाचन नहीं होंगे ? जब जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार और प्रधान मंत्री ने संविधान में संशोधन करना और प्रत्यक्ष निर्वाचन करना मंजूर कर लिया है तब सरकार उससे औपचारिक रूप से प्रार्थना क्यों नहीं करती ताकि संशोधन एक साल के अन्दर ही किया जा सके ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को आशंका है कि संसद् शीघ्र ही विघटित हो जायेगी और इसलिए वे चाहते हैं कि शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं नहीं समझता कि उन्हें ऐसी कोई आशंका होनी चाहिये ।

त्रिपुरा में रहन सहन के खर्च का देशनांक

†*१०७६. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रहन सहन के खर्च का देशनांक बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) यह वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]

†श्री दशरथ देव : क्या चावल और धान के अतिरिक्त अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए राज्य को कोई राज सहायता दी जा रही है ?

†श्री दातार : मेरे विवरण से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । सरकार कुछ थोड़ी मात्रा में गल्ले का आयात करती है । सरकार गैर-सरकारी व्यापारियों को सहायता प्राप्त दरों पर खरीदने और सहायता प्राप्त दरों पर बेचने की अनुमति देती है ।

†श्री दशरथ देव : चावल और धान के अलावा क्या अत्यावश्यक चीजें उठाने के लिए कोई राज सहायता दी गयी थी ?

†श्री दातार : जैसा कि मैंने बताया, सरकार का उद्देश्य यह है कि अनाज उचित दरों पर मिले । उन दरों को नियंत्रित किया गया है और हमने गैर-सरकारी व्यापारियों को सहायता प्राप्त दरों पर अनाज खरीदने और बेचने की अनुमति दी है ।

†श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि सरकार अक्सर कलकत्ते से अगरतला तक अत्यावश्यक चीजें ले जाने के लिए व्यापारियों को परमिट जारी करने में देर लगा देती है और व्यापारी उससे लाभ उठाते हैं और बनावटी कमी पैदा करते हैं और इस तरह अगरतला में भाव बढ़ते जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : ऐसा कोई डर नहीं है क्योंकि सरकार खुद ही कई दूकानें चलाती है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कोई डर हो तो माननीय सदस्य मंत्री महोदय के साथ अलग से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहते हों ।

†श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि वहां की रेलवे आउटएजेंसी कलकत्ते से अगरतला माल ले जाने के लिए अगरतला के छोटे व्यापारियों का आर्डर लेने से इंकार कर देती है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय रेलवे आउटएजेंसी के बारे में जवाब दे सकेंगे ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : हमें जो कुछ भी दिया जाता है, हम उसे ले लेते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त दर्शन ।

†श्री भक्त दर्शन : प्रश्न संख्या १०८० ।

†श्री अ० व० राघवन : प्रश्न संख्या १०८५ भी इसी के साथ लिया जा सकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो तो वह उसे भी ले सकते हैं । दोनों का उत्तर दिया जा सकता है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सैनिक नाविक तथा वैमनानिक बोर्ड

\+
*१०८०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों और उनके कर्मचारियों को स्थायी करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में अन्तिम निश्चय करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) : अभी भी तफसील सरकार के विचाराधीन है ।

जिला सैनिक नाविक और वैमानिक बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन

†*१०८५. श्री अ० व० राघवन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों तथा जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन योजना के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्तमान सेवा शर्तों के अन्तर्गत उपरोक्त कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने पर क्या लाभ पाने के अधिकारी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) : (क) इन बोर्डों के कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ? फिर भी इन संगठनों को राज्य सरकारों के अधीन स्थायी बनाने का विचार है।

(ख) राज्य बोर्डों के कर्मचारी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सेवा निवृत्ति के ऐसे लाभ पाने के अधिकारी हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों में उपबन्धित हों। जिला बोर्डों के कर्मचारी, पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद, सेवा निवृत्ति पाने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर उपदान पाने के अधिकारी हैं और यह उपदान अधिकतम नौ महीने के वेतन के बराबर हो सकता है।

†श्री भक्त दर्शन : इस अत्यधिक उचित मांग को स्वीकार करने में क्या बाधा है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): कोई अड़चन नहीं है। दो मामले हैं, एक राज्य बोर्डों का है और दूसरा जिला बोर्डों का। राज्य बोर्ड राज्य के संगठन हैं और हम उन्हें केवल सलाह दे सकते हैं। जिला बोर्ड भारत सरकार के अधीन है, परन्तु इन व्यक्तियों की भर्ती सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध साधारण सुविधाएं दिये बिना की जाती है। पर्याप्त पत्र-व्यवहार के बाद हम इस अवस्था में आये हैं जहां हम इस प्रश्न को कुछ संतोषजनक ढंग से सुलझा सकते हैं। हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिला बोर्ड के अधिकारियों में अनेक परिवर्तन करने चाहियें जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसमें हमें राज्य सरकारों की अनुमति अवश्य लेनी चाहिये।

†श्री भक्त दर्शन : अधिक से अधिक कब तक अन्तिम और अनुकूल निश्चय होगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : माननीय सदस्य के अनुकूल निश्चय होना कठिन है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों के सारे लाभ और सुविधायें चाहते हैं।

†श्री हेम राज : यह कब तक निश्चत हो जायेगा और किसको और सेवा की कितनी अवधि के लिये इन कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही विचार किया जा सकता है और निश्चय भी हो गया है। इसकी घोषणा यहां अवश्य हुई होगी। यह विचाराधीन है।

†श्री हेम राज : मेरा प्रश्न था कि इन बोर्डों के किन कर्मचारियों को पेंशन के अधिकार दिये जायेंगे ?

†श्री कृष्ण मेनन : पिछली बार यह मामला सभा में मार्च के अन्त में उठाया गया था और अब मई के अन्त में लगभग अन्तिम रूप लेने वाला है। सरकारी प्रक्रिया की दृष्टि से यह प्रगति बहुत धीमी नहीं है जब कि हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है, अन्य कर्मचारियों के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के साथ परिणामों पर परामर्श करना पड़ता है और हमें महा सहायक की शाखा तक जाना होता है। मेरा ख्याल है कि इसका निश्चय आगामी दो सप्ताह में हो जायेगा।

†श्री अ० व० राघवन : इस बात का ध्यान रखकर कि यह विभाग १९१९ में खोला गया था, मैं जानना चाहता हूं कि इसे वर्ष १९६२ तक स्थायी क्यों नहीं बनाया गया ?

†श्री कृष्ण मेनन : शायद सरकार के कुछ विभाग १९१९ से भी पहिले आरम्भ हुए थे और अभी तक अस्थायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : यह कोई कारण नहीं है।

†श्री कृष्ण मेनन : यह कोई कारण नहीं है परन्तु यह इसका औचित्य तो है।

श्री ब्र० बि० मेहरोत्रा : जो सिविलियन इन बोर्डज में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात भी क्या सरकार सोच रही है ?

†श्री कृष्ण मेनन : वे सभी असैनिक हैं। प्राथमिकता भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है। यह सेना संगठन नहीं है। पिछले प्रश्न का उत्तर यह था कि वे साधारणतया अस्थायी मजदूर के रूप में नियुक्त किया जाता है। परन्तु एक बार नियुक्त होने पर वे स्वाभाविक है कि अधिक अधिकारों की मांग करते हैं और हम उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री जी ने कहा था कि जिला बोर्डों के कर्मचारियों को सेवा प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये १५ दिन के वेतन के आधार पर उपदान दिया जायेगा और यह राशि अधिकतम नौ महीनों के वेतन के बराबर हो सकती है। अब उपदान की राशि की मात्रा अन्य विभागों में ६ महीनों के वेतन से बढ़ाकर १५ महीने का वेतन कर दिया गया है। क्या जिला बोर्डों के कर्मचारियों के बारे में इस वृद्धि पर विचार किया जायेगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : अभी ऐसा नहीं किया जा सकता। काफी लम्बे समय तक पत्र-व्यवहार करने के फलस्वरूप यह वृद्धि प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह नियमित सरकारी कर्मचारियों के बारे में है। वे नियमित सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बीच में है।

†श्री अ० व० राघवन : क्या वर्ष १९५९ में नई दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों की एक कान्फ्रेंस हुई थी जिसमें श्री रघुरामैया ने घोषणा की थी कि विभाग स्थायी बना दिया जायेगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं नहीं समझता कि श्री रघुरामैया ने ऐसी कोई बात कही थी। संभव है कि कान्फ्रेंस में यह कहा हो कि हम स्थितियों में सुधार करने लिये अपनी शक्ति के अनुसार भरसक प्रयत्न करेंगे। बस।

तेल की पाइप लाइन

†*१०८१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और गैस के लिये पाइप लाइनें बनाने की क्या योजना है और इससे रेलों को परिवहन के लिये कितनी राहत मिलेगी; और

(ख) इसका क्रमबद्ध प्रोग्राम क्या है ?

†खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मया) : (क) निम्न प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं :

(१) शुरू में १५ लाख टन सफेद उत्पाद ले जाने के लिये एक उत्पाद पाइप लाइन कलकत्ता-बेरोनी-दिल्ली।

(२) एक उत्पाद पाइप लाइन गौहाटी-सिंगरेनी, शुरू में लगभग ५००,००० टन सफेद उत्पाद ले जाने के लिये :

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) शुरू में लगभग ६००,००० टन उत्पाद प्रति वर्ष ले जाने के लिये प्रस्तावित गुजरात तेल शोधक कारखाने में अहमदाबाद तक एक उत्पाद पाइप लाइन।

(४) शुरू में प्रत्येक में लगभग १० लाख टन प्रति वर्ष ले जाने के लिये अंकलेश्वर और कालोल तेल क्षेत्र से गुजरात तेल शोधक कारखाने के स्थान तक दो कच्चे तेल की पाइप लाइनें।

(५) तीन गैस लाइनें अर्थात् शुरू में लगभग १० लाख घन मीटर गैस प्रतिदिन ले जाने के लिये अंकलेश्वर-उतरन, खम्भात-धुवरन और कालोल-अहमदाबाद।

इन योजनाओं के प्रवधिक, आर्थिक और अन्य पहलुओं का, जिनका रेल परिवहन से संबंध है तथा परिणाम स्वरूप रेलवे को जो सहायता दी जायेगी उससे संबंध है, अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) इस समय इन परियोजनाओं की कार्यान्विति का कार्यक्रम बताना कठिन है, किन्तु उद्देश्य अब से १२ से ३० महीने तक उन योजनाओं को जो अन्तिम रूप से आयोजित हो चुकी हैं, धीरे-धीरे पूरा करने का है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विविध कार्यक्रमों पर विचार किस स्तर पर किया जा रहा है? वित्तीय आय कितनी होगी, विशेषकर विदेशी मुद्रा की ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पाइप लाइन बिछाने की योजना में, उनमें से कुछ योजना की स्थिति में हैं और अन्यों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ कलकत्ता–बरौनी–दिल्ली उत्पाद पाइप लाइन परियोजना के संबंध में हमें संभवतः कुछ दिनों या कुछ सप्ताहों के अन्दर ई० एन० आई० से प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय प्राक्कलनों एवं देशीय और विदेशी मुद्रा के अंशों के ब्योरा के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कलकत्ता-बरौनी-दिल्ली उत्पाद पाइप लाइन के लिये हमें २२ करोड़ से २५ करोड़ रुपये तक धन लगाना पड़े।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या ये काम विदेशी फर्मों के सहयोग से किये जा रहे हैं और यदि हां, तो विदेशी फर्मों के साथ किस प्रकार के संविदा दिये जा रहे हैं ? उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं। य प्रायः सभी योजनाएं भारत सरकार द्वारा अपने सरकारी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा, इण्डियन आयल कम्पनी या इण्डियन रिफाइनरी समिति द्वारा यथास्थिति तथा गुजरात की ओर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की जायेगी। हम अपने लिये काम करने के लिये विदेशी ठेकेदारों को रखने का विचार करते हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : उत्तर से हमें पता चला है कि पाइप लाइन गुजरात में तेल क्षेत्रों से प्रस्तावित तेल शोधन कारखाना स्थान पर बिछाई जाएगी। क्या पाइप लाइन तेल क्षेत्रों से स्टैनवैक और बर्मा शैल के ट्राम्बे स्थित वर्तमान तेल शोधक कारखाने तक बिछाई जाएगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं। इस समय तो ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नाहर कटिया से गौहाटी के तेल शोधक कारखाने तक पाइप लाइन जो आयल इण्डिया समिति को दी गई थीं आखिरकार बी० ओ० सी० को उस कम्पनी द्वारा दे दी गई है, क्या अन्य पाइप लाइनों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : बी० ग्रो० सी० ने इस पाइप लाइन का निर्माण ग्रायल इण्डिया समिति से ठेकेदार के रूप में लिया है, ग्रौर उन्होंने यह काम उनकी ग्रोर से किया है ।

†श्री हेम बरुग्रा : मा० मन्त्री कहते हैं कि बी०ग्रो०सी० ने यह काम बतौर ठेकेदार ग्रायल इण्डिया समिति से लिया है । किन्तु दूसरी ग्रोर बी० ग्रो० सी० ने यह काम ग्रन्य लोगों को ठेके पर दे दिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हो सकता है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : मा० मन्त्री ने बताया है कि ३० महीनों में ४ या ५ पाइप लाइन पूरी की जा रही हैं । ग्रायल इण्डिया समिति को ग्रावश्यक पाइप देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : मेरे साथी ने बताया कि "परियोजना प्रतिवेदनों के तैयार होने के बाद तथा उसकी क्रियान्विति के ३० महीनों में ।" जहां तक योजना की क्रियान्विति का सम्बन्ध है हम सब को पाइपों की उपलब्धता की चिन्ता है ग्रौर हम उस प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं । हमें ग्राशा है कि इसका बहुत सा भाग सम्भवतया समस्त देश में ही उपलब्ध हो जायेगा ।

†श्री पु० र० पटेल : उत्तर में बताया गया है कि पाइप लाइन कालोल से बम्बई तक ग्रथवा ग्रंकलेश्वर से बम्बई तक डाली जायेगी जो इन स्थानों से बम्बई को तेल ले जायेगी ।

†एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

†श्री के० दे० मालवीय : सम्भवतया मेरे मित्र ने उत्तर ठीक नहीं सुना । यह कालोल से बम्बई नहीं ग्रपितु कालोल से ग्रहमदाबाद ग्रथवा कालोल से गुजरात के क्षेत्र तक डाली जायेगी ।

†श्री पु० र० पटेल : मेरा ग्राशय 'कच्चा तेल ले जाने से है ।'

†ग्रध्यक्ष महोदय : यदि यह ग्रहमदाबाद तक होगी तो माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाना चाहिए ।

†श्री पु० र० पटेल : कच्चा तेल ग्रंकलेश्वर से बम्बई तक ले जाना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र क्या चाहते हैं । ग्रंकलेश्वर तथा कालोल तेल क्षेत्रों से गुजरात शोधनशाला के स्थान तक कच्चे तेल के लिये ही पाइप लाइन है जो वार्षिक १० लाख टन ले जायेगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या योजना ग्रायोग ने इन परियोजनाग्रों पर विचार कर लिया है ? इन परियोजनाग्रों को पूरा करने के लिये मन्त्रालय को कितना धन दिया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इन योजनाग्रों को योजना ग्रायोग की पूर्ण स्वीकृति मिल गई है । ग्रथवा इनको मन्त्रालय किस प्रकार क्रियान्वित करता । हमें ग्राश्वासन मिल चुका है कि इन योजनाग्रों की क्रियान्विति के लिये सभी वित्तीय ग्रावश्यकतायें पूरी की जायेंगी ।

†श्री भागवत झा ग्राजाद : इस तथ्य के ग्राधार पर कि बिछाई जाने वाली पाइप लाइनों का काम ग्रनुसूची के ग्रनुसार नहीं हो रहा है मैं जानना चाहता हूं कि जो विभिन्न परियोजनायें चालू हैं उनके लिये क्या पाइप लाइनें ठीक समय पर उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम इनको समय पर पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प्र० के० देव : इन परियोजनाओं की पाइप लाइनों की पाइपों की आवश्यकता रूरकेला पाइप संयंत्र से पूरी की जायेगी अथवा आयात के द्वारा और यदि हां, तो किस देश से ?

†श्री के० दे० मालवीय : ऐसा ही इरादा है।

†श्री जसवंत मेहता : क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा अंकलेश्वर से बम्बई तक पाइप लाइन बिछाई जायेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने बताया कि इन प्रस्तावों का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। इन योजनाओं में यह शामिल नहीं है। इस समय गुजरात से बम्बई तक पाइप लाइन बिछाने की कोई योजना नहीं है।

अध्यापकों का वेतन

†*१०८३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अध्यापकगण अपने अल्प-वेतन के कारण अपना काम मन लगाकर करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में अध्यापकों ने हड़ताल की है या करने की धमकी दी है और यह मांग की है कि उनका न्यूनतम वेतन सौ रुपये प्रति मास कर दिया जाये ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अध्यापकों की समस्याओं की जांच पड़ताल करने के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने का है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार जानती है कि अध्यापकों के वेतन क्रम पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने एक वक्तव्य दिया था कि अध्यापक हमारी नयी धारा के संरक्षक हैं ? यदि हां, तो उनके हितों की हम कब तक उपेक्षा करते रहेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हम उनकी उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ? उनकी सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या दिल्ली में अनशन तथा अन्य इसी प्रकार के आन्दोलनों से हमें पर्याप्त सबक नहीं मिल जाता है कि हम तुरन्त प्रभावोत्पादक कार्यवाही करें ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि दिल्ली के अध्यापकों का अनशन अन्य कारणों से था तथा पारिश्रमिक बढ़वाने के लिये नहीं था क्योंकि दिल्ली के अध्यापकों के देश में अधिकतम वेतन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : महंगाई भत्ते को भी शामिल करते हुए ऐसे कौन से राज्य हैं जो इस न्यूनतम राशि से भी कम वेतन दे रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कौनसा न्यूनतम ?

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : प्रश्न में उल्लिखित १०० रुपये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्बन्ध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों ने मन्त्रालय के सुझाव के अनुसार ही वेतन क्रम न्यूनतम तो कर ही दिये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नहीं नहीं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सभा में यह बात बताता रहा हूं । माननीय सदस्य कहते हैं, नहीं । कृपा करके मेरी बात के विरोध में वह तथ्य बतायें अन्यथा मेरी बात मानें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जी हां । इस समय ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार जानती है कि विभिन्न राज्यों के प्राइमरी अध्यापकों के वेतन क्रम विभिन्न हैं ? इनको प्रत्येक राज्य में समान बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य की स्थिति भिन्न-भिन्न है । परन्तु वेतन तथा वेतन क्रम के सुधार करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं । गत कुछ महीनों में सुधार किये गये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अब से कुछ समय पूर्व, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने एक भाषण में गांधी मैदान में कहा था कि स्कूल के अध्यापकों को जितना वेतन दिया जाता है उससे कहीं अधिक कार्यालयों में काम करने वाले चपरासियों को दिया जाता है और इसीलिये अत्यन्त आवश्यक है कि इसमें सुधार होना चाहिये मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सदन को मालूम है कि इस मंत्रालय का बराबर यह प्रयत्न रहा है कि जो स्कूलों के अध्यापक हैं उनके वेतन बढ़ें । जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, इनकी तनखाहें काफी कम रही हैं, और जो कुछ भी अभी तरक्की हुई है उससे मंत्रालय को सन्तोष नहीं है । आपको यह भी मालूम है कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इसके लिये सहायता दी है, और दूसरी पंच-वर्षीय योजना में उनसे कहा गया था कि अगर वे अध्यापकों की तनखाहें बढ़ायेंगे तो ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार सहायता करेगी, और वह सहायता अब भी बराबर मिलती है । और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन पिछले वर्षों में इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि महंगाई का भत्ता जो अध्यापकों को और सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था उसमें फर्क था, उसको बराबर किया जाय । कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं । आपको मालूम है कि उड़ीसा में बड़ा फर्क था उसको बराबर किया गया और बिहार में भी कुछ तरक्की हुई है । इसी तरह से और अनेक राज्यों में तरक्की हुई है । लेकिन सही बात यह है कि अध्यापकों की तनखाहें इतनी कम रही हैं कि उनको उच्च स्तर पर चढ़ाने में थोड़ा सा समय तो लगेगा । लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मंत्रालय इस काम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य की सूचना सरकार को है कि वहां पर इस संबंध में प्राइमरी तथा सैकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों ने हड़ताल अथवा आंदोलन किया हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी जानकारी न रखना ही अच्छा है ।

†**श्री प्रभात कार** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अधिकांश राज्यों में अध्यापको के वेतन निर्धारित न्यूनतम कर दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसको अन्य किन राज्यों में अभी लागू नहीं किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे अलग सूचना चाहिये ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक योजना थी जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार को सहायता देती थी । क्या तीसरी योजना में भी ऐसी कोई योजना है और यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इस सहायता का लाभ उठा रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह योजना नहीं थी ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहा था ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : द्वितीय योजना में अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी गई थी । यह ५० प्रतिशत थी ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : तीसरी योजना में क्या किया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा योजना आयोग से बातचीत करने का विचार है । यदि वह इसको राज्य योजना में शामिल कर लेंगे तो सहायता दी जायेगी ।

कई माननीय सदस्य उठे---

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विवाद का उत्तर देंगे ।

लोहा और इस्पात के झूठे कोटाधारी

+

†*१०८४. { **श्री प० कुन्हन** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा व इस्पात के झूठे कोटाधारियों की बड़ी संख्या है और उनकी अपनी कोई फैब्रिकेटिंग फैक्टरी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, १९६१ से विशेषकर पंजाब में ऐसे कितने कोटाधारियों का पता लगा है ; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं। इस्पात सामग्री लेने के अभ्यंश प्रमाण-पत्र प्रवर्त्तक अधिकारी अर्थात्, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास कक्ष द्वारा बड़ी इकाइयो को और राज्यों की सरकारों के उद्योग निदेशकों द्वारा छोटी इकाइयों को दिये जाते हैं। इन अधिकारियो का उत्तरदायित्व होता है कि वे अभ्यंश के लिये प्राथियों की सत्यता का सत्यापन करें। अब तक राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुये हैं, उनसे पता चलता है कि अभ्यंश, इकाइयो की विद्यमानता तथा क्षमता दोनों के उचित सत्यापन के पश्चात् ही दिये जाते हैं। प्रत्येक राज्य में इस काम के लिये निरीक्षक कर्मचारी होते हैं। यह संभव है कि सब उपायों के बावजूद कोई इक्का दुक्का झूठा मामला कभी कभी आ जायें किन्तु ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

†**श्री वारियर** : क्या ऐसे मामले हुये हैं जहां लोगों को अभ्यंश दिये जाते हैं। वे स्टाक ले लेते हैं, किन्तु बाद में वह स्टाक चोर बाजारी में चला जाता है ? क्या ऐसे मामलों की सूचना मिली है ?

†**श्री सुब्रह्मण्यम्** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अभी तक मेरे पास ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं आई। किन्तु इस प्रश्न का विशिष्ट रूप से पंजाब से संबंध है और मेरे पास पंजाब से सूचना नहीं आई।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि दक्षिण का सदस्य बिल्कुल उत्तर के बारे में कूद पड़ा है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : एकीकरण।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या अभ्यंश देश में सहकारी अभिरणो या सहकारी संस्थाओं को दिया जाता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जो उद्योग चलाते हैं उनको यह अभ्यंश मिलता है इसलिय सहकारी संस्थाओं का प्रश्न यहां पैदा नहीं होता।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह जानने के लिय कोई जांच हुई थी कि क्या अभ्यंश प्राप्त करने के पश्चात् माल बनाया जाता है कि क्या फैक्टरियों ने अभ्यंश प्राप्त करने के पश्चात् माल तैयार किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां, एक निरीक्षण करने वाले लोग हैं और वे इस पहलू की देख भाल करते हैं। किन्तु मैं पहले बता चुका हूं, दुरुपयोग के भी कुछ मामले हो सकते हैं।

†**श्री वारियर** : मैं प्रश्न इसलिये नहीं पूछता कि यह केवल पंजाब की बात है, किन्तु इस्पात अभ्यंश सर्वत्र लागू होता है। अतः हमें पंजाब से शिक्षा लेनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा।

†**श्री वारियर** : क्या राज्यो से सरकार को कोई सूचना ऐसे मामलों की मिली है जहां यह स्टाक चोर बाजारी में जाता है, और उस कारण अभ्यंशधारी जनता को अच्छा माल नहीं बेचते ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह मेरा उत्तर था, राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुये हैं, उनसे पता चलता है कि अभ्यंश इकाइयों की विद्यमानता तथा क्षमता दोनों के उचित सत्यापन के पश्चात् ही दिये जाते हैं। और जहां तक अन्य राज्यों का विशेषकर पंजाब का संबंध है, मेरे पास सूचना नहीं आई है।

†श्री दाजी : मैं श्री पु० र० पटेल के प्रश्न को दोहराना चाहता हूं जिसका उचित रूप से उत्तर नहीं दिया गया। क्या यह सच है कि अभ्यंश से तैयार किये गये माल की मात्रा और किस्म की जांच करने वाले कोई सत्यापन कर्मचारी नहीं हैं और इस कारण चोर बाजारी होती है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरी सूचना यह है कि प्रत्येक राज्य में निरीक्षकों का जाल बिछा हुआ है। मैंने यही बताया है। और उनका कर्त्तव्य यह देखना है कि अभ्यंश उचित ढंग से दिये जाते हैं और उनका उचित उपयोग किया जाता है।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या राज्य सरकारों ने झूठे लोगों द्वारा अभ्यंश लिये जाने के बारे में और झूठे तरीकों में लोहे और इस्पात के उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है---जिसके बारे में बहुत बार अखबारों में समाचार आते रहते हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस प्रकार के प्रश्नों से सरकार को राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसाकि मैंने कहा पहले से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार को ऐसे किसी दुरुपयोग का पता नहीं लगा।

†श्री मोहसिन : क्या यह सामान्य अनुभव है कि बहुत से झूठे अभ्यंशधारियों को यह लोहा और इस्पात मिलता है और इसको ध्यान में रखते हुये, क्या यह मंत्रालय इन सब चीजों की जांच करने के लिये कोई शासनतंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

रूस से ए० एन० १२ विमानों और हेलीकाप्टरों की खरीद

+

†*१०८६. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस से कुछ और ए० एन० १२ भारी 'ट्रांसपोर्ट' विमान और हेलीकाप्टर खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो वे कब खरीदे जायेंगे ; और

(ग) कितने खरीदे जायेंगे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). यह मामला विचाराधीन है।

†श्री भागवत झा आजाद : यह मामला कब से विचाराधीन है और हम कब तक इस सौदे के अन्तिम रूप में तै होने की आशा कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृष्ण मेनन : जब तक सरकार निर्णय नहीं कर लेती यह विचाराधीन रहेगा।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या जहाज और हेलीकाप्टर के सम्बन्ध में, जो हम अन्य देशों से खरीदना चाहते हैं, तुलनात्मक अनुमान लगा लिया गया है और क्या उसके बाद निर्णय किया जायेगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : न केवल तुलनात्मक अनुमान लगया गया है किन्तु सरकार ने पड़ने वाले सभी दबावों पर भी ध्यान दिया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस मामले में विश्वजनीय टेंडर मंगवाये गये हैं या मंगवाये जा रहे हैं अथवा क्या यह पता लगाने के लिये विश्वजनीय खोज की जा रही है कि यह सर्वाधिक लाभदायक शर्तों पर किस देश से यह जहाज प्राप्त किये जा सकते हैं, अथवा क्या कोई तीसरा आधार अपनाया जा रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : प्रतिरक्षा सामान के बारे में विश्वजनीय टेंडर मंगवाना संभव नहीं होता। जब सरकारी तौर पर खरीद होती है, विश्वजनीय टेंडरों की आवश्यकता नहीं होती।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इसके बारे में किसी अन्य देश की ओर से कोई विरोध-पत्र आया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं नहीं समझता कि हमारी खरीद के बारे में कोई दूसरा देश कैसे विरोध कर सकता है।

†श्री हरि विष्णु कामत : इनकी खरीद के लिये क्या आधार अपनाया जा रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : विमान की खरीद हमारी जरूरत पर, विभाग की क्षमता पर, अपने कार्य पर, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर तथा हमारे विशेषज्ञों की सलाह पर, हमारे हवाई क्षेत्रों की हालत और उस प्रकार की बातों पर निर्भर होती है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मा० मंत्री को बताया गया है कि नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत श्री गालब्रेथ ने रूस से जेट खरीदने की सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है और यदि हां, तो क्या उनको ऐसा करने का अधिकार है ? क्या इस के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से विरोध किया गया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मुझे कोई ऐसा विरोध प्राप्त नहीं हुआ।

†श्री स० मो० बनर्जी : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

†अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों की प्रत्येक खबर हमेशा सही नहीं होती।

†श्री बी० चं० शर्मा : क्या यह सही नहीं है कि मंत्रालय अपने हैलीकाप्टर बनाने की एक परियोजना बना रही है ? उसका क्या हुआ है ?

†श्री कृष्ण मेनन : हेलीकाप्टर बनाये जा रहे हैं। कुछ समय लगना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-तिब्बत सीमान्त क्षेत्रों के अन्दर भारत-विरोधी गति विधियां

†*१०९०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस आशय के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत-तिब्बत सीमान्त क्षेत्रों के अन्दर भारत-विरोधी देश द्रोहात्मक गति-विधियां हाल में बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कारगर उपाय करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल ही में ऐसा कोई बयान नहीं दिया ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को पता है कि ऐसी कार्रवाइयां सीमा क्षेत्रों मे चल रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यदि यह उत्तर प्रदेश के बारे में है तो वह निश्चय ही बहुत कम हो गई हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को पता है भारतीय सीमा क्षेत्रों में ऐसे विदेशी राष्ट्र-जन घुस रहे हैं अर्थात् समाचार पत्र बेचने वाले और छोटे व्यापारी ताकि वे सीमा के निवासियों को भारत के विरुद्ध भड़का सकें ? क्या यह सही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें उत्तर प्रदेश से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि वे बहुत सतर्क और जागरूक हैं । वे इस समय की वहां की स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जाब्ता फौजदारी कानून का संशोधन हुये कुछ समय होगया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस के अन्तर्गत इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई कार्यवाहो की गई है या किसी के खिलाफ कोई मुकदमा अब तक चलाया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस देश के किसी राजनीतिक दल का हमारी सीमा के अन्दर इस भारत विरोधी कार्रवाई के साथ सम्बन्ध है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य संभवतः स्वयं इस का उत्तर जानते हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : हम नहीं जानते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

सैलम में सोना

†*१०९१. **श्री राजाराम** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की संभाव्यता का पता लगाने के लिये मद्रास राज्य में सैलम के दक्षिण में भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) इस क्षेत्र का सोना समेत खनिज का प्रारंभिक अनुमान और क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण कार्य १९४३–४७ में पूरा किया गया था ।

(ख) सेलम के दक्षिण में जो क्षेत्र है उस में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सोने की विद्यमानता नहीं पाई ।

†**श्री राजाराम** : क्या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सेलम के दक्षिण में कासीपुरम में सोने के निक्षेपों के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी हां, मद्रास सरकार के उद्योग विभाग ने, भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है जिस में कासीपुरम् क्षेत्र को भू-भौतिकी सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल करने की प्रार्थना की गई है । किन्तु भारत सरकार यह अनुभव करती है कि उनके पास जो सांख्यकी उपलब्ध है उस के अनुसार इस क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता देना संभव नहीं होगा और यदि मद्रास सरकार ने पर्याप्त मात्रा में लेने की विद्यमानता की सूचना दी है तो इस पर अग्रतर विचार किया जायेगा ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यान्विति

†*१०९२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में उनसे नियमित रूप से रिपोर्ट मांगती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कितने समय के बाद ; और

(ग) इस मामले में प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सब राज्य सरकारों और प्रशासनों से प्रार्थना की गई है कि वे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में त्रैमासिक रिपोर्ट दें ।

(ग) सब राज्यों में इस अधिनियम के उपबन्धों का विस्तृत प्रचार किया गया है और इसकी उचित तथा शीघ्र कार्यान्विति के लिये मुख्यालयों में समितियां नियुक्त की गई हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आधुनिकतम सूचनाओं के आधार पर क्या मा० मंत्री सभा को यह बता सकते हैं कि इस मामले में कौनसा राज्य सब से आगे बढ़ा है और कौनसा राज्य सब से पीछे रह गया है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास यहां विभिन्न राज्यों के आंकड़ हैं । मैं देखता हूं कि अधिकतम अभियोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुये हैं ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि मध्य प्रदेश में जो अनटचेबिलिटी ओफेंसेज़ एक्ट है वह उन हरिजनों पर जो कि कोर्ट में जय भीम कहते हैं यानी डाक्टर अम्बेडकर के शिष्य होते हैं उन पर यह अनटचेबिलिटी आफेंसेज़ ऐक्ट लागू नहीं होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

श्री बड़े : वह हरिजन जो डाक्टर अम्बेडकर के शिष्य बन गये हैं उन पर यह अनटचेबिलिटी आफेंसेज़ ऐक्ट लागू होता है या नहीं और क्या इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार को कोई डाइरैक्टिव इश्यू किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अब डाक्टर अम्बेडकर के शिष्य बन जाने से तो कोई खास निर्णय में तबदीली नहीं होती है लेकिन वह अगर अपना धर्म बदल दें तब फिर प्रश्न जरूर उठता है क्योंकि धर्म बदलने पर उनको फिर शैड्यूल्ड कास्ट के पूरे अधिकार और मान्यता दी जाय यह एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है ।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार को पता है कि इस अधिनियम के बावजूद, मध्य प्रदेश के एक मंत्री को कार्तिक अमावश्या के दिन एक नदी के पवित्र जलों में स्नान करने से रोक दिया गया था और सरकार उस मंत्री को स्नान करने देने के लिये कुछ नहीं कर सकी, हालांकि उसने अपने जाने के इरादे की खुली अभिव्यक्ति की थी और उसने सवर्ण हिंदुओं को खुली चेतावनी दी थी और उसको बिना स्नान किये वापिस लौटना पड़ा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न इस प्रकार चेतावनी वाले रूप में नहीं किया जाना चाहिये ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ । यदि ऐसी बात है तो यह उस राज्य के लिये मान का विषय नहीं, जिस के वह सदस्य हैं . . . .

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या मा० मंत्री को पता है कि वह व्यक्ति कृत्रिम मंत्री था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** किन्तु मैं कहूंगा कि इस बारे में मेरे पास राजस्थान की सूचना है वहां भी, यह बताया गया था कि इस मामले में एक मंत्री ने अपने आप को विवश पाया । मैं ने तुरन्त मुख्य मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है और यदि कोई ऐसी कठिनाई होगी तो वह तुरन्त उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सही नहीं है कि कुछ राज्यों में, कुछ शैक्षिक संस्थाएं अभी भी हरिजनों के लिये पृथक होस्टल बनाती है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के वर्णभेद को समाप्त करने के लिये कोई हिदायत जारी की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमारी सामान्य नीति ही ऐसी है । भारत सरकार केवल उन्हीं स्कूलों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है जो मिले जुले होस्टल बनवाते हैं । हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें भी इसी नीति को अपनाएंगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या राज्यों से त्रैमासिक रिपोर्टें गृह कार्य मंत्रालय में नियमित रूप से आती रहती हैं या क्या कुछ राज्य भेजने में चूकते हैं और यदि हां तो वे राज्य कौन हैं ?

†**श्री दातार :** कई कर वे विलंब कर देते हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वे अनियमित रूप के नियमित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान के 'ग्रीष्म कालीन स्कूल'

†*१०९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस ग्रीष्म ऋतु में विज्ञान के विशेषोपयुक्त पहलुओं पर विज्ञान के चार 'ग्रीष्म कालीन' स्कूलों का आयोजन करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा किये जाने का विचार है उनका ब्यौरा क्या हैं, और उन से प्राप्त होने वाले परिणामों को किस प्रकार प्रयोग में लाने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) चार ग्रीष्म कालीन स्कूलों में चर्चा के विषय ये हैं :—

स्कूल का नाम	विषय
(१) भूगोल का ग्रीष्म कालीन स्कूल	भूगोल में हाल की प्रगति
(२) बाओ-कैमिस्टरी में ग्रीष्म कालीन स्कूल	बाओ-कैमिस्टरी में हाल की प्रगति ।
(३) बौटनी में ग्रीष्म कालीन स्कूल	भारतीय पौधों का टैक्सोनौमी और फलौरिस्टिकस
(४) सैद्धान्तिक फिजिक्स में ग्रीष्म कालीन स्कूल	बहु—अंश प्रणाली

ग्रीष्म कालीन स्कूलों की कार्यवाही प्रकाशित की जाएगी और विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संस्थाओं आदि के लिये मूल्य वाले प्रकाशन के तौर पर उपलब्ध होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सेक्शन आफिसरों की तालिका

*१०७१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्शन आफिसर्स (विभाग अधिकारियों) की श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरने के लिये तालिका बनाने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से राय ले ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस राय को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

मनीपुर प्रशासन

*१०७३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने के बारे में जारी किये गये आदेशों का मणीपुर प्रशासन द्वारा अनुसरण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश मुख्यतः केन्द्रीय मंत्रालयों पर लागू होते हैं, और यह अभिप्राय नहीं है कि वे आप से आप यूनियन टैरिटेरीज के प्रशासन में लागू किये जायं ।

रूरकेला में 'सिन्टरिंग प्लांट'

†*१०७६. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १५ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन पार्टियों ने रूरकेला में 'सिन्टरिंग प्लांट' के सम्बन्ध में अपने अपने टेन्डर पेश किये हैं ;

(ख) क्या कोई टेन्डर मंजूर किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का कुल मूल्य कितना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) (१) मैसर्स साइमन कारखज लिमिटेड, इंगलैंड ।

(२) मैसर्स कोपर्स ऐक्सपोर्ट, जी० एम० बी० एच० जर्मनी

(३) मैसर्स हैड राइटसन आयरन ऐंड स्टील वर्क्स, इंगलेंड

(४) मैसर्स लुरगीक्रप्प, पश्चिम जर्मनी

(५) मैसर्स जी० एच० एच० पश्चिम जर्मनी

(६) मैसर्स एम० सी० डोवेल कम्पनी इन्क, अमरीका

(७) मैसर्स गायन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया ।

(ख) जी हां ।

(ग) पुर्जों की लागत को निकालकर ३७६.७ लाख रुपये ।

मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

†*१०८२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड का सभापति नियुक्त कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस पद को भरने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस फर्म के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) भारत सरकार ने श्री ए० के० चन्द्रा को मैसर्स जैसप ऐंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के निदेशक मंडल का प्रधान बनाया है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) एक गुम नाम पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कंपनी में नियुक्तियों के संबंध में कुछ आरोप दिये गये हैं । इस की जांच की जा रही है ।

हीरे की खानें

†*१०८७. **श्री वीरेन्द्र बहादुरसिंह** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हीरा-खनन-कार्य में प्रयोग होने वाले आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए कुछ विदेशों के साथ बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) बातचीत किन देशों के साथ हो रही है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). सरकार ने पन्ना हीरा-परियोजना पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंप दी है । उस परियोजना के अन्दर, रायखेड़िया और माझगावन की विस्तृत खनन योजनायें हाल ही में अनुमोदित की गई हैं । माझगावन शोधन संयंत्र के अतिरिक्त, उपकरण के संभरण के लिये टेंडर नोटिस जारी कर दिये गये हैं और प्राप्त कोटेशनों की पड़ताल की जा रही है । तथापि रूस से रुपया भुगतान के मुकाबले उपकरण प्राप्त करने की संभावना की जांच करने के लिये, जारी की गई टेंडर पूछताछ की प्रतियां और विभिन्न किस्मों के उपकरण के विशिष्ट ब्यौरे उस देश के व्यापार प्रतिनिधियों को दिये गये हैं । इस रूप में सरकारी स्तर पर कोई बातचीत नहीं चल रही ।

शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†*१०८८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के रोजगार दफ्तरों को विभिन्न उद्योगों में ऐसे लोगों को काम धन्धा दिलाने में जो कठिनाइयां आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय रोजगार सेवा असमर्थ लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का इरादा कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** जी नहीं ।

कच्छ और पश्चिम पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार

†*१०८९. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ-पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार चल रहा है और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में सोना और घड़ियां आदि विलास वस्तुएं चोरी छिपे भारत ले जाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) सरकार की जानकारी के अनुसार उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला मेहसाना (गुजरात) में तेल का सर्वेक्षण

†*१०६४. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मेहसाना (गुजरात) में तेल का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) मेहसाना जिले के किन भागों का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं ; और

(घ) मेहसाना जिले में किस किस्म का सर्वेक्षण, भूकम्पीय या छिद्रण, किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) जी हां ।

(ख) और (घ). मेहसाना ज़िले के समस्त क्षेत्र का आकर्षणत्व तथा चुम्बकत्व सर्वेक्षण कर लिया गया है। मेहसाना के लगभग ८ मील उत्तर में मेहसाना ज़िले के दक्षिण भाग में क्षेत्रीय प्रावेक्षण भूकम्पीय सर्वेक्षण चौड़े रास्ते के साथ-साथ किया गया है। ब्योरेवार भूकम्पीय सर्वेक्षण कालोल क्षेत्र, वेवल क्षेत्र तथा कच्छ के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में मेहसाना अहमदाबाद ज़िले की सीमा तक किए गए हैं। कालोल तथा वेवल ज़िले में गहरी खुदाई की गई है ।

(ग) मेहसाना ज़िले के दक्षिण भाग में मोटी रेतीली चट्टानों का पता लगा है । कालोल क्षेत्र में ऐसी तह मिली है जिनसे आशा होती है ।

भारत में संयुक्त राज्य अमरीका से विद्यार्थी

†*१०६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों से लगभग २० विद्यार्थी संयुक्त-राज्य समुद्र पार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन भारत आ रहे हैं ;

(ख) उनके कब आने की सम्भावना है ;

(ग) उनको कहां प्रशिक्षण दिया जाएगा ; और

(घ) किन विशिष्ट विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन

†*१०६६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया आफिस लायब्रेरी, लन्दन के बारे में बातचीत में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या व्यौरा है और उसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गांधीनगर (गुजरात राज्य) में तेल के लिये छिद्रण

†*१०९७. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की प्रस्तावित राजधानी (गांधीनगर) की वास्तविक सीमा में तेल छिद्रण के लिये कितने स्थान निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने स्थानों में छिद्रण किया जा चुका है और प्रत्येक स्थान पर छिद्रण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार को राजधानी परियोजना पर आगे कार्य करने का परामर्श दिया है, क्योंकि तेल-छिद्रण कार्य का परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) अब तक दो स्थान निर्धारित किए गए हैं।

(ख) एक स्थान पर छिद्रण कर लिया गया है और कुंवे की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

बुनियादी शिक्षा

†*१०९८. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम प्रणाली को लागू किया है ;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है ; और

(ग) जनता इसको किस प्रकार अपना रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) सभी राज्यों में।

(ख) और (ग). शिक्षा मन्त्रालय की वार्षिक पत्रिका (एजूकेशन इन इण्डिया वौल्यूम १) के बुनियादी शिक्षा के अध्याय में जानकारी दी गई है।

भारत में विदेशी प्रविधिज्ञ

†*१०९९. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में कुल कितने विदेशी प्रविधिज्ञ नियोजित हैं और उनका देश-वार व्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर भारत कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खनन उद्योग

†*११००. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में समूचे खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार प्रविधिक व्यक्तियों के लिये एक समेकित प्रशिक्षण योजना बनायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब कार्यान्वित की जावेगी ; और

(ग) प्रशिक्षण संस्था किस स्थान पर स्थापित की जावेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के बिना भुगताये हुए दावे और असमायोजित धन राशि

†*११०१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के पास करोड़ों रुपये के दावे बिना भुगताये पड़े हैं और बहुत बड़ी रकम ऐसी पड़ी है जिसका समायोजन नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी रकम है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]**

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम

*११०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले शिक्षा वर्ष से तीन विषयों में शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आनर्स स्तर की शिक्षा भी हिन्दी माध्यम से दी जायेगी ; और

(ग) कौन-कौन से विषयों में शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षिक वर्ष (१९६२–६३) से उन कालेजों को जिनमें शिक्षण की आवश्यक सुविधाएं हों और जो ऐसा करना चाहें, बी०ए० (पास) स्तर में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के माध्यम से देने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय कर लिया है। इस प्रकार के समस्त कालेजों में इन विषयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी रहेगा। यह निर्णय आनर्स पाठ्य-क्रमों पर लागू नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासन सेवा

†*११०३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासन सेवाओं में भरती की संख्या बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से;

(ग) इस समय सामान्यतः प्रति वर्ष कितने व्यक्ति भरती किये जाते हैं ; और

(घ) इसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रमों के कारण विभिन्न राज्यों में भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की वृद्धि करनी पड़ी । राज्य में इनकी कमी को दूर करने के लिये सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिवर्ष अधिक अभ्यर्थियों को लेना आरम्भ कर दिया है । १९५६-५९ में प्रति वर्ष औसतन ६५ अभ्यर्थियों को भरती किया गया था । अब इनकी प्रतिवर्ष संख्या और बढ़ा दी गई है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग ९० अभ्यर्थी प्रतिवर्ष लेने का विचार है ।

सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिए जिप्सम

†*११०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिये काश्मीर मिनरल्स लिमिटेड से जिप्सम खरीदने के लिए भारत के उर्वरक निगम के एक दल ने काश्मीर राज्य में जिप्सम के स्थानों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दल के दौरे का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) दल ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी जांच फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कर रहा है ।

लक्कादीव द्वीप समूह तथा मिनिकाय विनियम

†*११०५. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीप समूह तथा मिनिकाय विनियम (१९१२ का मद्रास अधिनियम १) में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि कथित विनियमों के अधीन बेगार अथवा जबरदस्ती काम लिया जा सकता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ठेके को पूरा न करने के कारण विनियमों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही भी की जा सकती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । विनियमन में बेगार अथवा जबरदस्ती काम लेने की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) यह सच है कि उक्त विनियमन की धारा ८(२) के अधीन व्यक्तिगत सेवा को पूरा न करने पर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में लौह अयस्क

†*११०६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार को लौह अयस्क निकालने के लिए अपनी एक परियोजना आरम्भ करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस प्रकार निकाले गये लौह अयस्क को राज्य सरकार स्वयं निर्यात करेगी अथवा सभी लौह अयस्क को केन्द्रीय सरकार खरीदेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां । सरकार ने निम्न शर्तों पर सिद्धान्ततः उड़ीसा सरकार की सुकिन्दा-दाभी क्षेत्र के लौह अयस्क का उत्पादन निर्यात के लिए ५० लाख टन से २०० लाख टन बढाने की परियोजना स्वीकार करली है :

१. अपनी अधिकतम राशि में ही योजना को राज्य सरकार पूरा करे ।

२. इस क्षेत्र का फालतू उत्पादन (परादीप पत्तन से शेष फालतू) को रेलवे कलकत्ता अथवा विशाखापटनम तक ले जाये ।

३. खनन परियोजना की क्रियान्विति के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्यता ।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

हथियारों के लिए लाइसेंस देने की नीति में उदारता

†*११०७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार डाकू पीड़ित क्षेत्रों में तथा सीमा क्षेत्रों में जहां पर मनुष्यों के अपहरण तथा पशुधन की चोरी की घटनायें बढ रही हैं, आत्म रक्षा के लिए हथियारों केप्लाइसेंस देने की नीति उदार बनाने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है । वह उदार नीति ही बरत रहे हैं ।

पब्लिक स्कूलों में सरकारी छात्र

†*११०८. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारत के पब्लिक स्कूलों में कितने सरकारी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं;

(ख) क्या पब्लिक स्कूलों से उत्तीर्ण हो जाने के बाद योग्य छात्रों को आगे प्रशिक्षण देने की कोई योजना है;

(ग) इसी वर्ग के सामान्य स्कूलों के विद्यार्थियों की तुलना में इन छात्रों के लिए क्या अधिक आशायें हैं; और

(घ) भारत में पब्लिक स्कूलों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५१ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विशेष आशायें नहीं हैं ।

(घ) माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने निर्णय किया है कि १९५८-५९ से बाद में इन स्कूलों को प्रबन्ध अनुदान न दे ।

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†*११०९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने में चालू होने के बाद चार महीनों में ही संकट आ गया है;

(ख) क्या तेलशोधक कारखाने में लगभग ५० लाख का घाटा आ गया है;

(ग) क्या यह सच है कि ३० मार्च, १९६१ तक उत्पादन शुल्क से ३० लाख रुपया मिला जबकि अनुमान ३.९६ करोड़ रुपये का किया गया था;

(घ) क्या तैल शोधक कारखाने का निर्माण व्यय १८ करोड़ रुपये से बढ गया है जबकि अनुमानित लागत ११ करोड़ रुपये थी;

(ङ) कारखाने के धीमे कार्यवहन के बारे में सरकार का क्या कहना है;

(च) क्या यह सच है कि विदेशों में प्रशिक्षित भारतीय प्रविधिज्ञों को, जो अब कारखाने में काम कर रहे हैं, आगे प्रशिक्षण के लिए गैर-सरकारी कारखानों में भेजा जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो कहां ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कोई संकट नहीं आया है परन्तु मिट्टी के तेल की सफाई और कोकिंग यूनिटों को चलाने में गत पांच वर्षों में कठिनाई आई है ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । शोधनशाला की स्वीकृत प्राक्कलित लागत १७.७० करोड़ रुपये है ।

(ङ) शोधनशाला के आरम्भ करने में जो कठिनाई आती है वही कठिनाई इसके चालू करने में भी आई है । गोहाटी शोधनशाला में भी यह कठिनाइयां आई थीं परन्तु यह आसामान्य नहीं हैं ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक-सभा के लिए नाम निर्देशन

†*१११०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी लोक-सभा में गोआ, दमन और दीव-सदस्यों का नाम-निर्देशन करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) उपरोक्त नाम-निर्देशन कब होगा; और

(ग) गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र से लोक-सभा के सदस्य अथवा सदस्यों का कब होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). गोआ, दमन और दीव के दो स्थानों के लिए दो व्यक्तियों का नाम-निर्देशन के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, १९६२ में लोक-सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था है। चुनाव की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम में संशोधन के प्रश्न पर उचित समय आने पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी

*१११**१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी और गणित को छोड़कर सभी विषयों का माध्यम हिन्दी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गणित का माध्यम भी हिन्दी करने में क्या कठिनाई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन विषयों का माध्यम हिन्दी है, परीक्षा में उनके भी प्रश्न-पत्र अभी अंग्रेजी में ही आते हैं जिन्हें समझने में विद्यार्थियों को पर्याप्त कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अंग्रेजी, गणित, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग तथा गृह-विज्ञान को छोड़कर बाकी सब विषयों की शिक्षा का माध्यम उर्दू, बंगाली, पंजाबी और तमिल के साथ-साथ हिन्दी भी है ।

(ख) बोर्ड से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा जायेगा ।

(ग) जी, हां । आधुनिक भारतीय भाषाओं को छोड़ कर बाकी के सभी विषयों के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी में बनाये जाते हैं ।

(घ) जिन विषयों का माध्यम हिन्दी है, उनके लिए प्रश्न-पत्रों को हिन्दी में ही बनाने पर विचार करने के लिए पहले ही बोर्ड से कहा जा चुका है ।

विश्वविद्यालय म शिक्षा का माध्यम

†*१११२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कार्यकारी दल ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसने क्यों इसका समर्थन नहीं किया है; और

(ग) जो विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं उनकी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

शिक्षा माध्यम का शांति से परिवर्तन करने की कार्यवाही पर विचार करते समय कार्यकारीदल ने सिफारिश की है कि जब तक डिग्री पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध न हों तब तक शिक्षा माध्यम में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हुई है।

भारतीय विमान बल के विमान के साथ दुर्घटना

†*१११३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ मई, १९६२ को चिंगलपट, मद्रास के निकट भारतीय विमान बल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे थे; और

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पाइलट मर गया था। जांच न्यायालय को आदेश दिये गये हैं। दुर्घटना के कारण मालूम नहीं हैं। संभवतया जांच से दुर्घटना के कुछ कारणों का पता लगे।

भारतीय प्रशासन सेवा आदि की परीक्षायें

†२०२६. **श्री सत्य नारायण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के वे असिस्टेन्ट जिनकी आयु २४ और २७ वर्ष के बीच है और जिन्होंने आयु सम्बन्धी रियायत के नियमों के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा आदि सम्बन्धी परिक्षायें दी थीं, द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये गये हैं हालांकि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें इतने अंक दिये थे कि वे प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये जाने के अधिकारी बन जाते हैं ;

(ख) क्या डाक व तार के महालेखापाल, आयकर, आदि कार्यालयों के अपर तथा लोअर डिविजन के क्लर्कों को, जिनकी आयु २४ और २७ वर्ष के बीच है और जो आयु सम्बन्धी रियायती नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षायें देते हैं, प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये जाने का अधिकार है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक व्यक्ति प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये गये हैं जिन्होंने प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित असिस्टेंटों से कम अंक प्राप्त किये थे ; और

(घ) सरकार असिस्टेन्टों के साथ किये इस अन्याय के परिहार के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रति वर्ष होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की मिश्रित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयु की अधिकतम सीमा २४ वर्ष है। ऐसे कुछ विभागों के सरकारी कर्मचारियों को, जिनके प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए ऐसी परीक्षाओं से भर्ती होती है, आयु में तीन वर्ष तक छूट दी जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में

†मूल अंग्रेजी में

सेक्शन अधिकारी की भर्ती होती है और यह पद दूसरी श्रेणी में हैं। परीक्षा के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेन्टों की उम्मीदवारी, जिन्हें आयु सम्बन्धी रियायत के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, उस श्रेणी तक ही सीमित रहती है। लेखा परीक्षा तथा लेखा, आयकर, डाक व तार, आदि जैसे कुछ विभाग अपनी प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए स्वयं भर्ती करते हैं और इन विभागों के कर्मचारी उन सेवाओं के लिए आयु सम्बन्धी रियायत के अन्तर्गत प्रतियोगिता में बैठं सकते हैं। इस प्रकार हो हैं सकता कि केन्द्रीय सचिवायल का कोई असिस्टेन्ट, जो परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करता है, सेक्शन आफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता हो, जब कि भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का कर्मचारी, उसी परीक्षा में थोड़े अंक प्राप्त करने के बावजूद भी प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये।

(ग) और (घ). सरकार को कुछ अधिकारियों से अभ्यावेदन मिले हैं जि नमें निवेदन किया गया है कि उन्हें प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये एवं इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि कुछ उम्मीदवारों को, जिन्होंने उन से कम अंक प्राप्त किये थे, प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। सरकार इन अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है।

भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष भर्ती

†२०२७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा के लिये कुछ अधिकारियों की भर्ती विशेष भर्ती से करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे ;

(ग) अधिसूचना कब तक जारी की जायेगी और नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ; और

(घ) भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष भर्ती के लिए नियुक्ति की क्या शर्तें हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अभारतीय आई० सी० एस० अफसरों की पेंशन

२०२८. { **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभारतीय आई० सी० एस० पदाधिकारियों को नवम्बर, १९४७ से जनवरी, १९६२ तक कुल कितनी धनराशि पेंशन के रूप में दी गई ;

(ख) पेंशन पाने वाले पदाधिकारियों की अलग-अलग राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ग) इसी तरह की पेंशन पाने वाले भारतीय आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या उसी अवधि में कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेंशन के लिये अर्हंतादायक आयु[1]

†२०२९. **श्री नल्ला कोया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में पहली से तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पेंशन पाने के लिए सेवा की न्यूनतम अर्हंतादायक आयु कितनी है ;

(ख) क्या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऐसी आयु सीमा भिन्न है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस पक्षपात को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १८ वर्ष ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में अस्पृश्य जातियां और पहाड़ी आदिम जातियां

२०३०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के अछूतों तथा पहाड़ी जाति के लोगों के लिए शिक्षा, सामाजिक सुधार, पानी तथा गृह-निर्माण के लिये अलग-अलग कितनी धन राशि दी गई है ;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए कोई खास योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण और उस पर खर्च होने वाली धन राशि कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९**]

सिवालिक पट्टी का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२०३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवालिक पट्टी के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कोई अन्तिम परिणाम प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान । अभी कार्य हो रहा है । सिवालिक पहाड़ी की तलहटी में और ८३० वर्ग मील क्षेत्र में, जिसमें जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भाग शामिल हैं, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भूतत्वीय जांच पड़ताल की है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने १ : ६३३६० के पैमाने पर भूतत्वीय मानचित्र द्वारा और ३०० वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल कर लिया है । इस जटिल क्षेत्र में अब तक प्राप्त हुई जानकारी की निरन्तर जांच की जा रही है तथा उसका संविलयन किया जा रहा है । यह कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय में एक विशेष दल कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Qualifying Age.

इस्पात कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ

†२०३२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६२ को तीनों इस्पात कारखानों में विदेशी विशेषज्ञों तथा टेक्नीशियनों की देशवार कुल संख्या कितनी थी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : १ अप्रैल, १९६२ को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन इस्पात कारखानों में निम्न विदेशी विशेषज्ञ और टेक्नीशियन थे :—

भिलाई	१५२	(रूस)
दुर्गापुर	१४०	(ब्रिटेन)
	१	(आस्ट्रेलिया)
	१४१	
रूरकेला	१५५	(जर्मनी)
	३	(इटली)
	१	(आस्ट्रिया)
	१५	(अमरीकी)
	१७४	

विदेशी राष्ट्रजन

†२०३३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मार्च, १९६२ तक अनुचित कार्यवाही में भाग लेते हुए कितने विदेशी राष्ट्रजन पाये गये ;

(ख) वे किस-किस देश के हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी।

गुलबर्ग इंजीनियरी कालेज को अनुदान

†२०३४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में मैसूर में गुलबर्ग इंजीनियरी कालेज को कुल कितना अनुदान दिया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : ८९,६८० रु०

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†२०३५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी छात्रवृत्तियां दीं ; और

(ख) कुल कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गईं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) शिक्षा मंत्रालय की भारत में आवास व्यवस्था सहित स्कूलों में अध्ययन के लिए योगिता छात्रवृत्ति योजना के अलावा स्कूल अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की कोई योजना नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए विद्यार्थी देश भर में आवास व्यवस्था वाले स्कूलों में रखे जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े वर्ग का कोई विद्यार्थी वर्ष १९६१-६२ में हुई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विशेष योग्यता सूची में नहीं आ सका।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†२०३६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अब तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार वर्ष १९६१-६२ में अनुसूचित जातियों के २,३१५ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं। ये छात्रवृतियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक बाद देश में अध्ययन के लिए दी गई हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति आवास योजना

†२०३७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति आवास योजना के निर्माण के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया ; और

(ख) वर्ष १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २·०० लाख रुपये।

(ख) २·०० लाख रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी कालेज

†२०३८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में आन्ध्र प्रदेश में कितने इंजीनियरी कालेज खोले जायेंगे ; और

(ख) कालेज कहां कहां खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) एक ।

(ख) राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

कोरापट (उड़ीसा) में सीमेन्ट का कारखाना

†२०४०. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोरापट (उड़ीसा) में सीमेन्ट का एक कारखाना खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित होगा ; और

(ग) योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय उड़ीसा सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट का एक कारखाना खोलने से है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत जिला कोरापट में सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने का लाइसेन्स के लिए अभी तक कोई प्रार्थनापत्र नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†२०४१. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में उर्वरक संयंत्र की स्थापना में अब तक कितना धन लग चुका है ; और

(ख) इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मार्च १९६२ तक १०.९८ करोड़ रुपये ।

(ख) ५८०,००० टन केलशियम एमोनियम नाइट्रेट प्रति वर्ष ।

उड़ीसा की लोहा तथा इस्पात की आवश्यकता

†२०४२. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में उड़ीसा की लोहा तथा इस्पात संबंधी कुल आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) क्या यह आवश्यकता रूरकेला इस्पात कारखाने से पूरी हो गई थी ; और

(ग) वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचकर रूरकेला संयंत्र को कितनी आय हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) इस्पात—३८९०७ मीट्रिक टन—केवल विशिष्ट श्रेणियों के लिए, अर्थात् केवल चादरों तथा तार के लिए।
कच्चा लोहा—१९६१ में ७४,६०४ मीट्रिक टन।

(ख) नहीं, श्रीमान्। रूरकेला कारखाना केवल प्लेट, चादरें और टिन प्लेट बनाता है। राज्य सरकार की आवश्यकता की और किसी प्रकार का इस्पात नहीं बनाता।

(ग)

	शुद्ध विक्रय
	करोड़ रुपये
१९५९–६० . . .	२.९६
१९६०–६१ . . .	९.०९
१९६१–६२ . . .	१५.०४ (तालमेल होने तक अस्थायी आंकड़े)

सामुदायिक विकास पाठ्यक्रम

†२०४३. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज को अध्ययन का एक विषय बनायें ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया है ; और

(ग) कितने स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, स्कूलों तथा प्रशिक्षण कालेजों के पाठ्यक्रम में पंचायती राज तथा सहकारी आन्दोलन की जानकारी शामिल करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को एक परिपत्र भेजा गया था। इस संबंध में विश्व-विद्यालयों को नहीं लिखा गया है।

(ख) और (ग). कितने स्कूलों व प्रशिक्षण कालेजों ने ये विषय आरम्भ किये हैं या नहीं किये हैं, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पाण्डेचेरी, मनीपुर, मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमह से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता लगता है कि वे सिफारिश लागू कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से प्राप्त ऋण

†२०४४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से कितने रुपये ऋण लिये गये हैं और प्रत्येक ऋण कितने रुपये का था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बैंक ने प्रत्येक ऋण किस कार्य के लिए दिया ;

(ग) कौन कौन ऋण पूर्णतया या आंशिक रूप में भुगता दिये गये हैं और आंशिक भुगतान के ऋण में कितना भुगतान किया गया है ;

(घ) १५ अगस्त, १९४७ के बाद विभिन्न देशों से कितने धन का अनुदान मिला और अनुदान देने वाले देश कौन कौन थे, और

(ङ) प्रत्येक अनुदान किस कार्य के लिए दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ङ). तीन विवरण पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३०, ३१ और ३२**]

ललित कला अकादमी

२०४५. श्रीमती मिनीमाता : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललित कला अकादमी के कितने प्रकाशन अब तक हिन्दी में हुए हैं ;

(ख) क्या अकादमी हिन्दी प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अब तक कोई नहीं ।

(ख) और (ग). अकादमी हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित करने की संभावना पर विचार कर रही है ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी

२०४६. श्रीमती मिनीमाता : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश के किन-किन विशवविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाने लगी है ; और

(ख) क्या हिन्दी के अध्यापन के लिए भारतीयों की नियुक्ति करते समय ये विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सलाह लेते हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय या दूसरे इंस्टीट्यूशन हिन्दी पढ़ाते हैं :—

बेल्जियम ; ब्रुसेल्स, घेंट, लीज और कैथोलिक ;
सीलोन : विद्यालंकार और विद्यादय ;
चीन : पेकिंग ;
चेकोस्लोवाकिया : चार्लस ;
पूर्व जर्मनी : फ्री युनिवर्सिटी, बर्लिन ;
फ्रांस : इकोल दे लैंगुएस ओरियंटले विवाटेस ;
हंगरी : बुडापेस्ट ;
ईरान : तेहरान ;

---

†मूल अंग्रेजी में

इटली : इस्म्यो रोम ;
जापान : टोक्यो, ग्रोसाका और क्योटो ;
मौरिशस : टीचर्स ट्रेनिंग कालेज ;
नेपाल : नेपाल यूनिवर्सिटी ;
नेदरलैंडस : यूट्रेच्ट ;
पोलैंड : वारसा ;
यूनाइटेड किंगडम : स्कूल ग्राफ ओरियंटल एण्ड ग्रफीकन स्टडीज, लंदन;
यू० एस० ए० : जोन हार्पाकिंस, वाशिंगटन ;
यू० एस० एस० ग्रार० : मास्को लेनिनग्राड ;
यूगोस्लाविया : जाग्रेब ।

(ख) जब भारत सरकार या इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशंस से इस मामले में बात चीत हो चुकती है तो विदेशी विश्वविद्यालय हमसे ग्रामतौर पर सलाह लेते हैं ।

उड़ीसा में ग्रादिम जाति शिक्षा

†२०४७. **श्री उलाका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त होने पर भी उड़ीसा के अधिकतर आदिम जाति के लोग अशिक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आदिम जाति के शिक्षित बनाने के लिये कोई उपयुक्त ढंग अपनाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में स्कूलों में मध्याह्न भोजन

†२०४८. **श्री उलाका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में स्कूल के मध्याह्न भोजन संबंधी योजना के लिये उड़ीसा सरकार को कितना धन दिया;

(ख) वर्ष, १९६२–६३ के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बहुत से स्कूलों ने धनाभाव के कारण यह योजना छोड़ दी है या वहां ऐसी कोई योजना है ही नहीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सहायता योजनावार नहीं दी जाती। वह तो शिक्षा के सारे प्रोग्रामों के लिये एक साथ दी जाती है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को ध्यान में रख कर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता

†२०४६. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में नये उत्कल विश्वविद्यालय की इमारत के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितनी वित्तीय व टैक्निकल सहायता दी है,

(ख) क्या उत्कल विश्वविद्यालय में कोई युवक कल्याण योजना लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रोग्राम के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५,८६,६६७.०० रुपये।

(ख) हां।

(ग) १७,४७३.०० रुपये।

उड़ीसा में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स

†२०५०. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी व गैर-सरकारी ऐसे कितने कालेज हैं जिन में अब तक तीन वर्षीय डिग्री कोर्स आरम्भ हो गया है;

(ख) कितने कालेजों को अभी यह योजना लागू करनी है; और

(ग) उड़ीसा में यह योजना कब तक पूरी तरह लागू होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

केन्द्रीय मंत्रियों को दिये गये भत्ते

२०५१. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियो, राज्य-मंत्रियो, उप-मंत्रियो और सभा-सचिवों को वेतन के अतिरिक्त दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते, और अन्य भत्तों के रूप में पृथक-पृथक कितनी धन राशि दी गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे कुछ मंत्री हैं जिन का वर्ष का पूरा भत्ता कुल मिला कर वेतन से अधिक बैठता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन को कुछ विशेष निदेश इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी में नोट लिखना

२०५२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल स्थित प्रादेशिक अभिलेख कार्यालय तथा देहरादून स्थित व्यस्क अंधो के प्रशिक्षण केन्द्र, अंधे बच्चों के आदर्श स्कूल तथा केन्द्रीय ब्रेल प्रेस के कार्यालयों में किस सीमा तक फाइलों पर हन्दी में नोट लिखना प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) उस कार्य के लिये जिस प्रकार के साधन और उपकरणों की अब आवश्यकता है, क्या उन सब की पूर्ति की जा चुकी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) भोपाल स्थित क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालय में हिन्दी में नोट लिखना अभी आरम्भ नहीं किया गया है। प्रौढ़ अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, अंधों के लिये आदर्श स्कूल और केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, देहरादून में हिन्दी में नोट लिखना धीरे-धीरे आरम्भ किया जा रहा है ।

(ख) जी हां, जहां आवश्यक हो ।

अखिल भारतीय विज्ञान असैनिक सेवा

†२०५३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विज्ञान सेवा या अखिल भारतीय विज्ञान असैनिक सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वेतन की समान दर भविष्य और वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शराब का उपयोग

†२०५४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष शराब का उपयोग और उस के विक्रय से प्राप्त होने वाला राजस्व कितना घटा या बढ़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुम काफी का पता लगाया जाना

†२०५५. **श्री उलाका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने चिकमागालूर में मैसूर काफी क्योरिंग वर्क्स में लगभग ११० टन गुम काफी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है; और

(ग) गुम काफी का पता लगाने और उत्पादन कर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बहुमूल्य हीरों आदि का तस्कर व्यापार

†२०५६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने १० अप्रैल, १९६२ को,कलकत्ता बन्दरगाह पर "एस० एस० स्टेट आफ आन्ध्र" से लगभग १०,००० रु० के मूल्य का 'कारेल' पकड़ा गया जो कि सुदूर पूर्व से आये इस पोत के एक फेन्डर में छिपाया गया था और विश्वास है कि छिपा कर लाये गये ये जवाहरात मूलतः जापानी हैं ?

†**वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई)** : कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने अप्रैल, १९६२ को "एम० वी० स्टेट आफ आन्ध्र" की तलाशी के परिणामस्वरूप ६,३४७ रु० के मूल्य के 'कारेल पत्थर' आदि पकड़े । विश्वास है कि कारेल मूलतः जापानी है । ये वस्तुयें एक पैकेट में पाई गई जो गन्दी रस्सियों में पड़े एक मोटर टायर में छिपाया गया था । ये रस्सियां पोत की संरक्षण काष्ठ की खिड़की में पड़ी थीं ।

डी० एम० कालेज, इम्फाल

२०५७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करगे, कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० एम० कालेज, इम्फाल मे स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने की योजना बनायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह योजना मंजूर कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कितने शीघ्र कार्यान्वित को जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अगले शैक्षणिक वर्ष से ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में बंगाल सुरक्षा अधिनियम

†२०५८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के किन किन क्षेत्रों मे बंगाल सुरक्षा अधिनियम लागू हैं ;

(ख) अभी तक इस अधिनियम के अधीन कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और बन्दी बनाया गया ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान स्थिति के कारण वह अधिनियम अभी जारी रखना आवश्यक है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) पश्चिम बंगाल राज्य में लागू पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० कुछ परिवर्तनों के साथ सम्पूर्ण मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया है ।

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभी तक १७२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) जी हां ।

मनीपुर में विभिन्न पदों के वेतन क्रम

२०५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में श्रेणी ४, ३ और २ के पदों के वर्तमान वेतन क्रम क्या हैं ;

(ख) घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में कर्मचारियों को क्या क्या भत्ते दिये जाते हैं ;

(ग) वे वेतन क्रम और भत्तों की रकमें आसाम, नागालैण्ड, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और त्रिपुरा में दिये जाने वाले वेतन क्रमों और भत्तों में से कम हैं या अधिक ; और

(घ) ये अन्तर, यदि कोई हों तो, किस प्रकार उचित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]

आसाम में 'त्रिपुरा' और 'हलम्स' आदिम जातियां

†२०६०. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) आसाम में, खासकर कछार जिले में त्रिपुरा आदिम जातियों और 'हलम्स' आदिम-जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है ;

(ख) कछार जिले के स्थान परिवर्तन करने वाले किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या कछार जिले की पिछड़ी आदिम जातियों को जो संविधान की छटीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं, कोई विशेष संरक्षण दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) 'त्रिपुरा' और 'हलम्स' आदिम जातियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (रूपभेद) आदेश, १९५६ में आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल नहीं हैं। १९६१ की जनगणना में, केवल उन्हीं आदिम जातियों की जनसंख्या के जिन्हें १९५६ के आदेश के अनुसार अनुसूची में शामिल किया गया था, आंकड़े इकट्ठे किये गये थे।

(ख) आसाम सरकार की नीति के अनुसार, दूसरे राज्यों की अनुसूचित आदिम जातियों को जो आसाम में रह रही हैं, अनुसूचित आदिम जातियों के रूप में नहीं समझा जाता और इस कारण वे अनुच्छेद २७५ के अधीन विकास कार्यक्रम के लाभ के अधिकारी नहीं हैं। कछार जिले में कोई भू-संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है। फिर भी राज्य की सामान्य योजना के कृषि कार्यक्रम के अधीन, कछार सहित समतल जिलों मे खेती करने वाले लोगों को छोटी सिंचाई, मेंड आदि बनाने के लिये राज सहायता देकर स्थायी खेती आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) कछार की पिछड़ी आदिम जातियों को, समतल मैदानों में रहने वाले आसाम के स्वायत्त शासी जिलों की अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को छोड़ कर जिन्हें अनुच्छेद २७५ के अधीन विकास अनुदान से लाभ के प्रयोजन के लिये अन्य अनुसूचित आदिम जातियों के बराबर समझा जाता है, कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता।

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान

†२०६२. **श्री मूरारका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने १९५९, १९६० और १९६१ में कितने मामलों की जांच पड़ताल की ;

(ख) इस साल मार्च, १९६२ के अन्त तक कितने मामलों की जांच पड़ताल की गयी ;

(ग) इन जांच पड़तालों का क्या नतीजा निकला ; और

(घ) वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जांच पड़ताल के मामलों की कुल संख्या जिसमें पिछले वर्षों के निलम्बित मामले शामिल हैं, इस प्रकार हैं :—

१९५९ . .	१६७१
१९६० . . .	१७९४
१९६१ . . .	१८२६
१-१-६२ से ३१-३-६२ तक .	९९३
कुल	६२८४

(ग) ८७४ सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया। २९३८ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गयी।

(घ) सरकारी कर्मचारी—न्यायालयों द्वारा सिद्ध किये गये दोषी   ३९८
विभागों द्वारा दण्डित . . .   १२७१

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ऋण

†२०६३. **श्री मूरारका :** क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुल कितना ऋण दिया जा चुका है ; और

(ख) उन ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ के अधीन, केन्द्रीय सरकार आयोग को अपना काम काज चलाने के लिये आवश्यक पूंजी, संसद् द्वारा उचित विनियोग के बाद, देती है। सरकार ने आयोग को कोई ऋण नहीं दिये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात और स्क्रैप का निर्यात

†२०६४. **श्री मूरारका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक देश को सालाना कितना इस्पात और स्क्रैप (रद्दी लोहा) का अलग अलग निर्यात किया जाता है ;

(ख) वह किन दरों पर निर्यात किया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक से कितनो कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). वर्ष १९६०-६१ और १९६१–६२ (फरवरी, १९६२ तक) के लिये विभिन्न देशों को अलग अलग इस्पात और रद्दी के निर्यात की मात्रा, प्रति टन औसत दर और प्राप्त विदेशो मुद्रा का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में कल्याण पदाधिकारी

†२०६५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में एक श्रम कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कर्तव्य हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं :

(१) कर्मचारियों के कल्याण की वृद्धि करना और प्रबन्धकों के साथ मधुर सम्बन्ध बढ़ाना;

(२) उनको शिकायतें तुरन्त दूर करना ; और

(३) यह सुनिश्चित करना कि इन उपक्रमों पर लागू होने वाले कानून लागू किये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेल्लोर को सीमट की सप्लाई के लिये माल डिब्बे

†२०६६. **श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९६१ से आन्ध्र प्रदेश मे नेल्लौर जिला परिषद् के अधिकारियों को सीमेन्ट की सप्लाई के लिये विजयवाड़ा से नेल्लौर तक माल डिब्बे, इस बात के बावजूद कि उन्होंने इसके लिये पैसा भी दे दिया है, नहीं मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख). विजयवाड़ा में सीमेण्ट कारखाने में माल डिब्बों की सप्लाई अपर्याप्त रही है। दक्षिण की ओर विजयवाड़ा से सीमेंट ले जाने के सम्बन्ध में रुकावट लगी हुई है क्योंकि केवल गुरुवार और रविवार को ही लाने ले जाने की अनुमति है। इसलिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सामान्य आदेश जारी किया है कि जहां तक हो सके, सप्लाई सड़क से ले जायी जाये। कारखाना जितना हो सकता है उतना सीमेन्ट रेलगाड़ी से ले जाने की व्यवस्था भी कर रहा है। नेल्लौर जिला परिषद् अधिकारियों द्वारा नवम्बर, १९६१ से १४० टन सीमेंट सड़क द्वारा ले जाया गया है।

मध्य प्रदेश में मिट्टी के निक्षेप

†२०६७. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में शहडोल के पास तापरुह मिट्टी के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तापरुह ईंटें बनाने के उद्योग के लिये उपयुक्त हैं ;

(ग) क्या इस प्रदेश का पूरा पूरा सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) निक्षेपों को ढूंढने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) सोहागपुर कोयला क्षेत्र म जहां शहडोल स्थित है, तापरुह मिट्टी उपलब्ध होने के बारे मे जानकारी पहले ही प्राप्त है। शहडोल के पास तापरुह मिट्टी के नये निक्षेपों का कोई पता नहीं लगा है।

(ख) डोला और छांडिया क्षेत्रों में उपलब्ध तापरुह मिट्टी तापरुह ईंटें बनाने के लिये उपयुक्त है।

(ग) और (घ) सोहागपुर कोयला क्षेत्र के ब्यौरेवार और बड़े पैमाने पर नक्शे बनाने का काम जारी है। अनुमान है कि १९६२-६३ में शहडोल के ठीक पश्चिम वाले क्षेत्र के भूगर्भीय मानचित्र सम्भवतः तैयार किये जायेंगे।

राजस्थान में भारी उद्योग

२०६८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के नहरी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). राजस्थान में हनुमानगढ़ के स्थान पर एक उर्वरक कारखाना लगाने की योजना है। इस योजना के तीसरी योजना के अन्त तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

†२०६९. **डा० उ० मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारियों को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ऋण के तौर पर दिया गया है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितना वेतन-भत्ता आदि मिल रहा है ; और

(ग) यदि वे केन्द्रीय सरकार की नौकरी में रहते तो उन्हें कितना वेतन-भत्ता आदि मिलता ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण

†२०७०. **श्री रिशांग किशिंग** :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, १९६२ से केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया है, यद्यपि वह सेवाएं केवल १९५१ में ही बनायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों से संलग्न कार्यालय विकेन्द्रीकरण के बाद भी मंत्रालयों से संलग्न रहेंगे ;

(घ) यदि नहीं तो क्या इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के संबंध में सभा पटल पर रखे गये, निश्चयों के सारांश के पैरा ३(४) की ओर ध्यान दिलाया जाता है। ज्योंही वभिन्न कार्यवाहियों पर अंतिम रूप से विचार हो जायेगा त्योंही इस निश्चय का कार्यान्वित वपनका विचार है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) से (ङ). उपर्युक्त निश्चय को कार्यान्वित करने की विस्तृत योजनाओं पर अभी विचार हो रहा है और अभी तक अंतिम रूप से कोई निश्चय नहीं किये गये हैं ।

दिल्ली के पुस्तक विक्रेता

२०७१. श्री बाल्मीकी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी कुछ दिक्कतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे दिक्कतें क्या हैं ; और

(ग) उनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) ये दिक्कतें कुछ प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों की बिक्री पर रोक लगाने से हुई हैं । इन पुस्तकों को अगले शिक्षा सत्र से बदला जा रहा है ।

(ग) प्रकाशकों को इस बात पर राजी करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वे ऐसी पुस्तकों के स्टाक को जो पुस्तक-विक्रेताओं के पास है, वापस लेकर नई पुस्तक दे दें ।

निर्वाचन आयोग में हिन्दी का प्रयोग

२०७२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग में ऐसे कितने अनुभाग हैं जिनमें हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की बहुतायत है ; और

(ख) इनमें से कितने अनुभागों को हिन्दी में नोट लिखने की अनुमति दी गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) निर्वाचन आयोग के दस अनुभागों में से छ : अनुभाग ऐसे हैं जिनमे हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की बहुतायत है ।

(ख) किसी को नहीं ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में नोट लिखा जाना

२०७३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में कितने ऐसे अनुभाग हैं जिनमें हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की बहुतायत है ;

(ख) इनमें से कितने अनुभागों को हिन्दी में नोट लिखने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) इन अनुभागों में से कितनों ने हिन्दी में नोट लिखना वास्तव मे आरम्भ कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर संग्रह में उत्तर प्रदेश का हिस्सा

†२०७४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय कर संग्रह मे उत्तर प्रदेश का हिस्सा ५ करोड़ रुपया कम कर दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है, केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा उस रकम से ३.५ करोड़ रुपये कम होगा जो उस राज्य को दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन मिलती। लेकिन आयकर में राज्यों के हिस्सों की प्रतिशतता में वृद्धि तथा विभाजनीय उत्पादन शुल्कों की संख्या में काफी वृद्धि के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों मे वह कमी पूरी होकर कुछ बचने का अनुमान है।

कांगो में भारतीय फौज

†२०७५. **श्री रेड्डियार** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के शुरुवात से कितने डिवीजन और साजसामान कांगो भेजे गये ; और

(ख) उनपर कितना खर्च किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९६० में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर भारतीय सेना के प्रशासनिक एकक कांगों में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं को मदद देने के लिए कांगों भेजे गये थे। इनमें ओ०एन०यू०सी० के हेडक्वार्टर्स, सेना अस्पताल, प्रोवो सेक्शन, एयर डिस्पैच सेक्शन सहित सप्लाई यूनिट्स, सिग्नल यूनिट्स और फील्ड पोस्ट आफिस के लिए कुछ कर्मचारी थे जिनमें कुल ६० पदाधिकारी, ३० जे सी ओ और ६३७ अदर रैन्क्स थे।

बाद में लड़ाकू फौजों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से और प्रार्थना प्राप्त होने पर एक संयंत्र भारतीय ब्रिगेड ग्रूप जिसमे १२७ पदाधिकारी, १३९ जे सी ओ और ४,५९९ अदर रैंक्स थे, मार्च-अप्रैल, १९६१ में कांगो भेजा गया था।

ये यूनिट अपने साथ अपना सामान्य साजसामान और भंडार ले गये थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर अक्तूबर, १९६१ में आवश्यक कर्मचारी और फुटकर पुर्जों के साथ ६ कैनबैरा हवाई जहाज और दो विमान नियंत्रण दल भी भेजे गये थे।

भारतीय टुकड़ी, भारतीय ब्रिगेड और वायुसेना कर्मचारियों को पहली खेप के बाद कांगो मे भारतीय कर्मचारियों की वर्तमान कुल संख्या इस प्रकार है :—

	आफिसर्स	जेसीओज	अदररैन्क्स
सेना . .	१९१	१७८	५.१७७
वायुसेना .	२९		ए९३ एरमैन

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर, हमारी फौजों के उपयोग के लिए उन्हें आवश्यक अतिरिक्त गोलाबारूद और सिग्नल साज सामान भी समय-समय पर भेजा गया है।

(ख) मार्च, १९६२ के अन्त तक १,८३,९९,८०९ रुपये का व्यय हुआ है जिसमें से सभी अतिरिक्त तथा असाधारण व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ से वसूल किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर कार्यालय, कोटा में प्रतीक्षालय

२०७६. **श्री बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के आय-कर कार्यालय में प्रतीक्षालय की व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार कब तक प्रबन्ध कर रही है ; और

(ग) जो लोग आय-कर के काम से वहां जाते हैं उनके ठहरने के लिये अभी क्या व्यवस्था है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। कोटा के आय-कर कार्यालय (इनकम टैक्स आफिस) की किराये की इमारत में एक प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

निकोबार द्वीप समूह में व्यापार

†२०७७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीपसमूह में व्यापार संभालने के लिए राज्य व्यापार निगम को राजी करने के लिए सरकार के प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला; और

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त द्वारा क्रमशः निकोबार और नानकौरी द्वीपों के लिए जारी किये गये व्यापार लाइसेंस में निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य इसी बीच क्यों नहीं बढ़ा दिये जाते ताकि लाइसेंसशुदा फर्मों को बेचे गये खोबरा और सुपाड़ियों के लिए निकोबार निवासियों को उचित लाभ मिल सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) १९६० से न्यूनतम क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि पिछले दो वर्षों में कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कमाये गये मुनाफे के आंकड़ों से कोई वृद्धि आवश्यक नहीं मालूम पड़ी। पिछले वर्ष का कम्पनी का मुनाफा मालूम हो जाने के बाद न्यूनतम क्रय मूल्य बढ़ाने के प्रश्न पर अन्दमान प्रशासन विचार करेगा।

अन्दमान द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी

†२०७८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री न्यूनतम मजूरी अधिनियम की धारा २५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में सरकारी विभागों द्वारा आयात किये गये ठेके के मजदूरों को उस क्षेत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी क्यों नहीं दी जाती; और

(ख) क्या सरकार को उन मजदूरों से उनकी मजूरी बढ़ाने और अन्य मांगों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अन्दमान लोक निर्माण कार्य विभाग, जो न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार एकमात्र अनुसूचित उद्योग है, के ठेके वाले मजदूरों ने उनकी मजूरी बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं। सरकार ने ठेके वाले मजदूरों की मजदूरी

†मूल अंग्रेजी में

में ५ रुपये की बढ़ोतरी मंजूर की है। अन्दमान प्रशासन निर्माण कार्यों या सड़कों के निर्माण या मरम्मत के लिए रखे जाने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के बारे में प्रशासन को सलाह देने के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम की धारा ७ के अधीन एक मंत्रणा बोर्ड कायम करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

पर्वतारोहण अभियान

†२०७९. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना दलों ने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए १९६१–६२ में कितने अभियान किये;

(ख) ये दल किन-किन पहाड़ों पर चढ़े; और

(ग) अभियान दलों के और ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) १९६१–६२ में सेना का कोई दल पर्वतारोहण अभियान पर नहीं गया, फिर भी, १९६१ में भारतीय दलों ने जिस में सेना के कर्मचारी थ ५ सफल अभियान किय ।

(ख) शिखर का नाम और ऊंचाई		चढ़ाई की तारीख	
(१) अन्नपूर्णा ३	(२४,८५८ फीट)	९-५-६१	७ सदस्यों में से एक सेना पदाधिकारी था ।
(२) नीलकंठा	(२१,६४० फीट)	१३-६-६१	६ सदस्यों में से तीन सेना पदाधिकारी थे ।
(३) देवीस्नान १	(२१,९१० फीट)	१६-६-६१	६ सदस्यों में से तीन सेना पदाधिकारी थे ।
(४) मैकंगेली	(२२,३२० फीट)	२१-६-६१	
(५) त्रिशूल	(२३,३६० फीट)	३०-६-६१	

एक दल जिसके सभी सदस्य सेना कमचारी थे, २६ अप्रैल, १९६२ को कोकथांग (२०,१७० फीट) के शिखर पर चढ़ा। एक और सेना दल जिसमें ८ सदस्य हैं, अभी माना (२३,८६० फीट) और नीलगिरी (२१,२४० फीट) पर चढ़ रहे हैं।

भारतीय एवरेस्ट पर्वत अभियान, १९६२ के १४ सदस्यो में से उसके नेता और तीन अन्य सदस्य सेना पदाधिकारी हैं ।

(ग) उपर्युक्त अभियान दलों के अधिकांश सदस्य हिमालयन माउन्टेनीअरिंग इंस्टिट्यूट के भूतपूर्व छात्र हैं। इन दलों को इंस्टिट्यूट ने प्रविधिक परामर्श देकर और पर्वतारोहण उपकरण ऋण के रूप में देकर मदद की है। इन दलो द्वारा काम में लाया गया साज-सामान अधिकतर देशी है।

विशुद्ध सेना अभियान दलों को कुछ खर्च तो रेजिमेन्टल निधियों द्वारा और कुछ इंडियन माउन्टेनीअरिंग फाउन्डेशन द्वारा तथा गैर-सरकारी चन्दे से दिया गया था। शेष अभियानों को वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने खर्च दिया था।

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में विज्ञान मन्दिर

†२०८०. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में कितने विज्ञान मन्दिर खोले जाने वाले हैं;

(ख) यदि निश्चय हुआ तो कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) दूसरी योजना की अवधि में उक्त राज्य में कितने विज्ञान मन्दिर चालू किये गये थे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने का कई दौर वाला कार्यक्रम अभी तैयार करना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दो ।

आदिम जाति खंड

†२०८१. **श्री बसुमतारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलविन प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए आसाम के स्वायत्तशासी जिलों से भिन्न आसाम के मैदानों के आदिम जाति लोगों द्वारा प्रमुख रूप से बसाये गये मैदानी क्षेत्रों में कोई बहुप्रयोजनीय या आदिम जाति खंड मंजूर किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र और जिले के चुने जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दूसरी पंच वर्षीय योजना में लखीमपुर जिले में भारकोंग ब्लाक में आसाम के मैदानी क्षेत्र में एक विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंड प्रारम्भ किया गया था । तीसरी योजना अवधि में निम्न स्थानों पर इन दोनों में एसे तीन और खंड खोले जाने का विचार है :

१. गोपालपारा जिला में बिजली

२. गोपालपारा जिले में डोशेया

३. कामरूप जिले में बोको-बोगांओं ।

दिल्ली में पुलिस बल

†२०८२. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ को दिल्ली में पुलिस के कितने कर्मचारी स्थायी, अर्ध स्थायी और अस्थायी थे;

(ख) उनमें से कितने लोगो की एक वर्ष से अधिक सेवा है; और

(ग) इन पुलिस कर्मचारियों को क्या सुविधाएं और लाभ प्रदान किये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क)

१-४-६२ को मंजूर बल	१२,०७१
१-४-६२ को वास्तविक बल	११,५६६

११,५६६ कर्मचारियों में से जो दिल्ली पुलिस का वास्तविक बल है, ६२,२७ स्थायी, २,४१२ अर्ध स्थायी और २,६५७ अस्थायी हैं ।

(ख) सभी स्थायी, अर्ध स्थायी और २,७४६ अस्थायी कर्मचारी एक साल से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं ।

(ग) उनको उन्हीं सुविधाओं और लाभों का हक प्राप्त है जो समान श्रेणियों के अन्य असैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । पुलिस कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को इन के अतिरिक्त नि:शुल्क निवास या उसके बदले मकान किराया भत्ता तथा नियमाधीन निश्चित यात्रा भत्ता मिलता है ।

पंचायत न्यायालयों सम्बन्धी समिति

†२०८३. **श्री बेरवा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंचायत अदालतों के कामकाज और प्रणाली का अध्ययन करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) समिति ने अब तक कितना काम किया है;

(ग) समिति का प्रतिवेदन सरकार को मिला है या नहीं; और

(घ) यदि हां, तो उसमें मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) पंचायत अदालतों सम्बन्धी अध्ययन समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :—

(१) विधि मंत्रालय के विधायी विभाग के विशेष सचिव तथा विधि आयोग के सदस्य श्री जी० आर० राजगोपाल—सभापति ।

(२) सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के पंचायतराज आयुक्त श्री ए० प्रकाश, और

(३) गृह-कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एल० एम० नाडकर्णी ।

(ख), (ग) और (घ). अध्ययन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । यह प्रतिवेदन अभी छप रहा है और इसकी छपी हुई प्रतियां उपलब्ध होने पर इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली में विवाह-विच्छेद

†२०८४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में हिन्दुओं के विवाह-विच्छेद के मामले वृद्धि पर हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितने ऐसे मामले हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कच्छ में लिग्नाइट निक्षेपों का सर्वेक्षण

†२०८५. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में कच्छ में लिग्नाइट निक्षेपों का सर्वेक्षण करने के लिये कच्छ में कोई दल भेजे गये हैं ;

(ख) क्या इन सर्वेक्षण दलों के प्रतिवेदनों क अनुसार कुछ में १० करोड़ टन लिग्नाइड निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है, और

(ग) इन बड़े लिग्नाइड निक्षेपों का आयोग करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारत के भूतत्रीय सर्वेक्षण विभाग में ने १९४९–५३ में अनुसंधान किया था ।

(ख) क्रमवार क्षेत्रों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के लिग्नाइट दिक्षेपों का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :—

१ ऊपरी तह—१२ लाख टन (१२.२० लाख टन)

२ निचली तह— ९५ लाख टन (९६.५० लाख टन) ४० से ४३ लाख टन तक अतिरिक्त संभाव्य रक्षित निक्षेप)

(ग) पता चला है कि गुजरात सरकार निक्षेपों को खोजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

कच्छ में पाकिस्तानी मुसलमानों का अवैध प्रवेश

†२०८६. **श्री याज्ञिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुतेरे पाकिस्तान मुसलमान पास पोर्टों के बिना पाकिस्तान से कच्छ में घुस आते हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ मुसलमान भारतीय क्षेत्रों में विवाह करके अपनी पत्नियों के साथ पाकिस्तान लौट जाते हैं ; और

(ग) सरकार ने कच्छ में इन अनधिकृत पाकिस्तानी मुसलमानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) १ जनवरी से ३० अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में १८२ ऐसे व्यक्ति पास पोर्टों के बिना कच्छ में आये ।

(ख) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली ।

(ग) अनधिकृत प्रवेशकों के विरुद्ध भारतीय पारपत्र अधिनियम, १९२० तथा विदेशी अधिनियम १९४६ के अधीन अभियोग चलाये जाते हैं और उन को वापिस भेज दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोरखपुर में देवदाह में खुदाइयां

†२०८७. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के गोरखपुर जिले में बनरसिया (डयोडाहा) को राष्ट्रीय महत्व का पुरातन स्थान स्वीकार कर लिया है।

(ख) क्या हम बनरसिया को बुद्ध भगवान की माता महामाया के जन्म स्थान डयोडाहा मानने की स्थिति में हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, इस का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है।

(ग) जी नहीं।

सांची में स्मारक

†२०८८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सांची के बौद्ध स्मारकों की मरम्मत आदि के लिये भारत सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस काम के लिये कितना व्यय मंजूर करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** :

(क)

वर्ष	व्यय
१९५९–६० .	२५,२०६ रुपये।
१९६०–६१ .	२७,९२६ रुपये।
१९६१–६२ .	३०,१८१ रुपये।

(ख) ४४,३०० रुपये।

उत्तर प्रदेश को लोहा

२०८९. **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई योजनाओं के लिये १९५७ से १९६० तक वर्षवार कितने लोहे की मांग की ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार कितना लोहा दिया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). मांगें वित्त-वर्षवार प्राप्त की जाती है और तदनुसार आवंटन किया जाता है। सम्भवतः माननीय सदस्य उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

प्रदेश सरकार की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिये इस्पात न कि लोहे (अपिधम लोहे) की मांग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहते हैं।

भारत सरकार प्रत्येक योजना के लिये पृथक विनिधान नहीं करती। राज्य सरकारों तथा विभिन्न केन्द्रीय प्राधिकारियों को विकास योजनाओं के लिये इकट्ठे कोटे दिये जाते हैं। बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये इस्पात का विनिधान सैन्ट्रल वाटर और पावर कमिश्नर द्वारा किया जाता है और छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा। इन दोनों प्राधिकारियों से प्राप्त हुई मांगों में सिंचाई की सभी योजनायें सम्मिलित होती हैं और केवल सिंचाई योजनाओं के लिये पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस समय केवल चादरों का विनिधान किया जाता है तथा कोटे दिये जाते हैं।

सिंगरेनी कोयला खानें

†२०९०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में सिंगरेनी कोलिईरीज़ कम्पनी को रेत को व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखने के काम के लिये कितनी अर्थ सहांयता दी गई थी ;

(ख) समवाय ने कितनी राशि का दावा किया था ; और

(ग) असमानता के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) १९६१–६२ के लिये रेत को व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखने के लिये कोयला बोर्ड द्वारा सिंगरेनी कोयला खानों को कोई सहायता मंजूर नहीं की गई।

(ख) कम्पनी अपने दावे के बारे में कोयला बोर्ड से पत्र व्यवहार कर रही है और उसने अप्रैल, १९६२ में १,९७,००० रूपये का पुनरक्षित दावा पेश किया है। उस दावे की छानबीन की जा रही है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र

†२०९१. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठामुड़िया में निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र लगाने की प्रस्थापना किस स्थिति में है ; और

(ख) इस संयंत्र के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). उपलब्ध विशेषज्ञ परामर्श पर ध्यान देते हुये, भारत सरकार ने जायबाद (रानीगंज), कोठामुडियम (सिंगरेनी) और दक्षिण करनपुर में सरकारी क्षेत्र में तीन निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र लगाने का विचार किया था। तथापि तीसरी योजना के कुल प्रस्तावित व्यय तथा दृष्यमान वित्तीय साधनों में बहुत बड़ी न पूरी होने वाली कमी के कारण भारत सरकार ने इस काम के लिये वित्तीय व्यवस्था करना संभव नहीं समझा।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण

†२०९२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा पुरोनिकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब सरकार द्वारा खर्च न की गई कुछ राशि लौटाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी राशि लौटाई गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	लौटाई गई राशि	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९५६–५७ .	०.४३ लाख रुपये	२.३६ लाख रुपये
१९५७–५८ .	१.८७ ,,	११.६३ ,,
१९५८–५९ .	—	४.६९ ,,
१९५९–६० .	०.४८ ,,	०.२२ ,,
१९६०–६१ .	०.७६ ,,	४.९० ,,
योग	३.५४ लाख रुपये	२३.८० लाख रुपये

जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

†२०९३. **श्री मलाई छाभी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम की निधियों में से सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक, मद्रास को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का और यह कब दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत के जीवन बीमा निगम ने ३० लाख रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य के ऋण पत्रों में धन लगाने का फैसला किया है, जब ये ऋण पत्र उस बैंक द्वारा जारी किये जायेंगे ।

भूमिहीन लोगों के लिये भूमि

†२०९४. **श्री सूर्य प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि, जो भूतपूर्व भारतीय राज्यों द्वारा शिविर लगाने के काम में आती थी, बेकार पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि को खेती के लिये भूमिहीन लोगों में बांटने जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

जीपों का आयात

२०९५. **श्री बाल्मीकी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९४७ से अब तक कितनी जीपें विदेशों से मंगाई गईं ;

(ख) वे किस-किस देश से मंगाई गईं ; और

(ग) उन पर लगभग कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) संख्या २०८ ।

(ख) इटली , बेलजियम, यू० के० तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ।

(ग) १३१९ लाख रुपये ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

२०९६. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में लगभग ४०,००० मुकदमें बिना निर्णय के पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) हाई कोर्ट में अवशिष्ट (बकाया) को समाप्ति के लिए उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं । अतिरिक्त न्यायाधीशों की अब तक छः पदों की मंजूरी दे दी गई है और इस संख्या में और अधिक वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है । अन्य किये गये उपाय इस प्रकार है :—

(१) कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ा कर २१० कर दिया जाना;

(२) विशेष मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में किताबों की छपाई तथा दस्तावेजों के अनुवाद को स्थगित कर दिया जाना;

(३) रजिस्ट्रार को अपीलों को स्वीकार करने के लिए आदेश देने का अधिकार दे दिया जाना ; और

(४) मूल व्यवहारवाद में प्रथम अपील के सम्बन्ध में जिला-न्यायाधीशों का आर्थिक अधिकार ५,००० रु० से बढ़ा कर १०,००० रु० कर दिया जाना जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलों का हाई कोर्ट में आने की संख्या में कमी हो जाना ।

मतदान की पुरानी पद्धति

†२०९७. **श्री हेम राज :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या है, जहां १९६२ के चुनावों में चिह्न लगाने की नई पद्धति के स्थान पर शलाका पत्रों की पुरानी पद्धति का प्रयोग किया गया था ;

(ख) उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में जो मत डाले गये हैं उन में अवैध मतों का प्रतिशत कितना है ; और

(ग) चिह्न पद्धति के अन्तर्गत अवैध मतों का प्रतिशत क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अब विधान सभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम दिये गये हैं जहां १९६२ के आम चुनावों में शलाका पद्धति का प्रयोग किया गया था और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में रद्द हुये मतों का प्रतिशत दर्शाया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५**] संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अस्वीकृत मतों को प्रतिशतता मालूम नहीं है ।

(ग) चिह्न प्रणाली के अधीन लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों मे अमान्य मतों के प्रतिशतणसंबंधी सूचना अभी संकलित नहीं की गई है ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापन-शुल्क

२०९८. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक, दिल्ली के अधीन स्कूलों के उन विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता की आय ५,००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होती है, अधिक अध्यापन-शुल्क देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह ५,००० रु० की सीमा उस समय निर्धारित की गई थी जब जीवनयापन व्यय इस समय से बहुत कम था ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि जीवनयापन व्यय के बहुत बढ़ जाने के कारण नियत आय वाले लोगों को ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट अधिक दर अनुसार अध्यापन शुल्क देना बहुत अखरता है ;

(घ) यदि ऊपर के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या ५,००० रुपये की सीमा बढ़ायी जा रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) यह सीमा १९४३ में निर्धारित की गई थी ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

(घ) तथा (ङ). विषय विचाराधीन है ।

कोयम्बटूर में काफी का पकड़ा जाना

†२०९९. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तैयार की गई काफी का बड़ा स्टाक केन्द्रीय आबकारी विभाग द्वारा कोयम्बटूर में एक परिष्करण संस्थान मे बिना बही पर चढ़ा हुआ पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो उस परिष्करण संस्थान का नाम क्या था ;

(ग) इस का ब्योरा क्या है और अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है ;

(घ) जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा और परिष्करण संस्थाओं में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ; और

(ङ) क्या उस परिष्करण संस्थान को इस घटना के पश्चात् भी काफी बोर्ड का अभिकरण रहने दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). मैसर्स पीर्स लोसली एंड कंपनी, कोयम्बटूर के भूमृहर्म में स्टाक और लेखा की जांच के दौरान १००,७४१.८० किलोग्राम तैयार काफी स्पष्टत:, केन्द्रीय ग्राबकारी नियमों के उल्लंघन में, बिना बही पर चढ़ी हुई पाई गई और यह काफी पकड़ ली गई। जांच पूरी हो चुकी है और कारण बताओ नोटिस कंपनी को दिया जा चुका है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। क्षेत्रीय कर्मचारियों को परिष्करण संस्थानों की ऐसी अनियमितात्रों की निगरानी करने के लिये सचेत कर दिया गया है।

(ङ) समझा जाता है कि परिष्करण संस्थान अभी तक काफी बोर्ड का अभिकर्ता बना हुआ है।

कछार जिले में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज

†**२१००. श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने विदेशी सहायता के साथ आसाम के कछार जिले में एक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज स्थापित करने का फैसला कर लिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार से कोई मत प्राप्त किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ;

(घ) यह कालेज किस योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया जा रहा ह ; और

(ङ) कालेज किस संभावित अवधि के अन्दर स्थापित किया जाएगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) आसाम के लिये एक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज मंजूर किया गया है और इसके लिये सिल्चर का सुझाव दिया गया है। कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(ख) और (ग). चूंकि कालेज राज्य सरकार के परामर्श के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित किया जा रहा है राज्य सरकार के मत जानने का प्रश्न पैदा नहीं होता। कालेज इंजीनियरी की उपाधि की पढ़ाई करायेगा और इसमें २५० विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना।

(ङ) यह विचार किया गया है कि कालेज को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में आरंभ होना चाहिये ।

मद्रास की लोहे और इस्पात की आवश्यकतायें

†**२१०१. श्री इलयापेरूमाल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों के लिये मद्रास राज्य की लोहे और इस्पात की कुल अनुमानित आवश्यकताएं क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य की कुल आवश्यकताएं १९६१–६२ के लिये पूरी की गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क)

इस्पात—

१९६०-६१	६०९४२ टन	
१९६१-६२	३६४३८ टन	(चादरों और तारों की सीमित श्रेणियों के लिये)

कच्चा लोहा—

१९६० .	२४११३ टन
१९६१ .	२९०८० टन।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों के लिये मद्रास राज्य की लोहा और इस्पात संबंधी आवश्यकताएं मालूम नहीं हैं ।

(ख) और (ग). जी नहीं । उपलब्धि में कमी होने के कारण तथा वाल्टेयर के भरे माल डिब्बों के आने जाने पर बार-बार की रुकावटों द्वारा उत्पन्न परिवहन कठिनाइयों के कारण ।

पंजाब में कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान

†२१०२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजाब के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) १९६२-६३ मे इन संस्थाओं को कितनी राशि देने के लिये रखीं गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ६७७९,२७८.०६ रुपये ।

(ख) कोई अनुदान १९६२-६३ के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं नियत किया गया ।

सेना इंजीनियरी सेवा

†२१०३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एम० ई० एस० के पहली श्रेणी के कितने अफसरों को स्थायी बनाया गया है ; और

(ख) उन्हें किस तारीख से स्थायी हुआ समझा जाएगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). १११ अफसर १-४-५९ से या पहली तारीखों से स्थायी बनाये गये हैं और २७ अफसरों को १-४-५९ के बाद विभिन्न तारीखों से स्थायी किया गया है । १८ अफसरों के संबंध में अधिसूचनाएं इस महीने के आरंभ में जारी की गई थीं । अन्य अधिसूचनाओं के बारे में आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

पंजाब में लोक सहायक सेना शिविर

†२१०४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से लोक सहायक सेना योजना की प्रशिक्षण अवधि एक महीने तक बढ़ा दी गई थी तब से पंजाब में कितने शिविर लगे हैं ; और

(ख) होशियारपुर तथा कांगड़ा के जिलों में कितने शिविर लगे थे तथा उनमें कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). १ मई १९५५ को इसके आरंभ होने के पश्चात्, लोक सहायक सेना का प्रशिक्षण हमेशा ३० दिन के लिये रहा है, केवल सीमा क्षेत्रों में शिविरों की अवधि १ जनवरी १९६१ से बढ़ा कर ६० दिन कर दी गई है ।

१ मई १९५५ से, १३१ शिविर पंजाब में लगे हैं जिनमे १४ सीमा शिविर थे । इनमें से क्रमशः १० और ११ शिविर होशियारपुर तथा कांगड़ा जिलों में लगे थे जिनमें क्रमशः ४६९४ और ४४७४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति के लोग

†२१०५. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पंजाब से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति बैठे थे ; और

(ख) इसी अवधि में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों को चुना गया था ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है । संभव होने पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को पारिश्रमिक

†२१०६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिश्रमिक बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों के बीच समझौता हो गया है ;

(ख) समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) समझौते के वितीय पहलू क्या हैं ; और

(घ) क्या देश की अन्य इस्पात परियोजनाओं में इसी प्रकार की पारिश्रमिकों में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों तथा इस्पात श्रमिक संघ, भिलाई में हाल में ही एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार चालन कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए पारिश्रमिक बढ़ाने तथा चालन की ओर ही के अनुसचिवीय कर्मचारियों के काम के घंटे कम करने का तय हुआ था । समझौते के द्वारा चालन के कुछ पदों की मजूरियों में असमानता हटाई गई और अनुसचिवीय कर्मचारियों के काम के घंटे कम करने से इसी प्रकार से अन्य कर्मचारियों के समान ही काम के घंटे बनाये गये ।

(ग) समझौते के अनुसार प्रति मास ९००० रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा ।

(घ) हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन अन्य इस्पात संयंत्रों में जब भी इस प्रकार की असमानताओं का पता लगता है तभी संयंत्र अधिकारी उन पर विचार करते हैं और इन असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं जिसमें हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड में समान स्तर कायम हो जाये ।

†मूल अंग्रजी में

मेहसाना जिला (गुजरात) में तेल का ड्रिलिंग

†२१०७. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मेहसाना, गुजरात में तेल के कितने कुएं खोदे गये ;

(ख) इनमें से कितनों में सफलता मिली ; और

(ग) क्या मेहसाना जिले में ड्रिलिंग के लिए और कोई स्थान चुना गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) चार ।

(ख) तीन कुओं से तेल निकल रहा है तथा चौथे की जांच हो रही है ।

(ग) अदराज मेरडा और सनंद ग्रामों के बीच निकट भविष्य में ड्रिलिंग होगा ।

१० मई की छुट्टी की घोषणा

†२१०८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम को आरम्भ करने वाले दिवस को मनाने के लिए १० मई को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: ऐसा कोई प्रस्ताव विचाधीन नहीं है ।

दिल्ली में पूर्व निर्मित स्कूल

†२१०९. { **श्री इ० मधुसूदन राव** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय तम्बुओं के स्थान पर कितने स्कूलों के पूर्व निर्मित भवन बना दिये गये हैं ; और

(ख) इन पूर्व निर्मित स्कूलों की कुल लागत क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ज़िला चांदा (महाराष्ट्र) में शास्ती कोयला खान

†२११०. **श्री हरि विष्ण कामत** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चांदा ज़िला महाराष्ट्र में शास्ती कोयला खान को बन्द कर देने का हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). शास्ती कोयला खान में ज़मीन के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९६२ तक रोक दी जायेगी यदि प्रबन्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक संरक्षणात्मक कार्य करने में असमर्थ रहा तो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का उत्पादन (मध्य प्रदेश)

†२१११. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या खान और ईंधन मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले गोटीटोरिया और मोहपानी क्षेत्रों में कोयला उत्पादन का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) १९५७ से १९६१ के बीच कोयले का कितना उत्पादन हुआ था ; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में कार्यक्रम तथा योजना का ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (घ). मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के गोटीटोरिया और मोहपानी क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

कर से छूट

†२११२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कर की छूट कितनी दी गई है ; और

(ख) इनमें से कौन सी छूट उद्योग के गैर सरकारी क्षेत्र को नहीं दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). आय-कर अधिनियम तथा सम्पत्ति-कर अधिनियम के अधीन सरकारी उपक्रमों को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है । दान कर अधिनियम के अधीन सभी समवायों (आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा १०४ के अधीन आने वाली समवायों के अतिरिक्त) को दान कर से छूट दे दी गई है । भारत के रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा ४८(१) के उपबन्ध के अनुसार भारत के रिज़र्व बैंक को आय-कर से छूट दे दी गई है । निक्षेप बीमा निगम अधिनियम १९६१ की धारा ३० के अधीन उपबन्ध के अनुसार निगम की स्थापना के पृथक लेख वर्ष तथा उसके बाद के चार वर्षों तक निक्षेप बीमा निगम को आय-कर छूट दे दी गई है । आय-कर अधिनियम में जो भी छूट दिये जाने की व्यवस्था है वह सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को समान रूप से उपलब्ध हैं ।

सीमा शुल्क में भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है । सरकारी उपक्रमों को सीमा शुल्क से छूट नहीं दी गई है ।

संघ उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में भी सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है ।

विदेश जाने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा देना

†२११३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ वर्षों में कितने भारतीय राष्ट्रजन विदेश गये तथा किन देशों को ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में विदेशों को गये इन भारतीय राष्ट्रजनों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई तथा कितनी खर्च हुई ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) किसी एक व्यक्ति को अथवा दम्पत्ति को कितनी अधिकतम विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई थी तथा उनके नाम क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). प्राप्य ब्योरे का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) विभिन्न प्रयोजनों के लिये निर्धारित विभिन्न आधारों पर विदेशी मुद्रा दी जाती है । व्यक्तिगत मामलों में दी गई रकम की तुलना करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

आगरा विश्वविद्यालय के अधीन कालेज

२११४. **श्री ओंकार सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस समय कितने डिग्री कालेज चल रहे हैं ;

(ख) इस विश्वविद्यालय के कार्य-क्षेत्र में कौन-कौन से जिले आते हैं ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी डिग्री कालेजों के नामों की एक सूची जिलेवार सभा पटल पर रखी जायगी ।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ११० ।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

पाकिस्तान को वापस भेजे गये पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†**२११५. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२--१९६२ में भारत में अवैध रूप से आए हुए कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन वापस भेज दिये गये थे ; और

(ख) राजस्थान, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, आसाम और त्रिपुरा तथा मनीपुर राज्यों में उनकी संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी को जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब, हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना को लेते हैं । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकता--मध्य): महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने जांच की है । शायद कल तक सरकार के पास जानकारी आयेगी ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : पी० टी० आई० ने यह रिपोर्ट न्यूयार्क से २४ मई को परिचालित की । वाशिंगटन में हमारे दूतावास अथवा न्यूयार्क में उसकी शाखा ने इस रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया है । चूंकि कम से कम ४ या पांच दिनों के लिए इस रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया गया है अतः आप स्थगन प्रस्ताव द्वारा इस मामले पर चर्चा की अनुमति दें । कल चर्चा होनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक सरकार को इस विषय सम्बन्धी तथ्य नहीं मिल जाते, हम इस मामले की चर्चा नहीं कर सकते। स्थगन प्रस्ताव पर तभी चर्चा हो सकती है जब तथ्यों को मान लिया जाए। बिना तथ्यों के किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : सारा संसार जानता है, परन्तु सरकार नहीं जानती। क्या यह तात्पर्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सरकार पर आरोप लगाने के लिये भिन्न मामला है। आशा है कि आज सरकार को सारी जानकारी मिल जाएगी। आज प्रातः मुझे बताया गया कि सरकार को एक दिन और चाहिए।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : वे प्रधान मंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा भी हो, तो क्या हानि ?

†**श्री प्रभात कार** : यह तो तथ्य का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि तथ्य दिए जाएं और प्रधान मंत्री आ जाएं तो माननीय सदस्य के हित में होगा। आशा थी कि आज सरकार के पास पूरी जानकारी होगी।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मन्त्रालय के पास जानकारी आ गई है। हमें प्रधान मन्त्री की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिपोर्ट छपी है उसे माननीय मन्त्री गलत नहीं बता सकते। इसलिये चूंकि प्रत्यक्षतः तथ्य ठीक है, इसलिये कल प्रधान मन्त्री की उपस्थिति में चर्चा के लिये आप अनुमति दे दें।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे कोई आपत्ति नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे चर्चा के लिये कोई आपत्ति नहीं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चर्चा के लिये नहीं; परन्तु प्रस्ताव को निपटाया जाए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या कल इस पर चर्चा होगी या उसे आगे के लिये स्थगित किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : और आगे स्थगित नहीं होगी। तथ्य हैं। प्रधान मन्त्री जी की प्रतीक्षा करनी है। हमें इसे मानना है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यदि प्रधान मन्त्री नहीं हैं, तो जो मन्त्री उनका काम देख रहे हैं वे उसका उत्तर दें। प्रधान मन्त्री की प्रतीक्षा करना प्रक्रिया के विरुद्ध है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सदन को पता है कि प्रधान मन्त्री विदेश कार्य के मन्त्री हैं। इस मामले में एक मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी आते हैं। अतः विदेश कार्य-मन्त्री की प्रतीक्षा करनी उचित है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अब आप जैसा कि पहले अध्यक्षों ने किया है इस चर्चा के लिये समय नियत कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** कल चर्चा की। और क्या चाहिए।

†**श्री ही० ना० मकर्जी** : कल के लिये चर्चा नियत की जाए।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो बाद की अवस्था है। वे समझते हैं कि पहली दो अवस्थायें समाप्त हो गई हैं। सदन की अनुमति ली जाए गी। यह कहना उचित नहीं मालूम पड़ता कि प्रधान मन्त्री जी यहां नहीं हैं। कल को यह मामला लिया जाएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जब इस स्थगन-प्रस्ताव का मामला उठाया गया था, उस समय श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने कहा था कि तथ्य नहीं हैं। अब पता चला है कि चूंकि प्रधान मन्त्री जी नहीं हैं, इसलिये यह मामला स्थगित किया गया था। यदि उस समय तथ्य थे और सदन को नहीं दिए गए तो यह गम्भीर मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। ऐसा कहा गया था कि तथ्य नहीं। इसलिये हमने इस मामले को को स्थगित किया था। तभी तो मैंने कहा है कि कल तक तथ्य मिलेंगे, परन्तु आज भिन्न बात कही गई है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जब यह मामला सदन के सामने लाया गया था, उस समय हमारे पास तथ्य नहीं थे और मैंने यह कहा था कि हम न्यूयार्क से बातचीत की अनुलिपि मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रातः या कल रात तथ्य आ गए हैं। प्रधान मन्त्री जी आ गए हैं। चूंकि इस मामले में मन्त्रिमण्डल के एक मन्त्री का भी नाम है इसलिए विदेश कार्य मन्त्री के लिए ही इस मामले का निपटाना उचित है।

†**श्री त्यागी :** आपने स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय इसलिये स्थगित कर दिया था कि तथ्य नहीं थे। अब तथ्य आ गए हैं और उन्हें देखने में आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं। इसलिये आप अपना निर्णय कल दे सकते हैं। प्रधान मन्त्री जी भी कल यहां होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कल प्रश्न काल के पश्चात् यह मामला लूगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : आपने श्री मुकर्जी से कहा कि उन्होंने मान लिया कि पहली दो अवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। परन्तु गलती तो उपमन्त्री की है। आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कब चर्चा होगी। इसका प्रधान मन्त्री के आने से कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो विशेषाधिकार का मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैंने मन्त्री जी से कहा कि क्या वे चर्चा के लिये सहमत हैं तो उन्होंने नहीं कर दिया। इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : आपके सामने तथ्य हैं। आप निर्णय कीजिए। प्रधान मन्त्री जी के आने का मामला नहीं उठाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल मामला लिया जाएगा। अब सदन कार्य के अगले पद को ले लेगा। श्री हेम बरुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत में प्रतिरक्षा मन्त्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करत हूं कि उस के बारे में वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिलों में २१ और २२ मई, १९६२ को चीनियों का कथित प्रवेश और फोटो लेना।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : गोरखपुर में नेपाल सीमा पर सनौली गांव मे फोटो लेने वालों के कथित प्रवेश के बारे में जांच की गई है। गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया और न हीं इन जिलों में चीनियो ने कोई फोटो लिए हैं। गोरखपुर जिले में सनौली गांव गोरखपुर नेपाल सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पार नेपाल के कुछ मील अन्दर लुम्बनी गांव है। सुनाली और लुम्बनी के नजदीक भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी अतिक्रमण नहीं हुआ है ?

†**श्री हेम बरुआ** : जोगबानी में चीनी अतिक्रमण के बारे में सरकारी रिक्शा खेंचने वाले से ली गई थीं। विदेश मन्त्री ने उसके बारे में कहा था कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। लौंगजू खाली होने के बारे में भी सरकारी जानकारी का आधार किसी यात्री द्वारा दी गई जानकारी थी। इस विषय पर सरकार की जानकारी का आधार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का यह मतलब है कि सरकार जो भी जानकारी देती है गलत है। उन्होंने जानकारी का आधार पूछना है। बाकी जो उन्होंने कहा उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : सेना मुख्यालय ने साधारण साधनों द्वारा जांच की है। सरकार को यह नहीं पता कि वहां से सेना को जानकारी मिली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार का अपना जानकारी साधन है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हां, हमने इस बारे में जांच की है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह मामला २३ तारीख को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठाया गया था। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले का सुरक्षा पहलू संसद् में उठाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य मन्त्री ने कहा था कि जहां तक शान्ति का सम्बन्ध है, वह उत्तर दे सकता था, परन्तु सुरक्षा का मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मन्त्री ने कहा कि चीनियो ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने माना है कि अतिक्रमण था और मामला संसद् में उठाया जा सकता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भी उसे पढ़ा है, वहां यह नहीं माना गया था कि कोई अतिक्रमण हुआ था।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : स्थगन प्रस्ताव में यह था कि गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनी फोटोग्राफर घुस आए। वहां के अध्यक्ष ने यह कहा कि चूंकि यह मामला देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित है, अतः इसे संसद् में भी उठाया जाना चाहिये और सम्बद्ध मंत्री ही इस विषय में कुछ कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका यह मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार ही कर लिया हो।

डकोटा विमान का गिरना

†**श्री मोहसिन** (धारवार दक्षिण) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन और संचार मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में दरभंगा एविएशन के माल वाहक डकोटा विमान का गिरना और उसमें बैठे चार व्यक्तियों की मृत्यु।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : पूर्वी पाकिस्तान के एक जिले राजशाही में २४ मई, १९६२ को दरभंगा एविएशन का एक डकोटा विमान वी० टी०—ए० वाई० जी० गिर गया था। उसमें बैठे चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

वह विमान २४ मई, १९६२ को आसाम के मोरनाय से भारतीय संघ क्षेत्र से होता हुआ कलकत्ता के लिये रवाना हुआ था। उसकी वह उड़ान गैर अनुसूचित थी। उसमें चार व्यक्ति थे। कैप्टेन एच० डी० सिंह, सह चालक डी० एन० मेहरा, रेडियो अधिकारी पी० राय और श्री प्यारा लाल, जिसे उनका अर्दली बताया गया है। विमान से एक बेतार के तार का सन्देश भारतीय समय के अनुसार ५ बज कर २७ मिनट शाम को मिला था कि इंजन ने काम करना बन्द कर दिया था इसलिये पोर्ट प्रोपैलर को चालू किया गया है। बाद में, ६ बजे एक और सन्देश आया था कि स्टार बोर्ड का इंजन अत्यधिक गरम हो उठा है और इसीलिये आपातकालीन रूप में विमान को उतारने के लिय बेलूरघाट की ओर जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद विमान से कोई सन्देश नहीं मिला। जब विमान बेलूरघाट में नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हुई। उसकी तलाश के लिये भारतीय असैनिक विमान और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भेजा गया एक दस्ता भी गया था। विमान से देखने पर उसका पता नहीं चल सका। २६ को सुबह राजशाही के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एक सन्देश मिला कि एक विमान वहां गिरा है और उसमें बैठे चारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ढाका के हवाई अड्डे के अधिकारी ने ट्रंक टेलीफोन द्वारा उसी सन्देश को डमडम हवाई अड्डे के अधिकारियों के पास भेज दिया।

मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को लेकर दरभंगा एविएशन का एक विमान १२ बज कर ८ मिनट पर २७ मई को इशुर्डी हवाई अड्डे (पूर्वी पाकिस्तान) की ओर चल दिया था। अब सूचना मिली है कि इशुडी में शवों का अन्तिम संस्कार कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। उस जांच में भाग लेने के लिये हमारा दुर्घटनाओं का मुख्य इंस्पैक्टर २९ मई को ढाका पहुंच जायेगा।

†**श्री मोहसिन** : क्या सरकार को दुर्घटना के कारणों का पता चला ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : अखबारों में समाचार था कि मृतकों के शवों को लाने के लिए एक दूसरा विमान भेजा गया है। अब माननीय मन्त्री कहते हैं कि उनको दफना दिया गया है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : हाल की सूचना के अनुसार तो उनके शवों को पाकिस्तान में ही घटना-स्थल के पास दफना दिया गया है।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : डकोटा विमान अक्सर गिरते रहते हैं तो क्या सरकार ने यह हिदायत दे दी है कि उड़ानें भरने से पहले उनकी खूब बारीकी से जांच-पड़ताल कर ली जाये कि वे उड़ान भरने योग्य ह या नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अक्सर गिरने की बात तो सही नहीं है। अब तो दुर्घटनायें बहुत ही कम और कभी-कभी ही होती हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में गिनी-चुनी दुर्घटनायें ही हुई हैं। जहां तक विमानों की उड़न-क्षमता की जांच-पड़ताल का सम्बन्ध है, उसके नियमों का बड़ा सख्ती से पालन किया जाता है।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : क्या उस विमान को उड़न-क्षमता की योग्यता का प्रमाणपत्र दिया गया था; यदि हां, तो कब ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरे पास वह सूचना नहीं है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उस विमान में उड़न-क्षमता थी ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : समाचार पत्रों में समाचार है कि विमान की तलाश के लिये एक दूसरा दस्ता भी भेजा गया था। क्या उसने विमान और उसकी दुर्घटना के स्थल का पता लगा लिया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : राजशाही जिले की स्थानीय पुलिस को २६ की सुबह विमान की स्थिति का पता चला और ढाका को खबर भेज दी थी। ढाका से वह समाचार हमें भेजा गया था। ढाका से एक पाकिस्तानी दस्ता २६ को एक छोटे से विमान द्वारा घटना-स्थल पर भेजा गया था। वह दस्ता राजशाही से फिर जीप द्वारा घटना-स्थल पर गया था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६२

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक १ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११९० में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१४५/६२]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम और अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मै निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों के बारे म तारांकित प्रश्न संख्या २८९ पर श्री हरिश्चन्द्र माथुर के अनुपूरक प्रश्न के २९ मार्च, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

प्रश्न : माननीय मन्त्री ने स्वयं कहा है कि विशेष शक्तियां ग्रहण करने के बावजूद यह कई वर्ष से होता आया है। क्या गतवर्ष के दौरान कोई प्रभावशाली कदम इसके लिये उठाये गये हैं और उस काल में कितने अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया है ?

उत्तर : दिल्ली के मुख्य आयुक्त के सभापतित्व में एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। उसका प्रतिवेदन आ चुका है और उसके सम्बन्ध में किये गये निर्णयों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की गई है और अतिक्रमण के मामलों को हटाया जा रहा है। जहां तक ठीक-ठीक संख्या का ताल्लुक है, विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित विभिन्न आंकड़े हैं। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अनेक अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया है--५३३ एक मामले में, ३१९ एक दूसरे और ८१४ एक तीसरे मामले में। इतने अनधिकृत निर्माणों को तो गिराया जा चुका है।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३११

(ख) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३५२

(ग) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३८१

(घ) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४२६

(ङ) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७३ **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०--१४७/६२]**

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२४ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--१४८/६२]**

(४) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५ में प्रकाशित बम्बई परिचर्या परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--१४९/६२]**

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१७ में प्रकाशित धर्मार्थ धर्मास्वों के कोषाध्यक्ष बम्बई (पुनर्रचना) आदेश, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--१५०/६२]**

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त पर लाने-ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६२

†**खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८४ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त पर लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--१५१/६२]**

तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर में शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्रीमती रेणुका राय के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने २० मार्च, १९६२ को कहा था कि पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है । वह उत्तर श्री अ० मु० तारिक द्वारा अमरीकी पुस्तकों के सस्ते पुनः प्रकाशन के बारे में पूछे गये मूल तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के अनुपूरक प्रश्नों के सिलसिले में दिया गया था, जो २०-३-१९६२ को उत्तर के लिये सभा में लिया गया था ।

अब मुझे सूचना मिली है कि उक्त वक्तव्य में अनुवाद के परिमाण के बारे में छोटी सी त्रुटि रह गई थी । सही स्थिति यह है कि "अभी तक पुस्तकों की विषय-सूची का अंग्रेजी अनुवाद ही तैयार हो पाया है ।"

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मने तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में १८ मई, १९६२ को कहा था कि मैं आसाम और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित खाइयों पर पाकिस्तानी फौजों के कथित कब्ज़े के बारे में जांच करूंगा । उसकी जांच की जा चुकी है ।

२३ अक्तूबर, १९५९ के भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा करार के अनुसार चालू सीमा के दोनों ओर १५०गज़ के फासले में स्थित सभी खाइयों को भर दिया जाना चाहिये था । अभी तक पाकिस्तान ने उस करार का कोई उल्लंघन नहीं किया है ।

मैं यह भी बतला दूं कि सरमा नदी के परिनगर क्षेत्र में, जहां नागा विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिये सीमा पार की थी, चालू सीमा के दोनों ओर १५० गज़ के फासले में कोई भी खाई नहीं थी, भारत-पूर्वी पाकिस्तान करार के प्रवृत्त होने के समय भी नहीं थी । तब से न तो भारत और न पाकिस्तान ने ही इस क्षेत्र में कोई खाइयां तैयार की हैं ।

श्री हेम बरुआ ने अनुपूरकों के दौरान कहा था कि आसाम सरकार ने पाकिस्तानी फौजों द्वारा खाइयों पर कब्ज़ा करने के सिलसिले में पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा था । आसाम सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि उसने इस मामले में ऐसा कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा है।

अनुदानों की मांगें--जारी

शिक्षा मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी श्री सुमत प्रसाद अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फरनगर) : मैं कल कह रहा था कि हमारे कालेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वोत्तम विद्यार्थी अध्यापन-कार्य को ओर आकृष्ट नहीं होते। वे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने की सोचते रहते हैं।

विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए, प्राध्यापकों की संख्या बड़ी अपर्याप्त है। परीक्षा की पद्धति बड़ी त्रुटिपूर्ण है। विद्यार्थी लोग सस्ते नोट्स पर निर्भर करते हैं।

शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। इस प्रणाली के दो ही उद्देश्य थे : अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों को अंग्रेजों के अधीन प्रशासनिक कार्य करने के लिये तैयार करना और सरकार के राजभक्त तैयार करना।

अब समाज का उद्देश्य बदलने के साथ-साथ शिक्षा की अपेक्षायें भी बदल गई हैं। अब हमारी सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था की अपनी भिन्न प्रकार की मांगें हैं।

लेकिन शिक्षा की प्रणाली को बदलना आसान नहीं होता। उसके लिये संसाधनों की कमी है। न वित्त है और न प्रशिक्षित प्राध्यापक हो। योजनापूर्ण विकास ने रोजगार की अपार सम्भावनायें पैदा कर दी हैं, लेकिन साथ हो बेरोजगारी भी इसलिये बढ़ रही है कि ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जो विद्यार्थियों को काम करना सिखाये। माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा की एक सीढ़ी के रूप में ही देखा जाता है और डिग्रियों को नौकरी का साधन समझा जाता है। ठीक नौकरी न मिलने पर, युवक निराश हो जाते हैं।

इस शिक्षा प्रणाली से गांधी जी बहुत असंतुष्ट थे। गांधी जी चरित्र-निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे। वह चाहते थे कि विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्तियां जागृत हों। सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है कि प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा दी जाये। उस में दस वर्ष लग जायेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब तक वर्तमान माध्यमिक स्कूलों के स्थान पर बहुयोजनीय स्कूलों की स्थापना न की जायेगी, तब तक समस्या हल नहीं हो सकेगी। उसमें १५--२० वर्ष लग जायेंगे।

विश्वविद्यालय आयोग ने ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की है। उसे स्वीकार किया जा चुका है, पर उस दिशा में कोई अधिक प्रगति नहीं हो पाई है।

शिक्षा के द्वारा चरित्र-निर्माण तभी किया जा सकेगा जब उस में नैतिक और आत्मिक मूल्यों पर जोर दिया जाये। चरित्र-निर्माण के बिना योजनाओं की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। भावात्मक एकता के लिये आवश्यक है कि शिक्षा के स्तर पर गांधी जी का साहित्य भी पढ़ाया जाये। जातियोंऔर सम्प्रदायों के अलग-अलग स्कूल-कालेज नहीं होने चाहियें। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिये।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शीघ्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिये शिक्षा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है।

इधर शिक्षा-विभाग की कार्यवाहियों में बड़ी विविधता आई है। समस्या हल करने का प्रयास किया जा रहा है। पाठ्य-पुस्तकों, अध्यापकों के प्रशिक्षण और तकनीक सम्बन्धी पुस्तकों की समस्या हल करने की कोशिश की जा रही है। देश में ऐसी भी शिक्षा संस्थायें हैं जिन का मूल उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं, व्यवसाय करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी शिक्षा संस्थाओं का प्रसार तो हुआ है। हां, शिक्षा का स्तर गिर गया है। इसलिये कि हमने शिक्षा की नीवें मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी इस समय हम स्नातकोत्तर शिक्षा और विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। नये-नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की होड़ सी लग गई है। अध्यापकों और प्राध्यापकों की उपलब्धियां इतनी नहीं हैं कि सर्वोत्तम विद्यार्थी उस में आना पसन्द करें। अब विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का ग्रेड १,००० से १,५०० तक, रीडरों का ७४० से १,१०० तक और लेक्चरार का ४०० से ६०० रुपये तक कर दिया गया है। परन्तु सम्बद्ध कालेजों में वेतन क्रम अभी इतने नहीं हुए हैं। इसी का नतीजा होता है कि उनकी शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी स्वीकार किया है।

कम से कम मेरे राज्य में तो ६० प्रतिशत शिक्षा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ही दी जाती है। पर वेतन-क्रम नीचे होने के कारण अच्छे प्राध्यापक वहां नहीं आते। वे भारत सरकार की सेवा में जाना अधिक लाभदायक मानते हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की मिट्टी खराब हो रही है।

प्रशिक्षण कालेजों में उन लोगों को लिया जाता है जो और कहीं काम नहीं पा सके हों। प्रशिक्षित प्राध्यापकों को लेने का नियम होने के कारण, हम अप्रशिक्षित प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को नहीं लेते। परिणाम यह होता है कि शिक्षा के प्रकार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तो और भी बुरी है। जहां अध्यापक हैं, वहां स्कूल नहीं हैं। इमारतें गिरती सी खड़ी हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी इमारतें कभी भी गिर सकती हैं।

मैंने शहरों में ऐसे भी स्कूल देखे हैं जिनमें कालकोठरी की तरह का वातावरण रहता है।

और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन इतना होता है जितना कि जिला अन्तरिम परिषदों के चपरासियों का।

जब तक उनकी उपलब्धियां नहीं बढ़ाई जातीं तब तक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करना सम्भव नहीं हो सकेगा। गांवों के अध्यापकों को चुनावों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। उनको सत्तारूढ़ दल के लिये प्रचार-आन्दोलन करना पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि स्कूलों को अन्तरिम जिला परिषदों के नियंत्रण में नहीं रखना चाहिये। उनको शिक्षा विभाग के अधीन रहना चाहिये।

समस्या तभी सुलझाई जा सकती है जब अध्यापकों को गांव-पंचायतों या सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कुछ काम देना चाहिये। उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

अध्यापकगण सामुदायिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं।

आज जो शिक्षा दी जाती है वह हमारे वर्तमान समाज की आवश्यकताओं से सर्वथा असम्बद्ध है। उससे विद्यार्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा नहीं मिलती। हमारे नवयुवक फिल्मी अभिनेताओं और खिलाड़ियों की ओर ही अधिक आकृष्ट रहते हैं। वे समाज के लिये अनुपयोगी रहते हैं।

युवकों में इसके कारण निराशा घर करती जा रही है। और निराशा एक दिन विस्फोटक भी बन सकती है।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व) : हमारे समाज के सामने एक सब से महत्वपूर्ण समस्या है निरक्षरता का क्रिया-कर्म करने की। देश में अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राथमिक स्कूलों तक का नाम नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि आदिम जातियों के उन क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों का प्रसार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दशरथ देव]

फिर प्राथमिक स्कूलों के लिये अध्यापकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। उनके प्रशिक्षण के लिये एक संक्षिप्त सा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

आदिम जाति क्षेत्रों, विशेषकर त्रिपुरा के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि आदिम जातियों के विद्यार्थियों की प्राथमिक शिक्षा उन की अपनी भाषा में दी जानी चाहिये। उन को दूसरी भाषा समझने में कठिनाई पड़ती है।

गैर-मैट्रिक लोगों को अध्यापकों के काम पर इसलिये नहीं लिया जाता कि उस से शिक्षा का स्तर गिरने की संभावना है। यदि प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा सुयोग्य अध्यापकों द्वारा हो, तो वैसा नहीं होगा ; एक तिथि निश्चित कर देनी चाहिये कि तब तक सभी राज्यों को अपने आदिम जाति क्षेत्रों में उन की मातृ भाषा में शिक्षा देने की योजना लागू कर देनी चाहिये।

बिलकुल सही है कि अध्यापकों के वेतन बहुत कम हैं। इसीलिये सर्वोत्तम व्यक्ति इस की ओर आकृष्ट नहीं होते। सारे भारत में अध्यापकों की यही दशा है। उन की उपलब्धियों में वृद्धि की जानी चाहिये।

इसलिये कि वेतन से पूरा न पड़ने पर, अध्यापकों को ट्यूशन करने पड़ते हैं। ऐसे अध्यापक जब स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो न रुचि रह जाती है और न शक्ति। वे पढ़ाई की ओर समुचित ध्यान तक नहीं दे पाते।

मेरा निवेदन है कि त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जहां कि कोई शिक्षा बोर्ड ही नहीं। हमारे यहां के स्कूल पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। हमारी स्कूलों की समस्या पश्चिमी बंगाल के स्कूलों की समस्या से कुछ भिन्न है। हमारे तो लोग आदिम जाति लोग हैं। मेरा अनुरोध यह है कि त्रिपुरा के लिये एक अलग से शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। वहां पर अधिक कालिज खोले जायें। वहां केवल दो कालिज हैं। अगरतला में अध्यापक के लिये एक "प्रशिक्षण" कालिज खोला जाये। इस बात को बड़ी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। त्रिपुरा से देहाती क्षेत्रों में तो एक भी स्कूल नहीं। नगरों में जहां स्कूल हैं वहां गैर-आदिम जाति लोगों की बहु संख्या है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को आदिम जाति लोगों की शिक्षा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

यह बात बिल्कुल गलत है कि त्रिपुरा में लड़कियों के लिये कोई 'होस्टल' है। पता नहीं इस प्रकार के सफेद झूठ से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप गरीब लोगों में शिक्षा का प्रसार चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिये 'होस्टल' में जगह प्राप्त करने के प्रयोजन से ४० प्रतिशत नम्बर लेने की शर्त को ढीला किया जाये। राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के सम्बन्ध में ताराचन्द प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं किया गया। उसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाना चाहिये। संसद् सदस्यों को भी इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुईं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में विदेशी अध्यापकों के स्थान पर भारतीयों को रखा जाये।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जिन माननीय सदस्यों ने हमारे काम की सराहना की है। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे समक्ष बहुत भारी काम है और हमारे साधन सीमित हैं। यदि आप हमारी सीमाओं की अपेक्षा कर के तनिक उस काम पर दृष्टि डालें जो कि हमने किया है तो आप को सही चित्र का पता चलेगा और आप यह जान सकेंगे कि हम ने कितना महान कार्य किया है। विवाद

†मूल अंग्रेजी में

के समय तो स्वभाविकतः अच्छे अच्छे सुझाव प्रस्तुत होते ही हैं और इस थोड़े से समय में सारे प्रश्नों का उत्तर तो दिया नहीं जा सकता, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ही उत्तर दूंगा। श्री वारियर का कहना है कि शिक्षा की दिशा में कोई क्रान्तिकारी परिर्तिन करने में हम सफल नहीं हुए। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति शान्त क्रान्ति से किसी भी प्रकार कम नहीं है। देश में एक सामाजिक क्रान्ति हो रही है और हमारी शिक्षा प्रणाली बदले हुए हालात के अनुरूप सिद्ध हो रही है। लोगों का ध्यान प्राविधिक, वैज्ञानिक, तथा अन्य प्रकार की शिक्षा की ओर आकृष्ट हो रहा है। १९५०–५१ में विज्ञान के लिये १,२७,१६८ विद्यार्थी थे, परन्तु १९६२ में यह संख्या ३,३६,५९१ हो गयी। यह वृद्धि १६५ प्रतिशत है। ट्रेनिंग कालिजों में १९५०–५१ में संख्या ४,१३५ थी, १९६१–६२ में यह बढ़ कर २१,७१८ हो गयी। यह वृद्धि ४२५ प्रतिशत है। इसी तरह कृषि कालिजों में ४७४४ से बढ़ कर संख्या २४,७६४ हो गयी है। यह वृद्धि ४२३ प्रतिशत हैं। चिकित्सा कालिजों में संख्या १५,२६० से बढ़ कर ४४,७८३ हो गयी है। यह वृद्धि १९३ प्रतिशत है। इंजीनियरिंग, प्राविधिक कालिजों में संख्या १२,०९४ से बढ़ कर ५८,१६८ इस तरह यह वृद्धि ३८१ प्रतिशत है। स्नातकोत्तर श्रेणियों में संख्या २१,४२६ से बढ़ कर ७१,७८० हो गयी हैं।

मेरा निवेदन है कि वैज्ञानिक प्राविधिक, एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर झुकाव निश्चित रूप से बढ़ा है। शिक्षा प्रणाली को सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जाता रहा है। समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य हमारे सामने है, और शिक्षा को विकासशील अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता को पूरी करने के योग्य बनाया जा रहा है। समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धान्त हमारे सामने है। गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक बाधायें दूर को जा रही हैं। अनेक राज्यों में निःशुल्क प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की जा रही हैं। पंजाब और मद्रास सरकारें माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। १९४७ में छात्रवृत्तियों पर कुल मिला कर २२.५ लाख का व्यय था, अर्थात् यह कुल शिक्षा का व्यय का ०.३९ प्रतिशत था परन्तु १९५८–५९ में यह बढ़ कर १२.९ करोड़ हो गया। अर्थात् शिक्षा व्यय का ४.८ प्रतिशत हो गया। तीसरी योजना के अन्तर्गत इसे और अधिक बढ़ा देने के लिये कहा गया है। अगले शिक्षा सत्र के आरम्भ होते ही हम छात्रवृत्तियां बढ़ा रहे हैं। अनुमान है कि यह ७० से बढ़ा कर २०० कर दी जायेगी। इस के अतिरिक्त योग्य विद्यार्थियों को ऋण देने की एक अन्य योजना का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है।। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत २४०० छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जायेगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत इस से छात्रवृत्तियों की संख्या १२००० हो जायेगी। इस स और भी आगे बढ़ने की पूरी सम्भावना है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पंजाब के एक माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों के बारे में कहा है कि उन से न्याय नहीं हो रहा मैं इस का पूरे जोर से प्रतिवाद करता हूं। मेरा निवेदन है कि इन जातियों के किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति से इन्कार नहीं किया गया। हम इन जातियों के विद्यार्थियों को ६०,००० छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष दे रहे हैं। जिस पर कि सरकार का २१/२ करोड़ पर व्यय करना पड़ता है। इसी प्रकार का प्रश्न श्रीमती लक्ष्मी बाई ने उठाया है अर्थात् महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न। इस बारे में योजना आयोग में भी चर्चा हुई है और काफी विवाद भी चलता रहा है, परन्तु मेरा निवेदन है कि महिला शिक्षा में भी प्रगति हुई है। छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है। और इस के लिये शत प्रतिशत सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। १९४९–५० में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या ६०,११,३२० अर्थात् १०० लड़कों के पीछे ३३ लड़कियां पढ़ती थीं। परन्तु १९५९–६० में यह संख्या बढ़ कर १,२९,६७,५७९ हो गयी, अर्थात १०० लड़कों के पीछे ४० लड़कियां हो गयीं।

अब हम शीघ्र ही इस आशा में हैं कि पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या में कोई विशेष अन्तर न रहे और प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा उपलब्ध हो सके। देश में महिला शिक्षा के विकास के लिये अग्रेतर सहायता का भी उपबन्ध किया जायेगा।

मैं श्री वारियार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह क्रान्ति नहीं है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज जो लड़के और लड़कियां स्कलो और कालिजो में पढ़ रहे हैं यही हमारे देश में एक भारी सामाजिक क्रान्ति लाने का कारण बनेंगे। भारी परिवर्तन हो रहे हैं। आज के बालक और बालिकायें जब पढ़ लिख कर वास्तविक जीवन में कूदेंगे तो उनका दृष्टिकोण काफी व्यापक हो जायेगा। सामाजिक समस्याओ पर उन की राय संकीर्ण नहीं रहेगी। इस मामले में श्री वारियर ठीक हैं कि हमारे यहां के अनुसन्धान विभाग विश्वविद्यालयों में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। परन्तु मेरा निवेदन कि सरकार की यह है इच्छा है कि विश्वविद्यालयो के अनुसन्धान विभाग कार्य कुशलता में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान प्रयोग एक योजना लागू कर रहा है। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि चुने हुए विश्वविद्यालयो मे अग्रेतर अध्ययन के केन्द्र स्थापित किये जायें। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि आयोग द्वारा नियुक्त एक समितिने कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ नये विभाग खोलने की सिफारिश की थी। वह सिफारिश आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

श्री वारियर का सुझाव था कि हमें बहुप्रयोजनीय विश्वविद्यालय नहीं खोलने चाहियें। उनका सुझाव है कि समुद्रीय अथवा धातुशोधन सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहियें इस बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार शिक्षा के विस्तार तथा उस के गुण प्रकार में समुचित संतुलन को बनाये रखना चाहती है। पश्चिम के एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी जोज अर्टेगा गैसेट ने अपने एक लेख "विश्वविद्यालयो का उद्देश्य" में इसी विचार का प्रतिपादन क किया है। हमें शिक्षा के साथ साथ लोगों को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यो को सिखाना है। इस के बिना शिक्षा अधूरी है।

श्री हेम बरुआ का यह कहना भी आश्चर्य जनक है कि हमारे विदेशों में जाने वाले हमारे विद्यार्थियों को अपने देश का भी समुचित ज्ञान नहीं होता। हो सकता है कि किसी एक आध मामले में ऐसा हुआ हो परन्तु सामान्यतः ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड, रूस और अमेरिका में हमारे बहुत से विद्यार्थी बस ही गये हैं क्यों कि वहां के लोग उनका बहुत आदर करते हैं। मेरा निवेदन है कि हमें अपनी नयी पीढ़ी के युवकों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिये। हर पुरानी बात अच्छी है और नयी बुरी है, इस दृष्टि- कोंण को अब छोड़ देना चाहिये।

तब उसने युवक मेले के बारे में कुछ कहा। युवक मेला बहुत लोकप्रिय रहा है। एक वर्ष तक हमने इसे नहीं किया, फिर लोगों की मांग पर इसे करना पड़ा। श्री हेम बरुआ की यह बात गलत है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के जोश में सरकार कोटि को बलिदान कर रही है। यह बात ठीक है कि शिक्षा पर दबाव बहुत पड़ रहा है, सभी दिशाओं में शिक्षा का विस्तार हो रहा है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह भारत के लिये कोई नई चीज नहीं है। कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड में भी ऐसा हो रहा है। शिक्षा का लोक तंत्री कारण होगा तो स्तर कुछ न कुछ तो गिरेगा ही।

हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि हमारे स्कूलों और कालिजों में बहुत से विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। कठिनाई ये है कि इन लोगों का घरेलू वातावरण शिक्षा के अनुकूल नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसे घरों के हैं जहां उनके माता पिता ने भी कभी शिक्षा ग्रहण ही नहीं की, तो इसका भी तो कुछ सामूहिक प्रभाव होगा ही। परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इन कठिनाइयों के कारण हम अपनी

शिक्षा का विस्तार बिल्कुल बन्द कर दें। श्री बरुआ की बात सही है कि शिक्षा की कोटि में भी सुधार होना चाहिये, और सरकार इसके प्रति भी जागरूक है, परन्तु क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का प्रसार जरूरत से अधिक हो चुका है। जो लोग शिक्षा के निस्तार को बन्द कर देने की बातें करते हैं उन्हें मेरा निवेदन है कि वह अपनी शिक्षित आबादी का मुकाबिला अन्य देशों की शिक्षित आबादी से करें तो उन्हें स्थिति का पता चलेगा। भारत में हर १० लाख के पीछे २४,०० विद्यार्थी ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय की शिक्षा तक जाते हैं, जब कि फ्रांस में यह संख्या ३८८० है, आस्ट्रेलिया में ६१६० और जापान में ७१३० है। इसी प्रकार १०,०६० रूस में और १६,६७० अमरीका में है इस स्थिति में यदि हम भारत में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, तो हमें उस पर कुछ भी खेद नहीं है। बल्कि मैं तो यह भी चाहता हूं कि प्रसार और भी तीव्र गति से हो। यह ठीक है हमने कोटि और मात्रा में समुचित सन्तुलन अवश्य कायम रखना है। इस समस्या का तो हल करना है यह नहीं कि शिक्षा का प्रसार ही बन्द कर दिया जाय।

इस बारे में हमने बहुत से काम किये हैं। तीसरी योजना के अन्त तक स्कूलों का पुनर्गठन कर रहे हैं। सभी स्कूलों को हम बेसिक स्कूल बना रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर हम स्कूलों को बहुउद्देश्यीय स्कूल बना रहे हैं। यद्यपि अध्यापकों के अभाव के कारण ये स्कूल बहुत अधिक सफल नहीं रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये हम चार केन्द्रीय क्षेत्रीय कालिज खोल रहे हैं। ये कालिज भोपाल, मैसूर, अजमेर और भुवनेश्वर में होंगे। इसी प्रकार शिक्षा की कोटि के सुधार के लिये भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं समय समय पर मैं सदन को इस बारे में बताता भी रहता हूं। हमने शिक्षा अनुसंधान विद्वानों परिषद् की स्थापना की है। उसके अन्तर्गत केन्द्रीय साहित्य समिति की स्थापना की है। बहुतसे बिद्वानों को साहित्य निर्माण के कार्य में लगाया गया है। आधुनिक राष्ट्रीय एकता समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिये। हम पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का एकाधिकार नहीं लेना चाहते न ही राज्यों को ही ऐसा करना चाहिये। परन्तु एक दो वर्षों तक हम अपनी पुस्तकें मंडी में फेकेंगे। शिक्षा संस्थाओं को उसका मूल्य आंकना चाहिये। यदि वे अच्छी न हों तो उन्हें फेंक दें, परन्तु यदि अच्छी हों तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

स्तर के बारे में मेरा निवेदन है, कि स्तर तो अध्यापकों का होता है। यदि हमारे शिक्षकों में असन्तोष हो तो शिक्षा के स्तर में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा मंत्रालय का यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि शिक्षकों के स्तर को सुधारा जाये। हमने जो कुछ किया है वह मैं बताना चाहता हूं। आज जो भी वेतन अध्यापकों को दिये जा रहे हैं, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं। काफी सुधार की गुंजाइश है। गतवर्ष से इस बारे में भी काफी सुधार हुआ है। पहले प्रारम्भिक स्तर पर १९४९-५० में अध्यापक का वार्षिक वेतन ४७९ रुपये था, १९६१ में यह बढ़ कर ८१५ रुपये हो गया है। १४ करोड़ रुपये की व्यवस्था विशेष रूप से इसके लिये की गयी है। मिडिल स्कूल के अध्यापकों के वेतनों में भी सुधार किया गया है। १९४९-५० में मिडिल स्कूल के अध्यापकों का वार्षिक वेतन ५७० था जो १९६१ में बढ़कर ११०० हो गया है। तीसरी योजना के अन्त तक यह बढ़ कर १२०० रुपये ही जायेगा। इसी तरह माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वार्षिक वेतन १९४९-५० में ११६२ था जो १९६१ में बढ़ कर १६०० हो गया, और तीसरी योजना के अन्त तक इससे १७०० रुपये तक पहुंच जाने की सम्भावना है। राज्यों में भी इस तरह के सुधार के सभी पग उठाये जा रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बहुत ही कम थे।

हम राज्य सरकारों से यह निवेदन कर रहे हैं कि वह त्रिसूत्रीय लाभ-योजना को लागू करे अर्थात् विषय निधि-वेतन वृत्ति बीमा योजना लागू करे। यह लागू होना शुरू हो गयी है, मद्रास राज्य

में आरम्भ हो गयी है। बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार हो रहा है। राजस्थान में तो जो अध्यापक पंचायत समितियों के स्कूलों में काम करते हैं, उन्हें भी सरकारी अध्यापकों के प्राधिकार प्राप्त है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी अध्यापकों के लिये वेतन वृत्ति योजना लागू की गयी है। इसी तरह की योजना आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी लागू की गयी है। यदि उपरोक्त योजना सब राज्यों ने लागू कर दी तो शिक्षक लोग काफी संरक्षित हो जायेंगे। उनकी वृद्धावस्था के लिये समुचित व्यवस्था हो जायेगी। हमने प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के बच्चों के लिये भी एक योजना बनाई है। जिसे अभी आरम्भ किया गया है। जिसे अभी हाल में ५ हजार छात्र वृत्तियों की व्यवस्था की गयी हैं, परन्तु निकट भविष्य में धन उपलब्ध होते ही इन छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ा दिया जायेगा।

रेलवे सम्बन्धी जो हिदायत देने की बात श्री बैरो ने की है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो रेलवे में हिदायत शिक्षकों को दी जाती है, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। यद्यपि इस हिदायत को रेलवे मंत्रालय द्वारा पुनः चालू कर दिया गया है, परन्तु अध्यापकों से मैं जरूर कहूंगा कि वे इस बारे में तनिक जिम्मेदारी से काम लें। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के बारे में योजना आयोग ने एक और योजना बनाई है, जिसके लिये ५० प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी। राज्य सरकारें चाहेगी तो उन्हें ५० प्रतिशत दे दिया जायेगा। इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। एक योजना यह भी है कि शिक्षक बनने के लिये लोगों को आकृष्ट करने के विचार से कर्जा छात्रवृत्ति दी जायेगी। कुछ आर्थिक और सामाजिक वातावरण ही ऐसा है कि योग्य व्यक्ति अध्यापन व्यवसाय की ओर आकृष्ट नहीं होते। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक बनने के लिये युवकों को प्रेरणा दी जायेगी। योग्य लोगों को इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी, जो कि १० वर्षों में उनसे वापिस ले ली जायेगी। आस्ट्रेलिया में काफी वर्षों तक इस प्रकार की योजना चलती रही है और इससे अध्यापन व्यवसाय की ओर योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने भी एक योजना बनाई है, जिसके अनुसार योग्य अध्यापकों की सहायता की जायेगी ताकि वे यदि चाहे तो अनुसंधान कार्य को जारी रख सके। एक शिक्षक को ४००० रुपये मानदेय के रूप में और १,००० रुपये वार्षिक अन्य खर्चों के लिये दिये जायेंगे। इस योजना के अनुसार योग्य अध्यापकों के अनुभव का उनके सेवा निवृत्त हो जाने के बाद भी उठाया जाता रहेगा।

सदन को पता है कि हमने राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था का निर्माण किया था। इसके लिये हमें सभी राज्यों से सहयोग प्राप्त हुआ है। इससे भी शिक्षकों और उनके परिवारों की काफी सहायता की जा सकेगी। यह ठीक है कि जो कुछ किया गया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं परन्तु फिर भी मैं यह कहता हूं कि अध्यापकों की दशा को सुधारने के लिये कुछ न कुछ किया जरूर गया है। मुझे आशा है कि इससे उनकी दशा में अवश्य कुछ सुधार होता रहेगा। तीसरी योजना के अन्तर्गत शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय में मतभेद है। योजना आयोग के विचार में यह लक्ष्य यथार्थवादी नहीं है। अतः उनका विचार है कि ७६ प्रतिशत लक्ष्य रखना चाहिये। परन्तु उन्होंने कहा कि यदि हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो इसके लिये अधिक धन दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के भी विशेष रूप से धन दिया जायेगा।

तीसरी योजना के अन्तगत कार्य हमने बहुत ही सन्तोष जनक ढंग से आरम्भ किया है। मूल रूप में हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा कर लेने की पूरी आशा है जिस प्रकार हम चल रहे हैं यदि यही गति रही तो निश्चित ही १९७५ के अन्त तक हम देश में सभी १४ वर्ष के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह ठीक है कि हम संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं कर सके परन्तु उसमें दोष हमारे साधनों का है प्रयत्नों का नहीं। हमने दो आयोग भी स्थापित किये हैं। एक विश्व विद्यालय आयोग और दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग। प्रथम आयोग के अध्यक्ष डा० राधाकृष्णन् हैं और दूसरे के अध्यक्ष लंका स्वांमी मुदालियर हैं। दोनों शिक्षा शास्त्री हैं। हमने गत १० वर्षों में इन आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न किया है। हो सकता है कि हमने भूलें की हों परन्तु इन दो आयोगों के प्रतिवेदन हमेशा सरकार के समक्ष रहे हैं। अब समय आ गया है कि पूर्ण रूप में मूल्यांकन किया जाय। हमारा विचार स्थायी समितिय नियुक्त करने का है। जो स्थायी रूप में सरकार को परामर्श देती रहेगी। इससे लोगों की इच्छाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। लोगों की आवश्यकताओं का सन्तोष-जनक हल निकाला जायेगा।

अतः मेरा विचार चार समितियां नियुक्त करने का है। इन चार समितियों को आप चार आयोग भी कह सकते हैं। आयोग का काम सारे देश में घूम-घाम कर प्रतिवदन तैयार करना होता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद उसका काम समाप्त हो जाता है, परन्तु ये समितियां स्थायी रूप से सरकार को परामर्श देती रहेंगी। यही कारण है में इसे स्थायी समितियों का नाम दे रहा हूं। इनके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(१) इस विशेष क्षेत्र के विविध अंगों में शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाना

(२) अब तक जो सिफारिशें हो चुकी हैं उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया जा सका है। और ऐसा करने से और नयी समस्यायें क्या उत्पन्न हो गई हैं।

(३) बदले हुए हालात में उस विशेष क्षेत्र में शिक्षा के सम्बन्ध क्या लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते हैं।

(४) भविष्य के विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता देने और अपेक्षित सुधार के सुझाव

(५) जिस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है उस पर व्यय का अनुमान।

इन समितियों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि उप समितियां नियुक्त करके समय समय पर छानबीन का पूरा काम किया जाये। इन समितियों में ६ से लेकर ११ सदस्य होंगे और निम्न उनके सभापति होंगे :—

प्राइमरी शिक्षा के लिए, श्री यू० न० ढेबर;

माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रो० जी० सी० चटर्जी;

विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर; और

समाज शिक्षा के लिए डा० मोहन सिंह मेहता।

इन समितियों के काम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

मेरे माननीय मित्र श्री मु० ला० द्विवेदी ने पूछा है कि क्या हम ने गांधीवाद के प्रचार के लिए कुछ किया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दिशा में बड़ा उपयोगी कार्य किया है। इलाहाबाद, दिल्ली, नागपुर, पंजाब और राजस्थान विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत गांधी भवन बन रहे हैं। केरल, कर्नाटक, मैसूर और आंध्र, अलीगढ़ तथा जम्मू और

काश्मीर विश्वविद्यालयों में ऐसे गांधी भवन बनाये जाने की प्रस्थापनायें हैं, जो कि स्वीकार कर ली गयी हैं। गांधीवाद पर विशेष भाषणों की भी व्यवस्था की गयी है। गांधीवादी अध्ययन संस्था को वित्तीय सहायता भी दी गयी है। यह संस्था बनारस में श्री जयप्रकाश नारायण के संचालन में चल रही है। बच्चों के लिए समुचित पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए भी सहायता दी गयी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए २० प्रतिशत स्थान संरक्षित कर दिये गये हैं दाखिले में भी इन जातियों के विद्यार्थियों को रियायतें दी गयी हैं। सरकार का उनके साथ व्यवहार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है। अतः जब पंजाब के एक माननीय सदस्य ने इस बारे में शिकायत की तो मुझे बहुत ही खेद और आश्चर्य हुआ। यह ठीक है कि सरकार ने अपना कर्तव्य किया है परन्तु फिर भी जब कोई उचित और ठीक कार्य किया जाता है तो माननीय सदस्यों को कहना चाहिए कि ठीक कार्य किया गया है।

अच्छी पुस्तकों और दस्तावेजों के अनुवाद के कार्य में भी प्रगति हो रही है। सरकार के विभिन्न विभागों से ४३६ दस्तावेजें प्राप्त हुई थीं, २३९ का अनुवाद हो चुका है। ५,१४६ फार्म प्राप्त हुए थे, ४,७८२ का अनुवाद हो चुका है। जैसे ही अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती कर लिये जायेंगे इस कार्य की गति और अधिक बढ़ जायेगी।

नैशनल बुक ट्रस्ट ने काफ़ी उन्नति की है। लेकिन इसके सामने कुछ कठिनाइयां हैं। प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया है कि इसके काम की सामान्य समीक्षा की जाये। डा० ताराचंद समिति का प्रतिवेदन हमारे पास आ गया है और हम इस ट्रस्ट के पुनर्गठन करने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि इसके काम में और भी जल्दी हो सके।

बनारस विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। मैं आदर्श विधान समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस समिति का नियुक्ति अभी हाल में ही की गई थी और एक दो महीने में इसका प्रतिवेदन मिलने वाला है। उसके बाद ही इन दोनों विश्वविद्यालयों के विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव विशेष रूप से विचारणीय नहीं है। अतः मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये एक साथ रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१३	शिक्षा मंत्रालय .	३४,९१,०००
१४	शिक्षा	१३,४५,६८,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	२,२१,५०,०००
११५	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	७,४८,०००

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

†उपाध्यक्ष महोदय अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा।

वर्ष १९६२–६३ के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	११,४३,०००
६४	प्रसारण	४,२७,९०,०००
६५	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	३,१४,५१,०००
१२९	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२,१०,००,०००

श्री मे० के० कुमारन् (चिरयिन्कील) : इस मंत्रालय का स्तर ऊंचा कर दिया गया है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी, प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवीजन आदि आदि कई इकाइयां हैं। और इन में आकाशवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी की कड़ी आलोचना की गई है। विरोधी सदस्यों ने इसे सत्तारूढ़ दल के प्रचार का साधन बताया है। मेरा यही कहना है कि इसकी सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिये तथा इसे निष्पक्ष बनाना चाहिये। यह देखने में आया है कि यदि सत्तारूढ़ दल किसी कमजोर दल को दबाता है तो यह आकाशवाणी सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेता है और दूसरी ओर यदि विरोधी पक्ष ने किसी को दबाया है तो यह विरोधी पक्ष की निन्दा करता है। यह रवैय्या ठीक नहीं है। इसे निष्पक्षता से काम लेना चाहिये। सही बात को सही और गलत को गलत कहना चाहिये।

आकाशवाणी से जो समाचार सुनाये जाते हैं वे पुराने होते हैं। सवेरे अखबारों में प्रकाशित हो चुके होते हैं उन्हीं को रेडियो से सुनाया जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस दिशा में कुछ करें और शीघ्रातिशीघ्र ही समाचार सुनाने की व्यवस्था करें।

विदेश सेवा में जिन भारतीय भाषाओं में जो समाचार सुनाये जाते हैं उन भारतीय भाषाओं में मलयालम भी शामिल किया जाना चाहिये। मलयालम भाषा के लिये गहुत लम्बे अर्से से मांग की जा रही है। सुना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व मलयालम में भी समाचार सुनाये जाते थे। पता नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्यों बन्द कर दिये गये।

त्रिवेन्द्रम के रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर बहुत ही कमशक्ति वाले हैं। यही कारण है कि त्रिवेन्द्रम के आस पास के लोग भी इसे ठीक ढंग से नहीं सुन पाते। इसलिये इस स्टेशन की क्षमता बढ़ानी चाहिये।

आकाशवाणी की भारतीय भाषाओं में काम करने वाले सब-एडीटरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। उनके साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। उनकी पदवृद्धि भी नहीं की जाती है। है। उनका जीवन व्यर्थ ही में बिगड़ रहा है। उनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी। अब उन से कहा जा रहा है कि वे विभागीय परीक्षा पास करें। मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

विभागीय कलाकारों की स्थिति और भी दयनीय है। उनको स्थायी सेवा में कभी भी नहीं लिया जाता। इसलिये उन को वे सुविधा नहीं मिलती जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं।

कारखाना अधिनियम के अधीन भी वे नहीं आते । अतः एक प्रकार से वे दास हैं । माननीय मंत्री महोदय इस के बारे में भी विचार करें ।

इन कलाकारों को संविदा के आधार पर रखा जाता है । इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ता है । माननीय मंत्री महोदय को इसके बारे में विचार करना चाहिये कि भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात और अधिक न बढ़ें । तथा संविदा के आधार पर की जानेवाली भर्ती को बंद किया जाये ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और सब ही ने इसकी प्रसंशा की है । मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत को भी स्थान दिया जाना चाहिये । इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सन्त, महात्माओं, कवियों एंव अन्य महापुरुष्यों के जीवन चरित्रों को भी सुनाना चाहिये । इससे जनसाधारण के ज्ञान की वृद्धि होती है ।

प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो जिस ढंग से कार्य कर रहा है वह बहुत कुछ सराहनीय नहीं है। भारतीय प्रेस पर यह एकाधिकार की नीति अच्छी नहीं हैं । इससे तो स्वतन्त्रता का हनन होता है । प्रेस के स्वामी किसी और बात की चिंता न करके इन समाचार पत्रों में अपनी ही बातों का प्रचार करते हैं । इस प्रकार के समाचार पत्रों से तो हमारी लोक तन्त्रीय स्वतन्त्रता का हनन होता है। और जिस समाजवाद के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर आघात पहुंच रहा है । अत : माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध मे अवश्य ही कुछ करना चाहिये और इन समचारपत्रों पर जो उद्योगपत्तियों का एक स्वाधिकार है उसे समाप्त करना चहिये अच्छा हो इस बारे में हम लंका के उदाहरण का अनुसरण करें ।

श्रमजीवी पत्रकारों के अखिल भारतीय सम्मेलन ने जिसकी बैठक अभी हाल मे कलकत्ता में हुई थी, यह माग की है कि समाचार पत्रों के स्वामित्व के प्रश्न की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय जो कि इन समाचार पत्रों की स्थिति सुधारने के बारे में भी सुझाव दे ।

संसद् द्वारा एक विधान बनाकर या राष्ट्रपति के कार्टर द्वारा पी० टी० आई० को एक सरकारी निगम बनाया जाये । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई है । पिछली बार यह प्रश्न यहां सभा में उठाया गया था तो डा० केसकर ने बताया था कि प्रेस आयोग ने यह सिफारिश सरकार से नहीं की बल्कि पी० टी० आई० के भागीदारों से की है । यह एक असंभव बात है । क्योंकि पी० टी० आई का नियंत्रण कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके अपने स्वार्थ हैं । अतः वे तो इसे सरकारी निगम कभी भी नहीं बनायेंगे । इसलिये सरकार को ही इस बारे में प्रभावी कदम उठाना चाहिये ।

आकाशवाणी के उद्घोषक नामों तक का सही उच्चारण नहीं कर सकले । अत : हम इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये । मेरा सुझाव हैकि यदि मलियालम भाषी व्यक्तियों को उद्घोषक बन्या जाये तो वे दक्षिण तथा उत्तर भारत के व्यक्तियों के नामों का सही उच्चारण कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त कटौती प्रस्तावों में भी मैं ने कुछ सुझाव दिये हैं । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अवश्य ही इन सब बातों के बारे में विचार करेंगे ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय समाज के निर्माण की दृष्टि से शिक्षा के पश्चात् मैं यह समझता हूं कि रेडियो और सूचना प्रसार विभाग का सर्वाधिक महत्व है। रेडियो विभाग जहां एक तरफ शासन की कार्य प्रणालियों को समाज के सामने व्यक्त करता है समाज को इस बात से अवगत कराता है कि शासन विभिन्न क्षेत्रों में क्या काम कर रहा है वहां साथ ही साथ समाज में एक नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति डालने की भी कोशिश करता है। रेडियो के द्वारा मनोरंजन करते हुए, कला का सहारा लेते हुए, संगीत, साहित्य और नाटक इत्यादि की लोगों के सामने हम इस तरह की चीजें रखने की कोशिश करते हैं जोकि इस प्रगतिशील युग मे समाज में एक नई चेताना उडेलने में सहायक हो सकते हैं। इस दृष्टि से पिछले वर्षों में शासन ने जिन योजनावद्ध तरीके से हमारे देश में काम किया है वह एक बहुत ही बड़ी हद तक संतोषप्रद है और हम मंत्रिमंडल को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर भी हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आज देश के सामने कुछ खास नुक्ते जो हैं, कुछ खास समस्याएं जो हैं उन के निराकरण में अथवा उनको हल करने में रेडियो का हम कहां तक उपयोग कर रहे हैं ?

मैं यह महसूस करता हूं कि आज डिस्इन्टेग्रेशन की जो भावना फैली है उस भावना को दूर करने में -- एक जाति दूसरी जाति से और एक वर्ग का आदमी दूसरे वर्ग के आदमी से अपने को पृथक समझता है और उस पृथकता को दूर करने में -- हम इस विभाग के द्वारा कुछ अधिक सहायता ले सकते हैं।

जब हम रेडियो प्रोग्राम्स की तरफ देखते हैं रेडियो पर होने वाली वार्ताओं की तरफ हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि कुछ सीमा तक इन आवश्यकताओं को पूरा करने को कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी मनोरंजन को इतना अधिक महत्व दिया गया है और प्रचारात्मक तथा स्फूर्तिवर्द्धक सामग्री की इतनी कमी है कि जो खटकने वाली है। मैं चाहूंगा कि शासन इस दिशा में अधिक सजग हो। प्रोड्यूसर्जू, वार्ताओं की व्यवस्था करने वाले, साहित्य का प्रसारण करने वाले और प्रोग्राम्स रखने वाले लोग इस तरफ़ अधिक सजग हों कि मनोरंजन के साथ साथ स्फूर्तिवर्द्धक और एकता स्थापित करने वाला साहित्य अधिक से अधिक समाज के सामने आये।

जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, हमें खुशी होती है कि इस बात को देख कर कि हम ने अपने देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी आज़ादी दे रखी है। लेकिन उस आज़ादी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह हो रहा है और वह आज़ादी इस देश को निर्मित करने में इस को अच्छाई की तरफ़ ले जाने में कहां तक सहायक हो रही है इस तरफ़ हमें अधिक ध्यान देना होगा।

मैं देखता हूं कि डिस्इन्टेग्रेशन की भावनाओं को इधर उधर कतिपय पत्रों ने अधिक ज़ोरों से प्रसारित किया। हमने लोगों को आज़ादी इस लिए नहीं दी है कि वे एक दूसरे का सिर फोड़ें, या एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए लोगों को भड़कावा दें। हमें देखना होगा कि इस आज़ादी का सही सही उपयोग हो। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ मानापलिस्ट्स, कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पत्रों कीचेन्ज़ स्थापित कर रखी है, आज की राष्ट्रीय नीतियों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। हमें इस असहमति से कोई क्षोभ नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें और अपने विचारों का प्रसार करें लेकिन जो विचार समाज में विस्फोट पैदा करने वाले और फूट पैदा करने वाले हैं, उन पर अधिक से अधिक नियंत्रण हो, यह बहुत ज़रूरी है।

पिछले रायट्स के वक्त हम ने इधर उधर कतिपय पत्रों की गतिविधियां देखीं। हम ने कतिपय पत्रों मे गैरज़िम्मेवारी के साथ ग़लत फहमी का प्रसारण देखा। हम चाहते हैं कि वैसे प्रसारण पर अधिक नियंत्रण हो। हम ने ज़िला स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ पत्रों के द्वारा बड़ी

ग़ैर जिम्मेवारी बरती जाती देखी है । मैं समझता हूं कि बड़े अखबार बड़ी बड़ी जगहों तक पहुंचते हैं, लेकिन छोटे अखबारों का कार्यक्षेत्र छोटा होता है और उनकी पहुंच गावों में अधिक होती है । उन द्वारा अगर अच्छी बातें फैलाई जायें तो उनका अच्छा असर हो सकता है, लेकिन अगर उनके द्वारा ग़लत बातें प्रसारित की जायें, तो देश और समाज के अछूते स्तरों तक उन का प्रभाव पड़ने वाला है । इस लिए जहां तक हम बड़े पत्रों की तरफ अध्ययन रखते हैं, वहां छोटे पत्रों पर ध्यान रखने की भी बहुत ज़रूरत है ।

इन्फ़र्मेशन ब्यूरोज़ देश में इधर उधर स्थापित किये गये । उन के द्वारा अच्छा काम हुआ है उन के माध्यम से शासन के कार्य लोगों में प्रसारित किये जा रहे हैं । मुझे दुःख है कि यद्यपि मध्य प्रदेश में ब्यूरो की शाखा स्थापित करने का निश्चय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक उस को स्थापना नहीं हो सकी है । मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश की इधर उधर उपेक्षा हो रही है। बहुतसे उपयोगी काम जो होने चाहियें, उन में पछड़ापन मध्य प्रदेश में हो रहा है । मध्य प्रदेश के सम्बन्ध मे फैसला करते समय कहीं कोई रुकावट आ जाती है । इतना बड़ा प्रदेश और अभी तक वहां ब्यूरो की शाखा न खुल सके, यह एक विचारणीय बात है । अगर वहां पर पिछड़ापन है, तो मैं कहता हूं कि वह एक चुनौती है शासन के लिए । वह पिछड़ापन इस बात के लिए आमंत्रण है कि वहां और पहले ब्यूरो का दफ़्तर खुल जाना चाहिये था और और अधिक ज़ोरों से प्रचार कार्य किया जाना चाहिए था ।

प्रदेशों में रेडियो स्टेशन जो काम कर रहे हैं वह संतोषप्रद हैं । वहां के क्षेत्रों की कला के विकसित होने में वे सहायक हो रहे हैं । वे क्षेत्रीय कलाकारों को लोगों के सामने रख रहे हैं । अच्छी चीज़ है ।लेकिन मैं यह फिर महसूस करता हूं कि कला निरे आनन्द की साधना नहीं है । कला का सम्बन्ध ज़िन्दगी से है और ज़िन्दगी के उन्नयन और ज़िन्दगी के उठाने में अगर कला सहायक नहीं होती है, निरे मनोरंजन की तरफ वह समाज को आकर्षित करती है, तो उस कला की महत्ता इस पिछड़े हुए देश में ज्यादा नहीं हो सकती है ।

हमें यह देखना है कि जिन कलाकारों को क्षेत्रों से हम चुनकर लाते हैं और जिन का हम उपयोग करते हैं, वे आधुनिक युग की भावना से ओत प्रोत हों और उन मे एक ज़ील हो समाज मे प्रेरणा भरने का । उस से जहां इलाके की प्रेरणा मिलेगी वहां साथ ही साथ सत्साहित्य के निर्माताओं को भी प्रेरणा मिलेगी :। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में रेडियो विभाग और अधिक सजग हो कर कार्य करेगा ।

नाटकों का प्रसारण रेडियो के द्वारा होता है । वह एक उत्तम शिक्षा का और समाज में प्रेरणा भरने का एक उत्तम साधन हैं । मैं महसूस करता हूं कि और अधिक समय अगर उस तरह के साहित्य के प्रसारण के लिए दिया जाय, तो समाज के लिए और ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण वार्ताएं प्रसारित होते जब तब हम ने सुनीं हैं। अच्छी योजना है वह । लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जब मैं देखता हूं, तो महसूस करता हूं कि कम ही समय उपयोगी वार्ताओं के लिए दिया गया है। कुछ अधिक समय उपयोगी वार्ताओं के लिए बढ़ाया जाये, यह बहुत ज़रूरी है ।

गांव गांव मे रेडियोज़ का प्रसारण हो रहा है । बहुत अच्छी है यह योजना । रेडियो एक बहुत ही सबल और सफल माध्यम है समाज को उठाने का। यदि कोई अच्छी बात है । मैं समझता

हूं कि रेडियो द्वारा इसका पंद्रह मिनट में सारे देश में फैलाया जा सकता है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि इस माध्यम का अच्छे से अच्छे उपयोग हो, और अधिक अच्छा उपयोग किया जाए।

सिनेमाज़ का भी सवाल आता है। मैं समझता हूं कि देश को मनोरंजन के द्वारा आगे बढ़ाने का इस माध्यम का बहुत बढ़िया उपयोग हो सकता है। शासन के द्वारा सुन्दर फिल्में तैयार हो रही हैं और एक बड़ी हद तक वे समाज के जिन जिन अंगों तक पहुंच सकी हैं, उनको उठाने मे सहायक हुई हैं। तीसरी योजना, द्वितीय योजना के लिए समाज को प्रेरणा देने और उसको आगे बढ़ाने में उनके द्वारा अच्छा काम हुआ है। लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे सामने देश मे दूसरी संस्थाओं द्वारा निर्मित होने वाली फिल्मों का भी चित्र उपस्थित हो जाता है। हमने एक सैंसर बोर्ड की स्थापना की है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इस सैंसर बोर्ड के बावजूद भी देश में इधर उधर की जो पिक्चर्ज़ प्रदर्शित की जाती हैं, उनमें खराबियां कैसे रह जाती हैं। यह शासन की जिम्मेवारी है कि समाज के प्राणों में प्रतिदिन घोले जाने वाले इस ज़हर पर वह ज़ोरों से नियंत्रण लगायें।

यों हम नियंत्रणों के हामी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से और विशेष कर कला की वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि कला के नाम पर समाज का गला घोंटने वाली चीजें, समाज के चरित्र का गला घोंटने वाली चीज़ें प्रदर्शित होती हैं तब यह ज़रूरी है कि ज़ोरदार नियंत्रण लगाया जाए। मुझे मालूम हुआ है कि सैंसर बोर्ड में देश के बड़े समझदार लोग, देश के बड़े विद्वान लोग, अच्छे लोग रखे जाते हैं। लेकिन उनकी सैंसर की कैंचो से निकल करके गलत पिक्चर्ज़ समाज के सामने आयें ऐसी पिक्चर्ज़ आयें, जिनके द्वारा बच्चे जबकटी का पाठ पढ़ें और चरित्रहीनता के आदर्श को अपनी नज़र के सामने देखें उस चरित्रहीनता को अपनी ज़िन्दगी में उतारें और गलत सलत काम करने की प्रेरणा लें तो यह बड़ो शर्मनाक चीज़ है। हम कहां कहां तक नियंत्रण रख सकते हैं? क्या इन नियंत्रणों की कैंची द्वारा काट करके निकलने वाली पिक्चर्ज़ पर फिर से हमको नियंत्रण लगाने की ज़रूरत होगी और फिर से एक और सैंसर बोर्ड बिठाने को ज़रूरत होनी चहिए? अगर ऐसा नहीं है तो शासन को इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए। पिक्चर्ज़ के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर गलत सलत सड़ी गली चीज़ें हमारे सामने आयें जिन से समाज का चरित्र भ्रष्ट हो, तो इसको कब तक सहन किया जा सकता है। कुछ गीत भी जो उन पिकचर्ज़ में होते हैं और जो नन्हे नन्हे बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं, वे भी बड़े शर्मनाक होते हैं और यह एक सभ्य और सुसंस्कृत कहे जाने वाले देश के लिए, उसका माथा नीचे करने वाली चीज़ है। जब कब उनके पोस्टर भी जो इधर उधर लगते हैं, हमने देखा है, वे भी अच्छे नहीं होते हैं और शिष्ट समाज की दृष्टि से उनकी निन्दा ही की जा सकती है। आज शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह और अधिक सजगता के साथ इन चीज़ों पर नियंत्रण करे।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : इस मंत्रालय का स्तर बढ़ा दिया गया है निश्चय ही सरकार इसके लिये बधाई का पात्र है। यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है।

प्रेस आयोग की बहुत सी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। प्रेस के स्वामी हमारी स्वतंत्रता एवं समाजवाद के लिये घातक सिद्ध हो रहे हैं। ये समाचारपत्र आजकल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हरवानी]

कुछ मुट्ठी भर लोगों के ही हाथ में है । अंग्रेजी के ही समाचारपत्र नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र भी कुछ उद्योगपतियों के ही हाथ में हैं । सभी राज्यों में समाचारपत्रों की यही स्थिति है । और यही कारण है कि ये समाचार पत्र जनमत को अपने ही रंग में रख कर प्रकाशित करते हैं । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय समाचारपत्रों के इस एकाधिकार को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह एकाधिकार किस प्रकार तोड़ा जाये । एशिया तथा जापान में यह देखा गया है कि उनके यहां समवाय विधि ऐसा है कि प्रत्येक समाचार पत्र कम्पनी को उस कम्पनी के कुछ प्रतिशत अंश अपने कर्मचारियों को भी देने पड़ते हैं । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय हमारे यहां भी एक ऐसा विधान बनायेंगे जिसके अनुसार इन समाचारपत्रों के स्वामियों को उस समवाय को कुछ अंश अपने कर्मचारियों को भी देने पड़ें और इस प्रकार इन स्वामियों का एकाधिकार समाप्त हो जायेगा ।

अब वह समय आ गया है जब कि पी० टी० आई० को सार्वजनिक निगम बना देना चाहिये । प्रेस कमीशन ने भी यही सिफारिश की है । ऐसा करने से यह लाभ होगा कि जनता को सही एवं ठीक हालात मिलने लगेंगे ।

अभी हाल में आकाशवाणी का काम काफी बढ़ गया है । तथा मंत्रालय ने अच्छे प्रशासकों एवं अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से उसे काफी ठीक किया है और आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य होता रहेगा । विविध भारती कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है । इसके लिये आकाशवाणी बधाई का पात्र है ।

जहां तक आकाशवाणी द्वारा समाचार सुनाने की बात है उसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है लेकिन अभी तक यह पी० टी० आई ० पर निर्भर करता है । मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी को प्रत्येक क्षेत्र एवं केन्द्र में अपने संवाददाता भेजने चाहिये ताकि उनसे सही समाचार मिल सकें और इस तरह पी० टी० आई० पर निर्भरता कम हो जायेगी ।

आकाशवाणी की विदेशी समाचार सेवा में विदेशियों का ही एकाधिकार है । हमने भारतीयों को अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया है । मेरा सुझाव है कि उन्हें इस काम के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । जिससे कि भविष्य में हम उन पर निर्भर न रहें ।

टेलीविजन व्यवस्था का प्रसार अधिक से अधिक रूप में करना चाहिये । कम से कम बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई से इसका प्रचार काफ़ी मात्रा में किया जाना चाहिये यदि इसके लिये हमारे पास धन की कमी है तो हमें इसके लिये साधन जुटाने चाहियें ।

आकाशवाणी से बोली जाने वाली हिन्दी को सरल बनाया जाये ताकि जनसाधारण भी इसे आसानी से समझ सके । संस्कृतमयी हिन्दी का प्रयोग आकाशवाणी से किया जाता है । आशा है कि इस दिशा में अवश्य ही कुछ सुधार किया जायेगा ।

जहां तक चलचित्र व्यवसाय की बात है । उसमें सुधार किया जाना चाहिये । अच्छे चित्र बनाने वालों को सरकार कुछ प्रोत्साहन दे ।

श्री यु० द० सिंह (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने कुछ विचार इस सदन में रखने का समय दिया। आज मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आल इंडिया रेडियो के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

पिछले साल ८ जून को आल इंडिया रेडियो ने अपनी रजत जयन्ती मनाई थी। आल इंडिया रेडियो को स्थापित हुए २५ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच आल इंडिया रेडियो ने काफी प्रगति की है। रेडियो विभाग में अधिकारियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। उनके वेतन भी पे कमिशन की सिफारिशों के अनुसार बढ़ते रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि रेडियो में काम करने वाले कलाकारों, संगीतकारों और वक्ताओं के पुरस्कारों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार यह नहीं मानती कि कलाकार, संगीतकार और वक्ताओं के जीवन पर बढ़ती हुई मंहगाई का कोई असर पड़ा है।

यदि आप रेडियो विभाग के इस माली साल के खर्चे की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इस साल कुल ४६४.८१ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से अफसरों के वेतन पर ३४ लाख ३३ हजार रुपये, अन्य कर्मचारियों के वेतन इत्यदि पर १ करोड़ २५ लाख रुपये, दूसरे भत्तों पर ३२ लाख १२ हजार रुपये, अन्य मदों पर १ करोड़ १५ लाख ७८ हजार रुपये, पेन्शनों पर १३ लाख ६४ हजार रुपये, यह सब मिलाकर ३ करोड़ २१ लाख १७ हजार रुपये होते हैं। इसके मुकाबले में कलाकारों, संगीतकारों एवं वक्ताओं पर इस माली साल में ६७ लाख १२ हजार रुपये कुल खर्च होंगे।

इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि कलाकारों के मुकाबले अधिकारियों और कर्मचारियों पर हम तिगुने से भी अधिक खर्च करेंगे। यहां पर यह बात याद रखने योग्य है कि रेडियो लाइसेंस इत्यादि से ३ करोड़ २३ लाख १३ हजार रुपये सालाना प्राप्त होते हैं। यह रेडियो विभाग के कुल खर्च का ६६.५ प्रतिशत है।

मेरा सुझाव है कि हमें रेडियो लाइसेंस से प्राप्त होने वाली कुल राशि कलाकारों, संगीटतकारों एवं वक्ताओं आदि पर खर्च करनी चाहिये और अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं अन्य मदों के खर्च सरकारी खजाने से किये जाने चाहिएं, तभी हम आल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों को अधिक अच्छा बना सकेंगे।

श्रीमन्, जब मैं संगीतकारों और कलाकारों की आर्थिक दुर्दशा को देखता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि स्वतंत्र भारत में कोई कलाकार या संगीतकार बनना पसन्द नहीं करेगा। हमारे बड़े बड़े संगीतकार और कलाकार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उनकी जगह कुशल व योग्य संगीतकार आगे नहीं आ रहे हैं। कुछ इने गिने ऐसे घराने रह गये हैं जो संगीत को पारम्परिक पेशे के रूप में जीवित रखे हुए हैं। इन घरानों को भी आजकल की बढ़ती हुई मंहगाई ने झंझोड़ डाला है। श्रीमन्, यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है जिसकी ओर इस मंत्रालय को बड़ी गहराई से सोचना चाहिये। हमने अपने अधिकारियों के वेतन तो बढ़ा दिये हैं लेकिन संगीतकारों, कलाकारों एवं वक्ताओं के प्रति न तो सम्मान की भावना है और न ही उन्हें पर्याप्त पुरस्कार दिया जाता है। उनके पुरस्कार बी० बी० सी० लन्दन के कलाकारों के पुरस्कारों की तरह होने चाहिएं।

अब मैं सरकारी विज्ञापन और हिन्दी पत्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आम तौर पर यह देखा गया है कि सरकारी विज्ञापन अधिकांश उन पत्रों को दिए जाते हैं जो सरकार की हां में हां

[श्री यु० द० सिंह]

मिलाते हैं। विरोधी समाचारपत्रों को या तो विज्ञापन दिया ही नहीं जाता है या यदि दिया जाता है तो नाम मात्र को। डिसप्ले विज्ञापनों पर अप्रैल सन् १९६१ से फरवरी १९६२ तक २८ लाख ७६ हजार रुपया खर्च हुआ। इस अवधि में क्लासीफाइड विज्ञापनों पर ३० लाख ५८ हजार रुपया खर्च हुआ। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में १०१२ समाचार पत्र और पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिये गये। इनमें से ७४२ पत्र भारतीय भाषाओं के थे और बाकी २७० समाचार-पत्र अंग्रेज़ी के थे। इस प्रकार कुल समाचारपत्रों के लगभग २५ प्रतिशत समाचारपत्र अंग्रेज़ी के थे। इनकी विज्ञापन दर भी बहुत ऊंची है और मेरा अनुमान यह है कि विज्ञापनों पर खर्च होने वाले कुल खर्च का ५० प्रतिशत हिस्सा अंग्रेज़ी समाचारपत्रों को चला जाता है और शेष रुपया भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के विज्ञापन पर खर्च होता है। भारतीय भाषाओं के विज्ञापनों की दर जान बूझ कर बहुत कम रखी जाती है।

हमें स्मरण रहे कि प्रेस कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि सरकारी विज्ञापन ऐसे पत्रों को दिया जाना चाहिए, जो जनता के सामने स्वतंत्र विचार रखने में निर्भीकता दिखाएं चाहे उनकी आर्थिक दशा कैसी भी हो। मेरा कहना है कि मंत्रालय ने प्रेस कमीशन की इस महत्वपूर्ण सिफ़ारिश पर अमल नहीं किया और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रति सौतेला बरताव ही रखा। मुझे मालूम नहीं कि इन ७४२ भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों मेंकितने हिन्दी के समाचारपत्र हैं जिनको सरकारी विज्ञापन मिलता है। मंत्रालय को याद रखना चाहिए कि भारत के अधिकांश भागों में हिन्दी समाचारपत्रों का वितरण होता है। इसलिये उनको पर्याप्त मात्रा में सरकारी विज्ञापन दिया जाना चाहिए।

श्रीमन्, अनेक बार इस सदन में इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया है कि सेंसर बोर्ड के होते हुए भी भारत के सिनेमाघरों में ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जो हमारे नागरिकों पर अच्छा असर नहीं डालतीं। एक और तो सरकार यह कहती है कि स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक को परिश्रम करना चाहिए, और दूसरी ओर ऐसे फिल्म हमारे विद्यार्थी वर्ग को दिखाये जाते हैं जिनमें ऐश और आराम की जिन्दगी को ही अच्छा चित्रित किया जाता है। जब ऐसा है तो फिर हमारे नौजवानों में त्याग की भावना कैसे पैदा हो सकती है।

सेंसर बोर्ड भारत में तैयार की हुई फिल्मों को एक मापदंड से नापता है और विदेशी फिल्मों को दूसरे मापदंड से। इसका परिणाम यही निकलता है कि बहुत सी अश्लील विदेशी फिल्में भारत के सिनेमाघरों में दिखाई जाती हैं। भारत के फिल्म निर्माता भी अश्लील फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही किसी फिल्म को "एडल्ट आनली" का सर्टिफिकेट मिलता है उसके दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसलिये "एडल्ट आनली" का सर्टिफिकेट देते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए, और अश्लील फिल्मों को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलना चाहिए।

सेंसर का ढंग भी कुछ ठीक नहीं है। फिल्म देखने का काम सेंसर बोर्ड के मेम्बर नहीं करते। यह काम एग्जामिनिंग कमेटी को सौंपा गया है, जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में रीजनल अफसर के साथ फिल्में देखते हैं।। मेरा सुझाव है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को फिल्में देखने का काम सौंपना चाहिए। इनको उसके लिए पर्याप्त फीस लेनी चाहिए जिससे इस काम में वह दिलचस्पी लें।

श्रीमन्, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी के बारे में भी कई शिकायतें सुनने में आती हैं। इस सोसाइटी का काम संतोषजनक नहीं है। सोसाइटी द्वारा जो फिल्म तैयार किये गये उन पर जो खर्च आया वह फिल्म डिवीजन के फिल्मों से कहीं ज्यादा है। मेरा मतलब प्रति फुट की दर से है। अगर उस सोसाइटी का काम व्यवस्थित और उचित होता तो खर्च की दर हरगिज अधिक नहीं आती। एस्टीमेट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। मुझे सोसाइटी के काम में बड़ा गोल-माल दिखाई दे रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार को एक जुडीशियल एन्क्वायरी कमेटी इस सोसाइटी के काम को जांच पड़ताल के लिये नियुक्त करनी चाहिये। तभी मालूम होगा कि सोसाइटी के काम में क्या गड़बड़ है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है।

श्रीमन्, मंत्रालय की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो की हिन्दी यूनिट ने केवल १८ लेख हिन्दी के तैयार किये, बाकी अंग्रेज़ी से अनुवादित थे। हम सब जानते हैं कि हिन्दी समाचारपत्रों के पाठकों की आवश्यकतायें अंग्रेज़ी के पत्रों के पाठकों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं। इसलिये ब्यूरो को हिन्दी के पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर मौलिक लेख हिन्दी में अधिक से अधिक संख्या में तैयार करने चाहियें।

श्रीमन्, अन्त में मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह अपील करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और उन पर अमल करें विरोधी दल का काम सरकार को ठोस सुझाव देना है और इसी बात का मैं ने प्रयत्न किया है।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि मंत्रालय ने हिन्दुस्तानी तथा करनाटक संगीत के सुधार के लिये बहुत कुछ किया है। नाटकों को भी कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। श्रमजीवी पत्रकारों के लिये भी जो कुछ मंत्रालय ने किया है, उस के लिये भी वह श्रेय की पात्र है।

मूल्य-पृष्ठ अनुसूची के बारे में उच्चतम न्यायालय ने जब से मंत्रालय के विरुद्ध निर्णय दिया है, तब से मंत्रालय खामोश है। अब उस का क्या करने का इरादा है ? मेरा निवेदन है कि उसे कम से कम देशी भाषाओं के समाचारपत्रों और छोटे समाचारपत्रों को तो कुछ संरक्षण देना चाहिये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यदि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देख कर चुप बैठी रहे तो इस से इस की प्रतिष्ठा तो नहीं बढ़ेगी। एकाधिपत्य अंग्रेज़ी समाचारपत्रों के साथ साथ देशी भाषा के समाचारपत्रों में भी आ रहा है। इसलिये जब तक उन्हें कुछ न्यूनतम संरक्षण न दिया जाये प्रजातंत्र खतरे में रहेगा। इस सम्बन्ध में शुरुआत इस क्षेत्र में प्रन्यास स्वामित्व स्थापित कर के की जा सकती है हमें समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिये और बड़े बड़े समाचारपत्रों के मालिकों पर रोक लगानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री से फिर अपील करूंगा कि वे मल्य-पृष्ठ अनुसूची को पुनः चालू करें और देशी भाषाओं के समाचारपत्रों को पर्याप्त संरक्षण दें।

पूना में बाढ़ आने के समाचार देने और समय पर चेतावनी देने में आकाशवाणी बिल्कुल असफल रहा। इस के लिये जब तक आप के अपने संवाददाता न हों, जो समाचार प्राप्त कर के रेडियो स्टेशनों को दे सकें, आप आपातकाल में लोगों की सेवा नहीं कर सकते। वे केवल ज़िला अधिकारियों और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया पर निर्भर करने से काम नहीं चल सकता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री खाडिलकर]

समीक्षाओं के बारे में, मेरा निवेदन यह है कि संसद् की कार्यवाही की समीक्षा के अतिरिक्त देश की अन्य घटनाओं पर भी निर्वचनात्मक समीक्षाएं होनी चाहियें। जहां तक योजना सम्बन्धी समीक्षाओं का सम्बन्ध है, ये हास्यास्पद हो गई हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों के ऐसे प्राध्यापकों द्वारा दी जाती हैं, जिन का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस के अतिरिक्त बी० बी० सी० की तरह यहां भी रेडियो पर शिक्षात्मक वाद-विवाद शुरू करने चाहियें।

फिल्म उद्योग में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिये मन्त्री को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। कुछ अच्छे कलाकारों को बुला कर एक सहकारी संस्था या निगम बनाना चाहिये और उस निगम को फिल्में बनानी चाहियें और ऐसी बनानी चाहियें जो जीवन के अच्छे पहलू दिखा सकें और लोगों की मनोवृत्ति को न बिगाड़ें।

यह बहुत दुःख की बात है कि जब आकस्मिक श्रमिकों को भी नौकरी की सुरक्षा दी जा रही, रेडियो के स्टाफ कलाकारों को जो कई सालों से काम कर रहे हैं, यह सुविधा नहीं दी जा रही है।

गोआ से मराठी के समाचारों का प्रसारण क्यों बन्द कर दिया गया है। पहले यह दिन में दो बार होता था। मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें, क्योंकि गोआ के लोग मराठी अच्छी तरह समझते हैं।

रेडियो को लोगों के सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिये।

†**श्री रामभद्रन** (कडलूर) : रेडियो ने 'वनौली' का शब्द हटा कर 'आकाशवाणी' रख देने से तमिल लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया। तमिलनाड में आकाशवाणी ने अपना बहुत सा जोर खो दिया है, इसलिये कि इतिहासकारों और प्राध्यापकों ने इसके साथ असहयोग किया है।

विविध भारती कार्यक्रमों में प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में प्रादेशिक भाषा के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाड इस सम्बन्ध में तुरन्त परिवर्तन चाहता है।

मेरा मन्त्रालय पर यह आरोप है कि वह राजनैतिक विरोधी पक्ष को अधिक महत्व नहीं देता। सत्तारूढ़ दल के सम्मेलनों और जलूसों की फिल्में बनाई जाती हैं। यह प्रथा दूर होनी चाहिये। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के सम्मेलनों में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं किन्तु फिल्म विभाग उनका प्रसारण नहीं होने देता। इसको निष्पक्षता नहीं कहा जा सकता।

†**श्री उस्मान अली खां** (अनन्तपुर) : इस मन्त्रालय के क्षेत्र प्रचार निदेशालय का योजना प्रचार कार्यक्रम में बहुत महत्व है। इस निदेशालय के चलिष्णु यूनिटों द्वारा ग्रामों में यह प्रचार बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। किन्तु इस समय वे क्षेत्र बहुत कम विशाल हैं। देश के हजारों ग्रामों के लिये केवल ७६ चलिष्णु यूनिट हैं और ये भी उचित रूप से काम नहीं कर रहे। एक यूनिट महीने में केवल १२ से १४ दिन तक काम करता है। योजना आयोग ने इनकी संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि करना मान लिया है। इस समय निदेशालय क्षेत्रीय कर्मचारियों को योजना के सम्बन्ध में प्रसारित करने वाली सामग्री नहीं दे रहा है। यह सामग्री निदेशालय को तैयार करनी चाहिये और इनका विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करके इन्हें ग्रामों में भेजना चाहिये। यह आवश्यक है कि यूनिटों को दी जाने वाली गाड़ियां अच्छी हालत में हों। राज्यों के और केन्द्र के क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के काम में समन्वय होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दृश्य प्रचार निदेशालय का परिवार नियोजन के काम के लिये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जन संख्या ८० लाख प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को देश भर में तेज करना पड़ेगा। कुछ राज्यों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल में वृद्धि अन्य राज्यों से अधिक है। इन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। प्रदर्शनियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और इस विषय की फिल्मों की संख्या भी बढ़नी चाहिये और इन्हें देश के ग्रामों में दिखाया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि **किस्मत और काबुलीवाला** जैसी फिल्में अधिक बनाई जायें। मन्त्रालय को फिल्म उद्योगके साथ गहरा सम्पर्क रखना चाहिये ताकि फिल्में अच्छी से अच्छी बनें। एक केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित की जाये जिसमें उद्योग और सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सार्वजनिक जीवन और बच्चों की शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी होने चाहियें।

बच्चों की फिल्म संस्था में अभी सारे राज्य सदस्य नहीं बने। यह आवश्यक है कि सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इसके लिये चन्दा दें।

हाल में निजी निर्माता बच्चों की फिल्मों में रुचि लेने लगे हैं। सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये।

तार द्वारा रेडियो सुनने की योजना को बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिये ताकि यह सुविधा जनसाधारण को प्राप्त हो सके। इसका खर्चा सरकार को उठाना चाहिये।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	३५	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	प्रसारण के लिये निगम स्थापित करना।	१०० रुपये
६३	३६	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	छोटे गैर-राजनैतिक समाचार-पत्रों को अनुदान।	१०० रुपये
६३	३७	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	ऐतिहासिक फिल्में और राष्ट्रीय आन्दोलन दिखाने वाली फिल्मों का उत्पादन।	१०० रुपये
६३	३८	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	छोटे समाचारपत्रों को छापेखाने देना।	१०० रुपये
६३	६६	श्री अ० ब० राघवन	मलयालम समाचारपत्रों को विज्ञापन देने में विभेद।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	६७	श्री अ० ब० राघवन	त्रिवेन्द्रम, मद्रास, हैदराबाद और कलकत्ता में टी० बी० यूनिट स्थापित करना ।	१०० रुपये
६३	६८	श्री अ० ब० राघवन	विरोधी पक्ष के सदस्यों को आकाशवाणी पर बोलने का अवसर देना ।	१०० रुपये
६३	६९	श्री म० क० कुमारन	प्रादेशिक भाषाओं में नाटक तैयार करना ।	१०० रुपये
६३	७०	श्री म० क० कुमारन	सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के प्रशासनीय ढांचे में मितव्ययता ।	१०० रुपये
६३	७१	श्री स० मो० बनर्जी	फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण	१०० रुपये
६३	७२	श्री स० मो० बनर्जी	कानपुर में रेडियो स्टेशन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	७३	श्री स० मो० बनर्जी	प्रैस परिषद् बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	७४	श्री स० मो० बनर्जी	आकाशवाणी में अनाउन्सरों को स्थायी बनाना ।	१०० रुपये
६३	७५	श्री स० मो० बनर्जी	आडीशन प्रणाली को बदलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	७६	श्री वारियर	समाचार उद्योग में निजी एकाधिपत्य को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	७७	श्री वारियर	देशी भाषाओं के समाचारपत्रों को प्रोत्सहन ।	१०० रुपये
६३	७८	श्री वारियर	देशी भाषाओं के पत्रों को अधिक विज्ञापन देना ।	१०० रुपये
६३	७९	श्री वारियर	प्रसारणों में प्रादेशिक भाषाओं को अधिक समय देकर उत्साहित करना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	८०	श्री वारियर .	रेडियो स्टेशनों में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में सुधार ।	१०० रुपये
६३	८१	श्री वारियर .	त्रिचूर स्टेशन पर स्टूडियो बनाना	१०० रुपये
६३	८२	श्री वारियर .	युवक कलाकारों को अधिक वेतन देना ।	१०० रुपये
६३	८३	श्री वारियर .	कथाकली संगीत को प्रोत्साहन देना ।	१०० रुपये
६३	८४	श्री वारियर . .	केरला कला मंडलों को काफी सहायता देना ।	१०० रुपये
६३	८५	श्री वारियर . .	केरल में पंचवाद्यम को प्रोत्साहन देना ।	१०० रुपये
६३	८६	श्री वारियर . .	सामुदायिक श्रवण योजना को फैलाने के लिये अधिक धन की व्यवस्था करना ।	१०० रुपये
६३	८७	श्री वारियर . .	रेडियो पर संसद् की समीक्षा को बन्द करना ।	१०० रुपये
६३	८८	श्री वारियर . .	सभी राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र खोलना ।	१०० रुपये
६३	८९	श्री वारियर . .	फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकरण का पुनर्विलोकन ।	१०० रुपये
६३	९०	श्री वारियर .	फिल्म निर्माताओं की कठिनाइयां दूर करना ।	१०० रुपये
६३	९१	श्री वारियर . .	फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का सर्वेक्षण ।	१०० रुपये
६३	९२	श्री वारियर . .	बच्चों की विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिये फिल्में बनाना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	९७	श्री सरजू पांडेय .	प्रसारण में प्रादेशिक भाषाओं को महत्व देना।	१०० रुपये
६३	९८	श्री सरजू पांडेय .	बच्चों के लिये फिल्में बनाना	१०० रुपये
६४	६	श्री कोया . .	अल्पसंख्यकों के लिये प्रसारणों में अधिक समय देना ।	१०० रुपये
६४	३९	श्री मे० क० कुमारन् .	सामुदायिक श्रवण योजना में अधिक प्रगति करना	१०० रुपये
६४	४०	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रसारण की सुविधायें देना।	१०० रुपये
६४	४१	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	सभी जिलों तथा डिवीजनल मुख्यलियों में प्रसारण सुविधाओं की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६४	९३	श्री मे० क० कुमारन् .	त्रिवेन्द्रम स्टेशन की क्षमता बढ़ाना ।	१०० रुपये
६४	९४	श्री मे० क० कुमारन् .	स्टाफ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना ।	१०० रुपये
६४	९५	श्री मे० क० कुमारन्	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अहिन्दी प्रादेशिक भाषाओं को अधिक महत्व देना।	१०० रुपये
६४	९६	श्री मे० क० कुमारन् .	हिन्दी/अंग्रेजी और अहिन्दी न्यूज रीडरों के वेतन-क्रमों में अन्तर हटाना ।	१०० रुपये
६५	८	श्री कोया . .	भाषाई समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन देना ।	१०० रुपये
६५	९	श्री कोया . .	समाचार उद्योग को देने के लिये अधिक एकोनाइक ब्लाक बनाना ।	१०० रुपये
६५	१०	श्री कोया . .	समाचारपत्रों के कागज का उचित आवंटन ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६५	११	श्री कोया	केरल के बारे में अधिक पर्यटक साहित्य तैयार करना ।	१०० रुपये
६५	४२	श्री मे० क० कुमारन् .	तीसरी योजना के प्रचार के लिये लोक प्रिय लेखकों की सेवायें प्राप्त करना ।	१०० रुपये
६५	४३	श्री मे० क० कुमारन्	समाचारपत्रों को विज्ञापन देने का तरीका ।	१०० रुपये
६५	४४	श्री मे० क० कुमारन्	परिवार नियोजन पर अधिक फिल्में बनाना ।	१०० रुपये
६५	४५	श्री मे० क० कुमारन् .	ग्रीष्म नाटक समारोह की राज्यों की राजधानियों में बारी-बारी से आयोजित करना ।	१०० रुपये
६५	४६	श्री मे० क० कुमारन्	प्रैस-परिषद् स्थापित करना	१०० रुपये
६५	४७	श्री मे० क० कुमारन्	समाचारपत्रों के स्वामित्व में एकाधिपत्य की प्रवृत्ति का का अध्ययन ।	१०० रुपये
६५	४८	श्री मे० क० कुमारन् .	मलयालम, उड़िया, गुजराती, और पंजाबी में अधिक फ़िल्में बनाना ।	१०० रुपये
६५	४९	श्री मे० क० कुमारन्	शिशु फिल्म संस्था के कार्य में सुधार	१०० रुपये
६५	५०	श्री मे० क० कुमारन्	पश्चिम बंगाल और केरल में परिवार नियोजन के प्रचार को बढ़ाना ।	१०० रुपये
६५	५०	श्री मे० क० कुमारन् .	दूर-दूर के स्थानों पर छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज प्राप्त करने में कठिनाई ।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आकाशवाणी ने चुनाव के अवसर पर बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए वे सब लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने चुनावों के कार्यक्रम को सफल बनाया है।

रिपोर्ट से ज़ाहिर है कि आकाशवाणी सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों के प्रचार का एक साधन है। इस विषय में यह दुःख की बात है कि यह मनोरंजन और शिक्षा का साधन होने की बजाये सरकारी प्रचार का साधन बन कर रह गया है। इस का उपचार यह है कि रेडियो पर सरकारी कार्यों और नीतियों की आलोचना भी प्रसारित की जानी चाहिये। वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आकाशवाणी का एक निगम बनाया जाये। कहा जाता है कि ऐसी सूरत में इस संस्था पर संसद् का नियंत्रण नहीं रहेगा। यदि जीवन बीमा निगम और विमान निगम पर संसद् का नियंत्रण हो सकता है, तो रेडियो निगम पर क्यों नहीं ?

आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाना चाहिये। कुर्सियांग में जो रेडियो स्टेशन खोला गया है, उस में स्थानीय योग्य कलाकारों की सेवाओं से लाभ उठाना चाहिये, केवल बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता से कार्यक्रम रीले नहीं करने चाहियें।

मकमोहन लाइन के पूर्वी क्षेत्रमें चीनियों ने बहुत से प्रसारण केन्द्र शुरू कर रखे हैं जहां से निरन्तर भारत विरोधी प्रचार होता रहता है। हमने इस का मुकाबला करने के लिये क्या किया है ? अतिक्रमण की परिस्थितियों के होते हुए भी हम ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जो केवल मनोरंजन के लिये होते हैं।

श्री कुमारन् ने स्टाफ़ कलाकारों की स्थिति के बारे में कहा है। मैं उन से पूर्ण रूप से सहमत हूं और समझता हूं कि इस में तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है।

संसद् समीक्षा के दैनिक कार्यक्रम के लिए पांच मिनट बहुत कम हैं, इसे कम से कम १५ मिनट और बढ़ा देना चाहिये।

अब देश में प्रसारण प्रणाली २५ वर्ष पुरानी हो चुकी है। इस में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए इसके कार्यकरण की गहरी जांच करनी चाहिये।

आकाशवाणी के विदेशी सेवा प्रभाग में अधिकतर विदेशी ही काम करते हैं। चूंकि इस प्रभाग का काम विदेशियों के सामने भारत का ही चित्र पेश करना होता है, इसलिए विदेशी व्यक्ति इस काम को ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्होंने भारतीयों को भी प्रशिक्षित नहीं किया। यदि ऐसा किया जाये तो वे विश्व के सामने भारत का सही चित्र रख सकेंगे।

फिल्मों का हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिये एक सामाजिक खोज की जानी चाहिये।

शिशु फिल्म संस्था के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। यह संस्था उत्पादन तथा प्रदर्शन दोनों पहलुओं से असफल रही है। इस के काम की जांच होनी चाहिये और यदि यह देखा जाये कि इस में सुधार नहीं हो सकता, तो इस को तोड़ देना चाहिये और इस का काम फिल्म प्रभाग को सौंप देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्मों को सेंसर करने के काम में बहुत विभेद होता है। सेंसरों का काम केवल गन्दी फिल्मों को रोकना ही नहीं, बल्कि स्तरों को ऊंचा करना भी है। सेंसर करने का काम नौकरशाही तरीके से नहीं होना चाहिये, बल्कि सूझबूझ से करना चाहिये। देशी भाषाओं की फिल्मों को सेंसर करते समय उस भाषा के जानने वाले व्यक्तियों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिये।

यह मालूम नहीं हुआ कि फिल्म निर्माण विभाग के प्रस्ताव का क्या बना है? इसे शीघ्र से शीघ्र स्थापित करना चाहिये, ऐसा करने से उद्योग की वित्त और निर्माण की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। सेंसर बोर्ड के कार्यक्षेत्र विस्तृत कर देना चाहिये ताकि वे फिल्मों की अनुलिपि की भी जांच कर सकें।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** (जम्मू तथा काश्मीर): यह बहुत गर्व की बात है कि इस ने पाकिस्तान के काश्मीर सम्बन्धी मिथ्या प्रचार का मुकाबला सचाई से किया है। आकाशवाणी ने दो वर्ष हुए यह कार्यक्रम बन्द कर दिया था, क्योंकि हमारा खयाल था कि काश्मीर के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। किन्तु पाकिस्तान के गन्दे प्रचार को देखते हुए हमें इसे पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये, ताकि जनसाधारण को पाकिस्तान के झूठे कार्यक्रमों से गलतफहमी न हो जाये। चूंकि आकाशवाणी की आवाज़ भारतीय भाषाओं के द्वारा भारत के सब कोनों में पहुंचती है इस लिए भावनात्मक एकता के काम में इस का बहुत महत्व है। यदि हम आकाशवाणी में सरल भाषा का प्रयोग करें, जो सब की समझ में आ सके, तो अधिक से अधिक लाभ होगा। नाटकों और गानों और वार्ताओं में संस्कृत मिले हुए शब्द जनसाधारण नहीं समझ सकता।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

इसी तरह राष्ट्र में केवल एक भाषा नहीं है। अनेक भाषाएं हैं। काश्मीर के लोग जम्मू और काश्मीर के रेडियो स्टेशनों को बहुत पसन्द करते हैं, क्योंकि उन में स्थानीय कलाकारों से काम लिया जाता है।

रेडियो पर समाचारों के अतिरिक्त ड्रामा, संगीत और गीत भी आते हैं। यदि हम संस्कृत के शब्दों से भरी हुई हिन्दी का प्रयोग करेंगे तो उनका मज़ा नहीं आयेगा। यही ठीक है कि हम ने राष्ट्र-भाषा का विकास करना है परन्तु रेडियो पर आसान भाषा के प्रयोग से हम सब क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित कर सकेंगे। इस से एकीकरण को प्रोत्साहन होगा।

अन्त में मैं स्टाफ कलाकारों का जिक्र करता हूं। कभी-कभी इन कलाकारों को लगातार दस, पंद्रह और बीस वर्ष की सेवा के बाद एक महीने की सूचना से नौकरी से हटा दिया जाता है। जो करार के फार्म हैं उन्हें बदलना चाहिए और इन कलाकारों की सेवा को सुरक्षित करना चाहिए।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ): सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आज कल जो सिनेमा दिखाये जा रहे हैं, जो पिक्चर्ज़ दिखाई जा रही हैं, उनका बच्चों पर क्या असर पड़ता है, क्या सरकार ने इस पर कभी विचार किया है। जैसे गंदे-गंदे सिनेमा आज दिखाये जा रहे हैं, उनका शरीफ पुरुषों तक पर बुरा असर पड़े बिना नहीं रह सकता है, उनके मन पर बुरा असर पड़े बिना नहीं रह सकता है। जो हम लोगों का देश है, जो भारतवर्ष देश है, इस में स्त्रियों और बच्चों के चरित्र आज इन सिनेमाओं के कारण कलंकित हो रहे हैं। विदेशों की नकल करके जो चीजें सिनेमाज़ में दिखाई जाती हैं, उनका आजकल की लड़कियां और लड़के अनुसरण करते हैं और बुरे रास्तों पर चले जाते हैं। कितने दुःख की बात है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर स्त्रियों के सतीत्व का अलंकृत रूप था, वह आज नष्ट हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती शंशाक मंजरी]

आजकल देखा गया ह कि आकाशवाणी से जो गाने प्रसारित किये जाते हैं, वे अश्लील गाने होते हैं जिनको स्कूल के बच्चों के मुंह से आप सुन सकते हैं। वे उन्हीं गानों को गाते फिरते हैं। इस तरह के गाने आकाशवाणी से प्रसारित नहीं होने चाहियें। धर्म का संगीत आकाशवाणी से सुनाया जाना चाहिये। भारत के पुराने इतिहास की जो अच्छी-अच्छी बातें हैं उन पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो उसका बच्चों के ऊपर अच्छा असर होगा। मैं यह नहीं कहती कि शास्त्रीय आलोचना आकाशवाणी से न हो। वह होनी चाहिये। लेकिन साथ-साथ ये जो बातें मैंने कही हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

बहुत दुःख की बात है कि इन गानों और इन सिनेमाज़ के कारण लड़कों तथा लड़कियों का आचरण गिरता चला जा रहा है। क्या उनको जो शिक्षा दी जाती है वह इसलिए दी जाती है कि उनका आचरण गिरे और वे भ्रष्ट तरीकों का आचरण करें? क्या यही शिक्षा आप भारतवर्ष के नौजवानों को देने जा रहे हैं? किधर हमारे बच्चे जा रहे हैं, किधर हमारे नौजवान जा रहे हैं, इसको सरकार को देखना चाहिये और किस तरह से वे ठीक रास्ते पर आ सकते हैं, इसका उपाय करना चाहिये। आप आज के नौजवानों से यह आशा करते हैं कि वे देश की सेवा करें, देश को उन्नत बनायें। लेकिन क्या यह आपकी आशा पूरी होती दिखाई दे रही है? मैं समझती हूं कि वह पूरी नहीं हो रही है। आज बच्चों का जो आचरण है, वह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिये, उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में क्या भारत उन्नति कर सकेगा? मैं समझती हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भारत उन्नति करे तो आप को इस पर विचार करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह बच्चों को धर्म की शिक्षा देने का प्रबन्ध करे। यदि ऐसा किया गया तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, उनके दौरान में हम उन्नति कर सकेंगे। सरकार को देखना चाहिये कि भारतवर्ष किस प्रकार से ऊपर उठ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आकाशवाणी के लिए सरकार जो रुपया टैक्स के रूपमें लेती है तथा दूसरे टैक्स वसूल करती है उसको इस तरह के गन्दे गन्दे गाने प्रसारित करके जिनका बुरा असर बच्चों पर पड़ता है खर्च कर दे। अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष उन्नति करे तो भारतवर्ष विदेशों की इस तरह से नकल करके उन्नति नहीं कर सकता है। विदेशों की नकल करके आज हम भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बच्चों को धर्म की शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दें। यदि ऐसा किया गया तभी देश की उन्नति होगी।

†**श्री अ० सिं० सहगल** (जंजगीर): पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने बहुत प्रगति की है। परन्तु इस संगीत में बहुत काम किया है। कुछ वर्ष पूर्व संगीत में बहुत गड़बड़ थी। शास्त्रीय संगीत को पुनः गौरव का स्थान दिया गया है।

अब आकाशवाणी ने विविध भारती प्रोग्राम आरम्भ किया है जो देश भर में विभिन्न प्रकार के श्रोताओं को प्रसन्न करता है। इस से लंका रेडियो के श्रोताओं की संख्या कम हो गई है। रेडियो लंका से जो अपने माल का विज्ञापन करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि उस के प्रोग्राम से श्रोताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

संगीत, नाटक इत्यादि के प्रोग्राम ने राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत सहायता की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी से संगीत प्रोत्साहन प्रोग्राम जो प्रसारित किया जाता है इस से संगीत परम्पराओं की समझ बढ़ती है और संगीत में रुचि बनती है। इस प्रोग्राम से महान संगीतकारों के संगीत श्रोताओं तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से आकाशवाणी देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण में बहुत हित रखता है।

आकाशवाणी ने टैगोर शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में बहुत काम किया है। आकाशवाणी ने भारत की विभिन्न भाषाओं में रविन्द्र संगीत के जो विशेष प्रोग्राम प्रसारित किये हैं वे बहुत अच्छे रहे हैं। आशा है कि आकाशवाणी भविष्य में और प्रगति करेगी जैसा कि हमारे देश की परम्पराओं के प्रोत्साहन के लिये इसने पहले प्रगति की है।

श्री गु० सि० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी, सरदार अमर सिंह सहगल की तकरीर सुनने के बाद मेरा ख्याल था कि मैं इन चीजों का ज्यादा जिक्र न करूं।

सभापति महोदय : आपका नाम मेरे पास मौजूद था।

श्री गु० सि० मुसाफिर : मगर बात यह है कि मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है, और उस खुशी का इज़हार करना ही चाहिये, कि इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री को केबिनेट मिनिस्टर के हवाले किया गया है, और किया भी ऐसे योय सज्जन के हवाले गया है जो कि इस अदब के मैदान में इन्टरेस्टेड हैं और काफी दिलचस्पी लेते हैं।

आल इंडिया रेडियो ने और इस मिनिस्ट्री के दूसरे महकमों ने जो तरक्की की है वह सामने है। मैं शुरू से इस में खास दिलचस्पी लेता रहा हूं और देखता रहा हूं कि बहुत सी बातों में कितना फर्क पड़ गया है। यानी बहुत काफी उन्नति हुई है। आल इंडिया रेडियो का नाम है "आकाशवाणी" और जो आकाशवाणी होती है उसे लोग बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, इसलिये उसमें जितना इम्प्रूवमेंट हो, जितनी अच्छी बातें वहां से आयें, उतना ही फायदा है। बाज दफा छोटी सी बात से उसके रेपुटेशन के खराब हो जाने का अन्देशा भी होता है। मुझे एक दोस्त ने बतलाया, कि आकाशवाणी से जो न्यूज बुलेटिन ब्राडकास्ट होती है उस में नामों को कभी-कभी गलत तरह से बोला जाता है। जब मिर्जा-गालिब की पिछली बरसी थी उस समय उस बुलेटिन के पढ़ने वाले ने मिर्जा गालिब को "मिर्जा गलीब" कहा। इस से मुझ को एक शेर याद आ गया :

"एक नुक्ते ने हमें मरहम से मुजरिम कर दिया,
हम दुआ लिखते रहे और वह दगा पढ़ते रहे।"

इसलिये इन छोटी-छोटी बातों का खयाल रखने से फायदा होता है क्योंकि यह इन्स्टिट्यूशन सब से ज्यादा इम्पार्टेंट है, खास कर उस वक्त जब कि हमारे देश की सरकार के सामने कौमी एकजहती का मसला है। कौमी एकजहती तो यह आल इंडिया रेडियो ही कर सकता है, यानी ज्यादा पार्ट इसका हो सकता है। तो दो बातों का ख्याल रखना इस में जरूरत है। आजादी के बाद हिन्दुस्तान में लोगों की रुचि पढ़ने की तरफ ज्यादा हुई है। हम अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और पढ़ने वालों की तादाद भी और मैं समझता हूं कि अखबारात की तादाद भी जो हमारी अपनी जबानें हैं हिन्दुस्तान की, उनमें ज्यादा है। यह ठीक है कि अंग्रेजी की लिखी हुई चीज की या जो अंग्रेजी के अखबारात हैं उन की अहमियत ज्यादा है, लेकिन जो पढ़ने वाली पब्लिक है वह ज्यादा वर्नाकुलर जबानों को पढ़ने वाली है। वैसे अखबार खराबी भी कर सकते हैं और फायदा भी पहुंचा सकते हैं।

[श्री गु० सिं० मुसाफिर]

जबलपुर का जो कांड हुआ वह एक अफसोसनाक कांड हुआ। उसका ज्यादातर कारण कुछ वर्नाकुलर पेपर थे, जिन्होंने इस किस्म की इश्तेआलअंगेज़ खबरें छापीं जिन से वह वाकया सिर्फ जबलपुर तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि सागर तक भी उस की आग पहुंची। जबलपुर में जो कुछ हुआ उसकी खास वजह भी थी, लेकिन सागर में तो बेवजह झगड़ा पैदा हो गया, सिर्फ इस वजह से कि अखबार ने इस किस्म की खबर छापी। इस तरह की चीज़ को चेक करना जो हमारा इन्फारमेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, उसको डयूटी है। इसके चेक के और भी तरीके हो सकते हैं, मगर नेशनल वातावरण पैदा करना बहुत जरूरी है। वह अपनी जबान के अखबारों से ही हो सकता है जिनको रोज सुबह चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला, मजदूर, स्टेशन पर फिरने वाला कुली सब पढ़ते हैं। उनके सामने ऐसी चीज जानी चाहिये जो बिल्कुल ठीक हो और अच्छी हो ताकि उनके अपने मन में ख्याल पैदा हो कि मेरा भी फर्ज है कि मैं अपने देश में अमन और यकजहती कायम करने के लिये काम करूं।

जहां तक इश्तहारात की बात है, वह अंग्रेजी अखबारों के मुकाबिले वर्नाकुलर अखबारों को बहुत कम मिलते हैं। उनका ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजी अखबारों को जाता है। मैं अंग्रेजी अखबारों को इश्तहारात देने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वर्नाकुलर अखबारों की हौसला अफजाई इश्तहारात के जरिये हो ताकि वह ब्लैक मेलिंग न करें और ऐसी बातें न लिखें जिन से देश को नुकसान हो सकता है। बाज वक्त वह अपने अखबारों को चलाने के लिये और इसको अपना जरिया मुआश बनाने के लिये ऐसी बातें लिखते हैं, तो इस तरफ इनफारमेशन डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह चीज सुलझे हुये हाथों में है। वे लोग इस तरफ ध्यान दें तो इसकी तरक्की हो सकती है।

जहां तक न्यूज़प्रिंट का ताल्लुक है, मेरा जाती तजुरबा है कि जो रिसोर्सफुल अखबार हैं, जो बड़े बड़े सरमायादारों के हाथ में हैं, उनको तो इसमें बड़ी आसानी है, मगर जो छोटे वर्नाकुलर अखबार हैं उनकी शिकायत हमेशा यही रहती है कि उनको न्यूज प्रिंट वक्त पर और सही रेट पर नहीं मिलता है।

एक बात मैं देखता हूं कि यहां अंग्रेजी अखबारों के नामानिगारों की बड़ी शान है। उनकी गिनती में तादाद भी ज्यादा है। कहीं वह मुझ से इस लिये नाराज न हों जायें कि मैं वर्नाकुलर अखबारों के नामानिगारों के लिये कह रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उनकी मजम्मत करता हूं या यह कहता हूं कि उनको रियायतें न मिलें। मेरा कहना यह है कि जो वर्नाकुलर पेपर्स के नामानिगार हैं उनको भी कुछ एनकरेजमेंट मिलना चाहिये, उनके साथ भी गवर्नमेंट के काम में अच्छा सलूक होना चाहिये ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इस वक्त ऐसी बात नहीं है। बल्कि मुझे मालम हुआ है कि प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो में भी जो एक सेक्शन प्रेस फेसेलिटीज़ है उसमें उनकी तरफ ज्यादा ख्याल नहीं किया जाता। इसके लिये उनके अन्दर कुछ शिकायत भी पैदा हुई है। यह मैं मानता हूं कि प्रैस इनफारमेशन ब्यूरो को बहुत अच्छा किया गया है। उसमें से कई खराबियां दूर की गयी हैं। तो मुझे यकीन है और पूरा विश्वास है कि इस तरफ ध्यान दिया जायेगा और इन छोटी छोटी बातों को ठीक किया जायेगा। जो बुनियादी बात है वह यह है कि जो वर्नाकुलर पेपर्स के नामानिगार हैं उनकी पोजीशन को कुछ ऊंचा करने की कोशिश की जाये। और उनको सहूलियतें दी जायें ताकि वे अंग्रेजी अखबारों के नामानिगारों के बराबर आ जायें।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य "व र्निकुलर्स" के स्थान पर "भारतीय भाषायें" प्रयोग करें, क्योंकि "वर्नाकुलर" शब्द समाप्त कर दिया गया है ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : मेरा मतलब भारतीय भाषाओं से ही था ।

एक बात में फिल्म सेंसर के मुताल्लिक कहना चाहता हूं । जब से देश आजाद हुआ है तब से मैं समझता हूं कि पंजाबी भाषा की भी कोई बात सुननी शुरू हो गयी है और पंजाबा में फिल्म बनने भी शुरू हो गये हैं। मगर मेरा जैसा ख्याल दूसरी जो देशी फिल्में हैं उनके बारे में है वही ख्याल पंजाबी फिल्मों के बारे में है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कोई आला और अच्छे पैमाने का फिल्म अब तक हिन्दुस्तान में नहीं बना और पंजाबी में तो बहुत कम अच्छे फिल्म बनाये गये हैं । सेंसर जिस किस्म के फिल्म पास करता है उनमें मेरा यह ख्याल है कि कई दफा एक फिल्म को देख कर कितने महीनों फिल्म देखने को जी नहीं चाहता । तो फिल्मों के मामले में मेरा यह ख्याल है । इस सिलसिले में एक खास मिसाल मैं देना चाहता हूं । थोड़ा अर्सा हुआ मैं पाकिस्तान गया था । वहां मैं ने पंजाबी की फिल्म देखी । उस फिल्म का नाम था "करतार सिंह" । नाम कुछ अजीब सा था । इस लिये देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और वह फिल्म पाकिस्तान वालों ने उन दिनों खास तौर पर इसलिये लगायी हुई थी कि जो हिन्दुस्तान के लोग, और खास कर पंजाबी, आयें वे इसे देख कर खुश हों । मैं भी वह फिल्म देखने गया था । उस पर मैंने एक मंथली मेगजीन में एक रिव्यू भी लिखा था । मुझे पता चला है कि उस फिल्म को हिन्दुस्तान में भी चलाने की कोशिश की गयी । उस फिल्म की स्टोरी का जो हिस्सा जरूरी था वह उन्होंने डिपार्टमेंट को दिया । डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने पर उनका कोई दस हजार रुपया खर्च हुआ । कस्टमडियूटी पर कोई पांच हजार रुपया खर्च हुआ । इसी तरह दस हजार रुपया उस फिल्म की पांच छः कापियां बनाने पर खर्च हुआ और कुछ इश्तहार वगैरह लगाने में खर्च हुआ । सब मिलाकर उन्होंने कोई चालीस हजार रुपया खर्च किया । मगर अब सेंसर बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया । उनका हक है रिजेक्ट करने का । उन्होंने ऐसा ही करना ठीक समझा होगा । लेकिन उन्होंने उसे जिस बिना पर रिजेक्ट किया वह यह थी कि इससे माइनारिटीज़ के फीलिंग्स इंजर होने का खतरा है और इसके चलाने से फिसाद हो सकता है ऐसा खतरा है ।

मुख्तसरन उस फिल्म की थीम १९४७ के झगड़ों की है । उन दिनों का हाल वह फिल्म दिखलाती है। माइनारिटीज़ के फीलिंग इंजर होने से सेंसर का मतलब सिखों के फीलिंग्स से है । लेकिन उस फिल्म में एक बड़ी बात यह है कि उसमें एक एक्टर जरनेल सिंह है । उसने एक मुसलमान लड़की की हिफाजत के लिये अपने लड़के को गोली मारकर उड़ा दिया । जब उस लड़की के घर वाले पाकिस्तान चले जाते हैं तो वह अकेली पीछे रह जाती है । उसका नाम सकीना है । उसको जरनेल सिंह अपने घर में ले जाता है । जरनेल सिंह का जो लड़का है वह उसे बुरी नजर से देखता है जरनेल सिंह अपने लड़के को गोली मार कर उड़ा देता है । इसमें तो सिखों की इज्जत की गयी है और उनकी तारीफ की गयी है । इसमें सिखों के खिलाफ तो कोई बात नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : आपके भाषण के बाद तो सेंसर को उसे रोकने की जरूरत नहीं रहेगी ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : मैं उन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता । मेरा मतलब सिर्फ कहने का यह है कि सैंसर बोर्ड जो कि फिल्में पास करता है उस में कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हैं । जरूरत इस बात की है कि जिस जबान की वह पिक्चर हो उस जबान को जानने वाले सैंसर बोर्ड में बैठ कर उस पर अच्छी तरह से गौर कर सकें और सही तौर पर उस के मुताल्लिक

[श्री गु० सिं० मुसाफिर]

फैसला ले सकें। ऐसे लोग सैंसर बोर्ड में शामिल किये जाने चाहियें जिन को कि फिल्म्स से कुछ दिलचस्पी हो और जानकारी हो तो शायद वह गलतियां उन से न हों सकेंगी जो कि आज हो जाया करती हैं।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा क्योंकि स्पीकर साहब की घंटी बज गयी है और घंटी बज चुकने के बाद मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलना चाहता।

जैसा कि मैं ने शुरू में कहा नेशनल इंटेग्रेशन के लिये रेडियो ज्यादा मुफीद हो सकता है और मैं समझता हूं कि रेडियो सारे देश के लोगों ख्वाह वह कोई जबान बोलते हों, किसी सूबे के रहने वाले हों, उस के अन्दर ऐसा अहसास पैदा कर सकते हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं। यह पंजाबी सूबे का सवाल वह तो एक सूबे की तकसीम थी। अब यहां राज्य सभा में द्रविडिस्तान का जिक्र आ गया है तो यह एक अफसोसनाक बात है। अब यह बातें लोगों के मुंह से इसलिये निकलती हैं कि वे अपने आप को हिन्दुस्तानी महसूस नहीं करते और कुछ न कुछ ऐसा भी समझते हैं कि दिल्ली कैपिटल में जो हम मद्रास से आये हैं तो हम शायद बेगाने हैं।

मैंने रूस में देखा। रूस एक बड़ा विशाल मुल्क है। ताशकंद के रहने वाले आदमी का मास्को के रहने वाले आदमी से मजहब, तालीम, जबान यह कुछ नहीं मिलता है लेकिन रूस वालों ने इंटेग्रेशन का ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि ताशकंद का आदमी जब रूस की राजधानी मास्को में आता है, ४,००० मील से वहां पर आता है तो वह वहां पर अपने को बिलकुल अलहदा नहीं महसूस करता है और वह यह महसूस करता है कि मेरा भी ताल्लुक मास्को के साथ है। अब खास तौर से अन्डर ग्राउन्ड रेलवे स्टेशन को इस तौर पर सजाया गया है कि ताशकंद से आने वाला वहां पर अपने को बेगाना और अजनबी महसूस नहीं करता वहां उस को अपने ताशकंद के शायर की स्टैचू मिलेगी। इसी तरह से और जगहों पर भी इस के वास्ते इंतजाम होता है कि वहां आ कर वह अपने आपको बेगाना न समझे। उस को वहां पर ताशकंद का ऐटमासफियर मिलता है। कलचरल प्रोग्राम्स भी इस तौर पर वहां रक्खे जाते हैं कि वह ऐट होम फील करे और यह न समझे कि मैं बिल्कुल किसी अजनबी जगह पर आ गया हूं। इस तरह का इंतजाम होने से वह ताशकंद का आदमी यह महसूस करता है कि मेरा भी ताल्लुक मास्को के साथ है। वही चीज मैं चाहता हूं कि यह आल इंडिया रेडियो यहां पर अख्तियार करे। अब ए वेव पर हिन्दी का प्रोग्राम होता है और बी० और सी० वेव्स पर दूसरी जबानों का प्रोग्राम होता है। पंजाबी प्रोग्राम भी होता है लेकिन अभी थोड़ा होता है। उसको ज्यादा वक्त दिया जाय। उर्दू का भी प्रोग्राम होता है। अब यह एक टेक्नीकल बात है। मिनिस्टर साहब या दूसरे लोग जो कि इस चीज से सरोकार रखते हैं ताल्लुक रखते हैं वह ज्यादा अच्छी तरह इस बात को समझ सकेंगे कि अगर दिल्ली के आल इंडिया रेडियो स्टेशन से इस तरह से प्रोग्राम्स ब्राडकास्ट कराये जायें कि हर एक जबान वाला और हर एक आदमी जो कि दूर दूर से यहां पर आया हुआ है। वह यह समझे कि आल इंडिया रेडियो मेरा रेडियो है, उस में मेरी जबान ब्राडकास्ट होती है, उस के जरिये मेरे कल्चर को प्रोत्साहन दिया जाता है और उस की उन्नति की जाती है तो इस तरह वह महसूस करेगा कि मैं हिन्दुस्तानी हूं और मैं भारतवासी हूं। मेरी जबान के साथ हर एक भारतवासी का उसी तरीके से ताल्लुक है जैसा कि मेरे सूबे या मेरी स्टेट वाले लोगों का ताल्लुक है। दूसरे मुल्कों में तो इंटरनेशनल इंटेग्रेशन की बातें की जाती हैं। रूस ने रेडियो पर हमारी जबानों का तर्जुमा किया है और उन को ब्राडकास्ट किया है। अब वह तो इंटरनेशनल इंटेग्रेशन करते हैं और हम नेशनल इंटेग्रेशन भी न कर सके तो इस में हमारी हानि होती है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, वजारते नशरो—अशाअत का अवाम की जिन्दगी के साथ और जिन्दगी के हर एक शोएबे के साथ गहरा ताल्लुक है। इस वजारतका कलमदाने-वजारत को सम्भालने पर जनाब रेड्डी को जो मुबारकबाद दी गई है मैं समझता हूं कि यह

एक मसर्रत को बात है आज हम यह मुबारक जो दे रहे हैं वह इस ख्याल से, इस तवक्को और इस उम्मीद से दे रहे हैं कि इस वजारत के मुख्तलिफ महकमाजात में जो खामियां या जो भी कमियां रह गई हैं वह एक अहलै-जौक और सुखनशनास इंसान के आने पर काफी हद तक दूर हो जायेंगी क्योंकि जहां तक मेरी वाकफियत और इल्मियत का ताल्लुक है जनाब रेड्डी किसी सूबायी तास्सुब या जबान के तास्सुब में यकीन नहीं करते हैं। बल्कि उन को वसीय नजरी से हमें यह तवक्को है कि इस वक्त तक जो न चाहते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं, खसूसन आल इंडिया रेडियो की जबान के बारे में न चाहते हुए भी जो गलतियां हम से हो गई हैं, उन की दुरुस्ती की तरफ और दूसरी जो इस तरह की खामियां हैं उन की दुरुस्ती की तरफ वह तवज्जह देंगे और अगली बार जब हम फिर इन मतालबात जर पर गौर करेंगे, गुजरने वाले एक साल की जो कारगर्दगी होगी उस के लिये हम ज्यादा जोर से मुबारक को दुहरा सकेंगे ।

जहां तक आल इंडिया रेडियो का ताल्लुक है यह तरक्की पजोर हिन्दुस्तान में एक बहुत अहम हिस्सा अदा कर सकता है और कर रहा है। यह कहना कि उस का कोई हिस्सा नहीं है यह भी गलत है। लेकन उस पर आज एक थोड़ा सा जनून आ गया है कि सीधी बात को सिर्फ इस वास्ते कि यह जबान लोगों को सुनाई जाय और उन से मनवाई जाये, उन पर जबरदस्ती उस को ठूंसा जा रहा है। जहां तक राष्ट्र भाषा का ताल्लुक है, एक कौमी जबान का ताल्लुक है, हिन्दी एक जबान मुसल्लमा तौर पर मानी गई है और मैं यह समझता हूं कि उस के बाद कोई दूसरी इलाकायी जबान ऐसी नहीं हो सकती जिस को हम बढ़ावा दे कर सारे हिन्दुस्तान की जबान बना सकते हैं। लेकिन उस जबान को बढ़ावा देने के लिये या उस को तरक्की के लिये जो जराये और बिलखसूस जो जबान गढ़ी गई है, आकाशवाणी पर, आल इंडिया रेडियो पर, वह एक ऐसी जबान है कि समझने की कोशिश के बावजूद वह समझी नहीं जा सकती है। गालिबन देश की बहुत कम आबादी है जो उस जबान को उन्हीं मानों में जिन मानों में वह इस्तेमाल होती है आसानो से समझ सकती है। यह अलग बात है कि बात और कही जाय और मैं उस का कोई दूसरा अर्थ ले लूं। यह जरूरी है कि खसूसन न्यूज बुलेटिन्स और दूसरे सैक्शन्स से जो प्रोग्राम ब्राडकास्ट हों, वह ऐसी जबान में ब्राडकास्ट किये जाय जिसको कि लोग आसानी से समझ सकें। जबान को इस तौर पर जबरदस्ती ठूंसा न जाय बल्कि मकसद और प्रोग्राम को समझ कर उस के जरिये हमें कुछ चीजें और जो इस वक्त मुल्क के तकाजे हैं, जो कौम की जरूरियात हैं वह लोगों तक पहुंचानी हैं और उस के लिये जबान को एक जरिया बनाया जाये।

खुद बापू की जबान में उन के अल्फाज मैं यहां पर रखना चाहता हूं जो कि महात्मा गांधी ने जम्मू में कहे थे। मुझे फख्र है कि मैं उन की उस यात्रा का मुहर्रक था। जम्मू में आर० एस० एस० ने बाकायदा घेरा डाल दिया था और उस वक्त वह बापू से कुछ कमिट कराना चाहते थे कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जबान के मुताल्लिक आप का क्या ख्याल है ?

तो महात्मा जी ने फरमाया कि "भाई, जो मैं कहूं, वह तुम समझो और जो तुम कहो, वह मैं समझूं मैं उस भाषा में यकीन रखता हूं ।" इस पर उन लोगों ने पूछा कि वह किस तरह लिखी जायेगी। महात्मा जी ने जवाब दिया कि "जो आसान स्क्रिप्ट नजर आती है, जिस में लिख सकते हो, वह लिख लो।" अगर इस फार्मूले के मुताबिक, अगर इस बुनियाद पर इस जुबान को, हिन्दी को, बनाया जाता और आल-इंडिया रेडियो उसी को अपना लेता, तो यह एक बहुत माकूल बात होती। अगर आल इंडिया रेडियो इस पालिसी पर चलता कि जो कुछ उस के दिल्ली और दूसरे स्टेशनों से कहा जाता है, जनता उसको समझे—और वह जनता किसी खास इलाके, रिजन या शहर की नहीं, बल्कि वह जनता, जो कि काश्मीर से ले कर रास कुमारी तक फैली हुई है—तो मुल्क के ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी बातों को सुन सकते और फायदा उठा सकते। जरूरत इस बात की थी कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों

[श्री समनानी]

के लोग, जो कि रेडियो रख सकें, जो रेडियो के पास आ सकें, उस आवाज को समझ सकते, जो कि हवा के दोरों पर दिल्ली और दूसरे रेडियो स्टेशनों से चल कर उन तक पहुंचती है ।

लेकिन उस उसूल को मद्देनजर नहीं रखा गया है । यह कोशिश की जा रही है कि दलील और मुश्किल अल्फाज इस जुबान में बढ़ा दिये जायें और लोगों तक वही आवाज पहुंचाई जाये कुछ प्रोग्राम तो काफी अच्छे हैं । और उन में काफी बेहतर चीजें भी सामने आती हैं । लेकिन उन में भी अलफाज की भरमार लिखने वाले या समझने वाले के लिये एक मुसीबत बन जाती है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस सिलसिले में दो प्रोग्राम्ज का मुवाजना करूं, तो शायद ज्यादा वजाहत से अपनी बात आप के सामने रख सकूंगा । हमारे २८ या २९ स्टेशनों से करीबन २५०, ३०० घंटे का ब्राडकास्टिंग होता है, जिन में म्यूजिक, ड्रामा, न्यूज और क्लासिकल म्यूजिक वगैरह के प्रोग्राम शामिल हैं । उन में "उर्दू मजलिस" के नाम से आध घंटे का एक प्रोग्राम होता है । मुझे कभी कभी उस को सुनने का इत्तिफाक होता है । मैं इतना खुश नसीब तो नहीं कि मैं उसको रोज सुन सकूं, लेकिन कभी कभी सुनने का इत्तिफाक हुआ है । उस प्रोग्राम का नाम तो "उर्दू मजलिस" है, लेकिन जो उस को तरतीब देते हैं, उन का मंशा यह नहीं है कि उस उर्दू को कायम रखा जाये, जो कि फारसी से भरी होती है, या अरबी से भरपूर रहती थी, जो कि एक वक्त निशाना-ए-नफरत बन गई थी और न समझने की वजह से जिस से लोग पीछे हटते थे, बल्कि उन्हों ने अवाम तक पहुंचने के लिये इस को एक जरिया बनाया है । उस के चन्द एक प्रोग्राम में सुन सका हूं । उस में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं उसमें अच्छी अच्छी स्पीचिज होती हैं, तामिल के ड्रामे और तेलुगु की नजम का उर्दू तर्जुमा पेश किया जाता है और बहुत दफा यह भी कोशिश की जाती है कि दूसरी जबानों के शेर को उर्दू शेर में पेश किया जाये । यह एक अच्छी बात है और लोग उस को पसन्द करते हैं और उस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं । मेरे हल्का-ए-अहबाब में, मेरे दोस्तों में, जब उस प्रोग्राम का जिक्र आया, तो उन्हों ने उस की तारीफ की और मैं समझता हूं कि बाकी लोग भी ऐसा ही महसूस करते होंगे ।

लेकिन इसके मुकाबले में हिन्दी में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, जिस में दूसरी जुबानों का तर्जुमा सलीस और सादा जुबान में लोगों तक पहुंचाया जाये, बल्कि वे चाहते हैं कि कोई चीज आरिजिनली हिन्दी में लिखी जाये और मुश्किलतरीं हिन्दी में लिखी जाये और वह लोगों तक पहुंचाई जाये ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर "उर्दू मजलिस" और हिन्दी की मजलिस, ड्रामा, न्यूज और दूसरे प्रोग्रामों का आपस में मुकाबला किया जाये, तो साफ जाहिर है कि "उर्दू मजलिस" नाम पर जो प्रोग्राम नशर किया जाता है, उस में उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिये जुबान को जरिया बनाया गया है, लेकिन इस के बर-अक्स हिन्दी के प्रोग्राम्ज में हिन्दी जुबान को, और वह भी अपनी बनाई हुई खास किस्म की हिन्दी को, जिस को आम लोग आल इंडिया रेडियो की जुबान कहते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है । इन दोनों प्रोग्राम्ज में यह तफावुत है, यह फर्क है कि एक तरफ तो अदब, मौसीकी, आर्ट, ड्रामा वगैरह को लोगों तक पहुंचाने के लिये जबान को जरिया बनाया जाता है और दूसरी तरफ नाम तो लिया जाता है आर्टइम्यूजिक और दूसरी तीसरी चीजों का और उस के जरिये हिन्दी को लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है । लेकिन न तो उस को लोगों में आम-फहम बनाया जाता है और न ही उस के जरिये आर्ट और ड्रामा को लोगों तक पहुंचाया जाता है । इस तरह से राष्ट्रभाषा की कोई खिदमत नहीं होती है, बल्कि ख्वाह-मख्वाह उस के बारे में तास्सुब और प्रैजुडिस पैदा किया जाता है और उन लोगों को मौका दिया जाता है, जो कि राष्ट्र भाषा की आड़ में और कुछ कहना चाहते हैं ।

जैसाकि मैं ने अर्ज़ किया है, जनाब रेड्डी इन बातों से बालातर हैं और उन की वसी-उल-नज़री से मुझे तवक्को है कि वह इस खामी को--जोकि नादानिस्ता तौर पर रह गई है, यही मैं कहूंगा--दूर करने की तरफ तवज्जह देंगे। उन के जो हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, वे भी इस सिलसिले में काफी तजुर्बा रखते हैं और मैं समझता हूं कि थोड़े ही वक्त में इस में कुछ तब्दीली लाई जायेगी, जोकि नागुज़ीर है, क्योंकि जो चीज़ एक खास ताकत के ज़रिये या किसी खास ज़िद के तौर पर लोगों तक पहुंचाई जाये, वह कामयाब नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है।

इस वजारत के ज़िम्मे कई दूसरे महकमाजात भी हैं, जिन के ज़िम्मे बहुत बड़े बड़े काम हैं। उन में एक शोबा इश्तहारात, डी० ए० वी० पी०, भी है, जो कि काफी मुनज्ज़म डिपार्टमेंट है और जोकि काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन बाज़ औकात उस की पालिसी में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जिन के नतीजे के तौर पर कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि चाहे मैं अखबार चार सफे का छापूं या एक सफे का, उस में मैं तमाम मुल्की तकाज़ो और तमाम कौम के मुफादात को खत्म ही क्यों न कर दूं, लेकिन चूंकि सरकारी इश्तहार हैं, इसलिये मुझे यह हक हासिल है कि वे मुझे ज़रूर मिलने चाहियें। कुछ लोग यह सोचते हैं कि मैं फिर्कापरस्ती का प्रचार क्यों न करूं, हिन्दुस्तान के जो उसूल हैं, उन की मुखालिफत ही क्यों न करूं, हिन्दुस्तान के सामने जो मसायल हैं उन की परवाह चाहे मैं न करूं, मैं हिन्दुस्तान की सलामती को एक तरफ क्यों न छोड़ दूं और चीन की हिमायत ही क्यों न करूं, लेकिन चूंकि मैं ने अखबार निकाला है, इसलिये मुझे हक हासिल है कि मैं ज़रूर सरकारी इश्तहार लूं। मैं समझता हूं कि सरकारी इश्तहारात न तो किसी को तोहफे के तौर पर मिलने चाहियें, न किसी को रियायत के तौर पर और न किसी को रिलीफ़ के तौर पर मिलने चाहियें और न ही किसी के दिल में यह ख़याल रहने देना चाहिये कि चूंकि मैं ने अखबार निकाला है, इसलिये मुझे सरकारी इश्तहार ज़रूर मिलें। इस के अलावा मैं चाहता हूं कि न ही सरकारी इश्तहारात के ज़रिये किसी की जुबान रोक ली जाये, न यह कहा जाये कि हम तुम को सरकारी इश्तहार देंगे और इस तरह उस की जुबान-बन्दी कर दी जाये। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक कौमी मुफादात का ताल्लुक है, उन को हरगिज़ हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता है। इस बात पर काम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिये। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि चीन के साथ झगड़े के मामले में कम्यूनिस्ट पेपर्ज़ की जो पालिसी रही है, वह बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन हम उन को भी खुश करेंगे कि कहीं कल को वे कहेंगे कि सरकारी इश्तहार हमें नहीं मिलते। इसी तरह फिर्कापरस्ती अखबारों को भी सरकारी इश्तहार दिये जाते हैं। मैं जनाब रेड्डी साहब से यह तवक्को रखता हूं कि वह देखेंगे कि ये इश्तहारात कोई हक के तौर पर इसलिये हासिल न करे कि अवाम का रुपया डी० ए० वी० पी० के ज़रिये ले कर वह चीन की मदद करने के लिये या फिर्कापरस्ती के प्रचार के लिये इस्तेमाल करे। इस बारे में हुकूमत को निहायत जुरंत से कहना चाहिये कि यह रुपया अवाम का है और इस को अवाम और मुल्क के मुफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिये नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह पेपर किसी पार्टी को बिलांग करता हो और चाहे किसी इंडीविड्अल को बिलांग करता हो।

इस के अलावा डी० एव० वी० पी० के अपने ज़राये हैं। वह सर्कुलेशन और दूसरी तमाम चीज़ें देखता है। उन को देखने का उस को पूरा हक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रैस रजिस्ट्रार और डी० ए० वी० पी० में तो आपस में को-आर्डिनेशन है, लेकिन इस के साथ ही यह देखने की भी ज़रूरत है कि वह पेपर कितना छपता है, उस का सर्कुलेशन क्या है, उस का इन्फ्लुएन्स क्या है। जो अखबार फिर्कापरस्त है, या ऐसा अखबार है, जो गवर्नमेंट की बुनियादी पालिसी पर ही यकीन नहीं

[श्री समनानी]

रखता है, जिस को हमारी प्लान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, जिस को कौमी एकता, नेशनल इन्टेग्रेशन के साथ हमदर्दी नहीं है, जिस की नजरें किसी और तरफ लगी हुई हैं, लाज़िमी तौर पर उस की रीडर-शिप भी उसी तरह की होगी, जिस तरह के उस में मज़ामीन और लेख हैं। उन अखबारों के मुताबिक उन की रीडरशिप ने अपना खास दिमाग और रवैया बना लिया है कि हमें तो इस पालिसी के खिलाफ ही कहना है, तो फिर प्लान पब्लिसिटी के इश्तहारात और दूसरे इश्तहारात उस रीडरशिप को नहीं मोड़ सकते हैं। वे लोग उसी इन्फुलुएन्स में रहेंगे, जिस में उन को उन अखबारात ने बाकायदा रखा हुआ है। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इस सिलसिले में वज़ारत को निहायत सेहतमन्दाना और बाजुरंत पालिसी अपनानी चाहिये। उस में किसी इंडिविडुअल के नाराज़ हो जाने और किसी दूसरे के खुश हो जाने का सवाल नहीं होना चाहिये।

मैं आप की इजाज़त से दो मिनट में एक और प्वाइंट अर्ज़ कर के खत्म कर दूंगा। चाहे मिनिस्ट्री आफ इनफ़ार्मेशन हो, चाहे मिनिस्ट्री आफ रेल्वेज़ हो या टूरिज्म की मिनिस्ट्री हो, सब की मुशतरिका जिम्मेदारी है और उन से यह तवक्कय की जाती है कि उन का आपस में ताल-मेल रहे, उन का आपस में कोआर्डिनेशन हो और ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ही चीज़ दो दो महकमों से अलग अलग इशू हो। जब आप एक महकमा बना देते हैं, एक आर्गेनाइज़ेशन बना देते हैं और उस को तमाम ज़राये दे देते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि सारी जो चीज़ है, वह उसी चैनल से हो कर निकले, उसी चैनल से हो कर आगे जाये। लेकिन देखा गया है कि अगर एक इश्तहार डी० ए० वी० पी० इशू करता है तो उसी प्राजक्टर के मुताल्लिक, उसी प्लान के मुताल्लिक वही चीज़ किसी और जगह से आ जाती है, इश्तहार आ जाता है या लिट्रेचर आ जाता है। इस से वक्त की और रुपये पैसे की बरबादी होती है। मैं चाहता हूं कि डिफ्रेंट महकमों में आपस में कोआर्डिनेशन हो बिलखसूस जहां तक रेलवे मिनिस्ट्री के इश्तहारात का ताल्लुक है, मैं समझता हूं हमारे मिनिस्टर साहब निहायत आसानी से कह देंगे कि यह काम तो रेल मिनिस्टर के तहत होता है, इस वास्ते वह क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तवक्कय रखता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री से बात कर के वह एक वाज़य पालिसी बनायेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री के जो इश्तहारात हैं वे जो चैनल आफ न्यूज़पेपर्ज़ हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, उन को तो यह कह कर कि तुम अखबार हो बड़ी आसानी से दे दिये जाते हैं लेकिन जहां तक छोटे छोटे अखबार का ताल्लुक है, उन को वहां बड़ा हैरास किया जाता है और कहा जाता है कि जाओ डी० ए० वी० पी० से लिखवा कर लाओ कि तुम्हें यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता है और जब वे लिखा कर ले आते हैं तो कहा जाता है कि पन्द्रह परसेंट कम करो और पन्द्रह परसेंट कम करने के बाद जब इश्तहारात रूट आउट होते हैं तो वे प्राइवेट एजेंसी के ज़रिये होते हैं। अगर पन्द्रह परसेंट कम का रेट देना है तो क्यों डी० ए० वी० पी० को न दें। अगर एक प्राइवेट एजेंसी की खिदमत हासिल करनी है और गवर्नमेंट एजेंसी बनी हुई है, अच्छा काम कर रही है, तो उस को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैं ने कही हैं, इन पर गौर किया जायगा और आइंदा जब हम इस सिलसिले में बात करें तो शायद सारी चीज़ ठीक हो गई होगी।

श्री कि० पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों की मोनोपली के बारे में यहां काफी चर्चा हुई है और यह कहा गया है कि यह मोनोपली सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अखबारों तक ही सीमित नहीं है बल्कि देशी भाषाओं में भी इसका प्रवेश हो रहा है। कुछ भी हो, अगर इस मोनोपली से अखबारों को मुक्त किया जाना है तो वह देशी भाषा के अखबारों को प्रोत्साहन दे कर ही किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की यह निश्चित पालिसी होनी चाहिये कि

देशी भाषाओं के अखबारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। मैं पीरियाडिकल्ज़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस मोनोपली को, जो कि अंग्रेजी दैनिक अखबारों की है, तोड़ने का तरीका यह हो सकता है कि सरकार की तरफ से उनको बिल्कुल विज्ञापन न दिये जायें। यह ताज्जुब की बात है—यों हिन्दुस्तान में बहुत कम ताज्जुब की बातें होती हैं—कि गत साल करीब एक हज़ार अखबारों और पत्रिकाओं को जो विज्ञापन दिये गये थे, उनमें से सिर्फ ७४० देशी भाषाओं के थे और बाक़ी सभी अंग्रेजी भाषा के थे। शायद कोई भी सभ्य देश दुनिया में नहीं होगा जहां पर इस प्रोपोरशन में सरकारी विज्ञापन किसी विदेशी भाषा में चलने वाले अखबार अथवा अखबारों को दिये जाते हों और अगर कोई ऐसा सभ्य देश है तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको हमें बतायें। मैं समझता हूं कि सभ्य दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की सरकार विदेशी भाषा के अखबारों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देती है, ज्यादा से ज्यादा सरकारी विज्ञापन देती है और देशी भाषा के जो अखबार होते हैं, उनको कम देती है। इसलिए जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, जो सजैशन मैं रख रहा हूं यह कोई विचित्र प्रस्ताव अथवा सजैशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी के दैनिक अखबारों को बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं दिये जाने चाहियें और देशी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए देशी भाषाओं के जो अखबार हैं, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

जब मैं यह कहता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी को किसी पर लादा जा रहा है। अगर आप अंग्रेजी अखबारों को अपने विज्ञापन देना बन्द कर देंगे तो सिर्फ हिन्दी ही नहीं बल्कि हर जो देशी भाषा है, उसको कुछ न कुछ सुविधा मिलेगी।

मैं समझता हूँ कि शायद मैं अकेला सदस्य हूंगा इस सदन में जिसकी यह मांग है कि इस टेलीविज़न की स्कीम को बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये। शायद हम लोगों में, हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें यह न्यून भावना आ गई है, नीची भावना आ गई है कि एयर-कंडिशनिंग या टैलीविज़न जैसी चीजें नहीं होंगी तो कहीं ऐसा न माना जाए कि हम लोग पिछड़े देश के लोग हैं क्योंकि यहां पर ये चीजें नहीं हैं। ये चीजें सारी जनता के स्तर पर तो नहीं हो सकती हैं लेकिन कुछ न कुछ ये जरूर होनी चाहिये ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक दो टैलीविज़न देश में रख लेने से कोई काम नहीं हो सकेगा। अगले पचास साल तक हमारे देश में टैलीविज़न जन-शिक्षा का माध्यम नहीं बना सकता है। यह निश्चित बात है। इसलिए एक दो टैलीविज़न सैट कलकत्ता शहर या बम्बई में रख कर उन पर खर्च करना हमारे जैसे देश के लिए जिसमें पैसे का अभाव है और कई अन्य जरूरी स्क़ीमों के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है, बिल्कुल मूर्खता है। इस टैलीविज़न को बन्द करके हम चाहते हैं कि इस पैसे का रेडियो का ज्यादा प्रसार करने की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और जो रुपया उसमें खर्च किया जाता है, उसको इसमें खर्च किया जाना चाहिये।

तीसरी बात मैं फिल्मों के बारे में कहना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि फिल्में बुराई की जड़ हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का एक बहादुरी का पहलू रहा है और वह यह है कि वह राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा साधन रही है। जो हिन्दुस्तानी फिल्में होती हैं ये देश के चारों तरफ आदर की पात्र होती हैं और सही माने में हिन्दुस्तान की यह फिल्म इंडस्ट्री राष्ट्रीय एकता का एक साधन है। इसलिए मैं इसके खिलाफ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक क्वालिटी का ताल्लुक है, उसका बेहतर होना आवश्यक है। इस क्वालिटी को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इस पर हमें विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में म सिर्फ एक सजैशन दे सकता हूं, एक सुझाव दे सकता हूं। अगर हम फिल्म इन्डस्ट्री को यह डिक्टेट करें कि इस चीज पर या इस विषय पर फिल्में वे बनाये तो शायद इसको अनडेमोक्रटिक माना जाए। लेकिन शायद एक और चीज़ करके कुछ काम बनने की हम आशा कर सकते हैं और वह यह है कि हम फिल्मों की लैंग्थ को कंट्रोल

[श्री कि पटनायच]

करें। अभी जो फिल्में आ रही हैं, यह हिन्दुस्तानी जो फिल्में हैं, वे लैंग्थ में बहुत बड़ी होती हैं और बड़ी होने के कारण एक तो लोग का बहुत समय बरबाद होता है और दूसरे ऐसीऐसी चीजें उनमें भरदी जाती हैं, जो कि वाहियात होती हैं। अगर फिल्मों की लैंग्थ को कम किया जाएगा तो एक तो लोगों का समय बच जायेगा और दूसरे निर्माता जो फालतू की चीज़ें उसमें बढ़ा देते हैं या फालतू के गाने भर देते हैं या कहानी के या मकसद के बाहर की चीजें भर देते हैं, जिनसे बच्चों का दिमाग बिगड़ता है, उनके दिमागों पर खराब असर पड़ता है, वे ऐसी चीज़ें उनमें कम डाल पायेंगे, ऐसी चीजें उनमें कम घुस पायेंगी। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर खास तौर से विचार करें।

फिर और एक बात कि इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिग का जो डिपार्टमेंट है यह एक बहुत महत्व-पूर्ण विभाग हो सकता है, अगर उसको ठीक ढंग से चलाया जाय। जैसे कि अभी राष्ट्रीय एकता की बात जोरों से चल रहीं हैं। इस राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिये काफी काम यह मंत्रालय कर सकता है। जैसे कि भाषा के बारे में या लिपि के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिये लोगों को उतनी नहीं हो पाई है। स्क्रिप्ट के मामले में मैं नहीं सोचता हूं कि अभी तक इस डिपार्टमेंट से कोई ऐसा प्रयत्न हुआ है जिससे कि हिन्दुस्तान के आम लोगों को यह जानकार हो कि जो हिन्दुस्तान की भाषायें हैं उनकी जो लिपियां हैं वे बिल्कुल एकसी हैं, और उनमें बहुत कम फर्क़ है। लिपि के बारे में तो यह अवश्य है कि उसकी जो आज एक बड़ी दीवार बन गई है हिन्दुस्तान के अन्दर, उसको बतलाने के लिये इस डिपार्टमेंट से कोई किताब लिखने का काम या फिल्म के जरिये अथवा रेडियो के जरिये प्रचार करने का काम, जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। यह तो मैंने एक मिसाल दी, ऐसा बहुत सी मिसालें हो सकती हैं जिसके बारे में लोगों के दिमाग को बनाया जा सकता है, लोगों का जो सांस्कृतिक दिमाग है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उसे बनाया जा सकता है, अगर यह विभाग ठीक ढंग से काम करे।

आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसका जो डाइरेक्शन है वह अभी तक शहरों की तरफ ज्यादा है। देहात की तरफ उसके डाइरेक्शन को लाने के लिये ठीक ढंग से कोई कोशिश होनी चाहिये। देहात के जो ज्यादातर लोग हैं उन में देश की स्थिति के बारे में, देश नी समस्याओं के बारे में दिलचस्पी पैदा करने का भी जो काम है उसको आल इंडिया रेडियो कर सकता है। अभी जो प्रोग्राम होते हैं वे एकतरफा होते हैं। वे सरकारी साइड से बातें कहते हैं। किस स्थान पर स्थिति ऐसी है, समस्या यह है, इस ढंग से कहा जाता है। लेकिन अगर प्रोग्राम को ठीक ढंग से बनाया जाय तो वह दुतर्फा होना चाहिये। इस दुतर्फा प्रोग्राम को बनाने के लिये देहाती एसोसिएशन्स होनी चाहियें, रेडियो क्लब्ज़ होने चाहियें, ऐसी संस्थायें होनी चाहियें, जिनकी तरफ से कुछ देहात के प्रतनिधि आयें और ब्राडकास्टिंग में हिस्सा लें जिसमें कि वे आलोचनायें कर सकें और कृषि की स्थित पर या दूसरी समस्याओं पर आजादी से और बिना भय के अपना दृष्टिकोण को रख सकें। इस ढंग का कोई प्रोग्राम होना चाहिये। इस तरह के प्रोग्राम को तभी बनाया जा सकेगा जब सरकार आल इंडिया रेडियो पर जो विरोधी मत है उसको भी रखने की अनुमति दे। अगर सरकार उसको भी रखना चाहती है तब तो यह प्रोग्राम सफल हो सकता है नहीं तो नहीं। इस तरह के प्रोग्राम के बारे में भी सरकार सोचे।

चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी के बारे में जो एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है उस की बड़ी बड़ी आलोचना है। उसका कहना है कि इसको बन्द कर दिया जाय और फिल्म्स डिवीजन के साथ मिला दिया जाय। बाहर भी इसके बारे में काफी गन्दी गन्दी शिकायतें फैल रही हैं। यह एक ऐसी सोसाइटी है जिसके बारे में सरकार को पहले से ही होशियार हो जाना चाहिये था क्योंकि यह अवश्य सरकार

के पैसे से चलती है लेकिन यह एक आटोनोमस बाडी है। उसमें काम इस तरह से चलता है जिसमें कि भ्रष्टाचार का काफी अवसर रहता है। और चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी का जो कांस्टीट्यूशन पहले बना था बिल्कुल उसके मुताबिक ही काम होना चाहिये था। जैसे कि एक ट्रेजरर ऐप्वाइंट करना चाहिये था, लेकिन ट्रेजरर ऐप्वाइंट नहीं किया गया है, एक प्रोडक्शन सेक्रेटरी का ऐप्वाइंटमेंट होना चाहिये था, वह भी नहीं हुआ। यानी एक आदमी जो वहां पर है वह खुद ही ट्रेजरर बन गया, और खुद ही प्रोडक्शन सेक्रेटरी बन गया, और जेनरल सेक्रेटरी तो वह है ही। इस तरह से तीन बड़े आदमियों का काम एक आदमी में निहित हो गया इसलिये करप्शन भी तीन गुना हो गया, यही नहीं जेनरल सेक्रेटरी ने अपने मन के मुताबिक कांस्टिट्यूशन को भी बदल डाला। ऐसी बहुत सी मिसालें इस चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी में देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि दिल्ली में चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी की अपनी कोई कार नहीं है, लेकिन ड्राइवर है जो कि जनरल सेक्रेटरी की निजी कार को चलाता है। जहां पर इतना भ्रष्टाचार है उस के लिये मैं यह मांग तो नहीं करूंगा कि उसकी जुडिशल एन्क्वारी हो क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि बिना जुडीशल एन्क्वायरी के भी डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया जा सकता है। या तो चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी को डिस्बैंड किया जाना चाहिये या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिये।

श्रीमती कमल चौधरी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस मांग का समर्थन करती हूं। अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की शिकायतें रखीं। वह सब सुन कर मुझे वह दिन याद आ गये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में यह विभाग प्रारम्भ हुआ था। उस समय की रेडियो वार्ताओं को सुन कर कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि शायद किसी मुगलकालीन महफिल से आवाज आ रही है, और कभी ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे वह समय हो जब कि हिन्दी अविकसित थी और बहुत सी किताबें थीं जिन में अलिफ लैला की कहानियां और इन्द्र सभा जैसी पुस्तकें प्रचलित थीं जिन की भाषा होती थी कि "एक शाहज़ादा एक बाम पर सोता था नादान।" रेडियो से इस तरह की चीजें आती थीं जो एक मज़ाक सा मालूम होती थीं रेडियो की वार्तायें। मुझे बड़ी खुशी है कि इस थोड़े समय मे हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत प्रगति की। मुझे इस की भी खुशी है कि जो मंत्री महोदय इस विभाग के संरक्षक हैं वह भी साहित्य से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। भाषाओं में भी उन की दिलचस्पी है और मैं आशा करती हूं कि दिन प्रति-दिन हमारी रेडियो वार्ताओं में और फिल्मों में प्रगति होगी और आज जो बहुत सी कमियां महसूस होती हैं वे धीरे धीरे दूर होंगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जो परम्परायें हमारे भूतपूर्व मंत्री डा० केसकर ने प्रारम्भ कीं, मैं समझती हूं कि देश में सभी वर्गों ने उन को पसन्द किया, विशेषतया हमारे देश के लेखकों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने इस को महसूस किया कि सचमुच रेडियो की जो परिमार्जित भाषा होनी चाहिये वह रेडियो की बने। विभिन्न प्रकार की काव्य परम्परायें विभिन्न भाषाओं में पाई जाती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय को इस बात के लिये कि उन सभी परम्पराओं को जीवित रखना है। हमारी जो लोकभाषायें आज हैं उन का भी बाहुल्य हमें रेडियो वार्ताओं में मिलता है। देखा जाये तो हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य का जो भंडार इन्हीं लोक भाषाओं के अन्दर है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अगर अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वह एक सजी वजी भाषा होती है। जो हमारी ग्रामीण भाषायें हैं, लोक भाषायें हैं उन में जो साहित्य हमें मिलता है उन्हीं से हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी और उन्हीं मे हमें देव वासियों, प्राकृतिक और मौलिक रूप में भावनाओं का दर्शन मिलता है। वही हमारा साहित्य का भंडार है। उन भाषाओं का भी उद्भव हो रहा है इसकी मुझे खुशी है।

[श्रीमती कमला चौधरी]

इस सदन में हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि हमारा देश नृत्य और गान की तरफ अधिक ध्यान दे रहा है मुझे इस से बड़ा डर मालूम हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे मंत्री महोदय के ऊपर उसका प्रभाव पड़े मेरा खयाल है कि आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी कलाओं का विकास करें। आज विज्ञान के युग मे सिनेमा और रेडियो हमारे पास ऐसे साधन हैं जिन से हम एक दम समाज का काया पलट कर सकते हैं। हमारी संस्कृति का विकास करने के लिए सब से बहुमूल्य वस्तु हमारे हाथ में रेडियो है। मुझे अफसोस है कि वह माननीय सदस्य इस वक्त यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं उन से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या नृत्य और संगीत की कला हमारे देश मे आज की देन है ? यह प्राचीन युग से हमें मिली हुई है और हमारी संस्कृति का विकास तभी होगा जब हमारी इन कलाओं का परिमार्जन हो। तो मैं मंत्री महोदय से इस बात की प्रार्थना करूंगी कि रेडियो के द्वारा हमारी कलाओं को वह जितना अधिक प्रोत्साहन दे सकें देने की कृपा करें।

मैं एक और नम्र निवेदन करना चाहूंगी। एक बात मैं समाज मे देख रही हूं कि जिस को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कह कर प्रस्तुत करते हैं--रेडियो से भी मैं इस बात के बहुत उदाहरण दे सकती हूं और मंच पर भी हमारे सामने ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं--इनका नाम जरूर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है लेकिन जो हमें देखने को मिलता है या जो ध्वनियें हमारे कानों में पड़ती हैं, वे सिनेमा की होती हैं। मुझे यह खुशी है कि रेडियो के द्वारा आज शास्त्रीय संगीत का भी कार्यक्रम होता है।

भाषा के विषय में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार की बातें कहीं। हमारे काश्मीर के सदस्यों ने जोर दिया कि संस्कृतमय हिन्दी रेडियो से बोली जाती है और शायद उरदू की मांग उन्होंने की। कुछ लोगों का खयाल है कि शायद और तरह की भाषा कायम होनी चाहिए। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि भाषा को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अगर राष्ट्रभाषा की परिभाषा की जाये तो मैं यह स्वीकार करूंगी कि वह एक किसान के झोंपड़े से लगा कर इस सदन तक में बोली जा सकती है। लेकिन जहां पर प्रश्न यह होता है कि हम को कोई दर्शन ग्रंथ या काव्य की पुस्तक लिखनी है या कविता लिखनी है तो उसमें किसी भाषा को बांधा नहीं जा सकता है।

आज हमारा हर एक देशवासी चाहेगा कि जो भी हमारे बड़े बड़े कवि हो गये हैं, लेखक हो गये हैं, उनको जीवित रखा जाये। हम सूर, तुलसी को भी जीवित रखना चाहेंगे, और गालिब को भी जीवित रखना चाहेंगे, साथ ही जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके साहित्य को भी जीवित रखना चाहेंगे। इस विशाल देश में ११८ भाषाएं बोली जाती हैं और उन में से बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जिनका अपना साहित्य है। हम चाहेंगे कि सभी भाषाएं सुरक्षित रहें।

आज स्थिति यह है कि जिनका सम्पर्क जिस भाषा से नहीं है उनको वह बड़ी अजीब मालूम होती है। सदन के अनेक माननीय सदस्य जब अपनी क्षेत्रीय बोली बोलते हैं तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इसी तरह से मैं उन की कठिनाई को समझती हूं जिनको हिन्दी का ज्ञान नहीं है। उनको हिन्दी कठिन लगती होगी। लेकिन देश में एक राष्ट्र भाषा बनानी है। और संविधान में जब हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया गया था तो यही प्रश्न सामने था कि इस देश की अधिकांश जनता किस भाषा को अधिक बोलती है। तो यह तुलसी की देन है तुलसीकृत रामायण की बदौलत आज इस देश में जगह जगह लोग हिन्दी को समझते हैं चाहे वह हिन्दी भाषा भाषी भले ही नहीं हैं। महाभारत, रामायण, गीता सभी ने पढ़ी है। सब उसको समझते हैं। तो फिर थोड़े दिनों तक यह

संकट अवश्य हमारे सामने रहेगा । लेकिन आखिर तो हमें अंग्रेजो की गुलामी को छोड़ कर अपने देश के लिए एक भाषा बनानी ही पड़ेगी ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि आज हिन्दी की संस्कृतमय होने की शिकायत की जाती है उसी के अनेक लेखक जो कुछ लिखते हैं उसमें उर्दू का बाहुल्य होता है हालांकि मैं जानती हूं कि उसमें उर्दू का बाहुल्य होने से हिन्दी कोई सरल नहीं बनती । सभी भाषाओं का हम को ध्यान रखना पड़ेगा ।

मैं सिनेमा के बारे में मंत्री महोदय से जरूर यह शिकायत करना चाहूंगी कि आज जिस तरह से सिनेमा चित्र चल रहे हैं उससे हमारा समाज दूषित हो रहा है । ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में न्यू थिएटर्स ने बहुत सी फिल्में ऐसी बनायी थीं जिनको पढ़े लिखे भी पसन्द करते थे और ग्रामीण भी पसन्द करते थे । क्योंकि उन में कला थी । लेकिन आज ऐसी फिल्मों की कमी है । इनके कारण आज बड़ा असंतोष देश में फैला है । लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी है और समाज में एक बड़ी बेचैनी है अनैतिकता है । मैं समझती हूं कि इसका कारण बहुत कुछ हमारे ये चित्र हैं । इस पर ध्यान देना चाहिए ।

समाज को सुधारने के लिए, अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए मैं समझती हूं कि सब से बड़ा साधन फिल्में हैं अगर ये अच्छी बनें । अच्छी फिल्मों को देख कर हमारे बालक बालिकाओं का और जो आने वाली पीढ़ी है उसका बहुत सुधार हो सकता है । अतः मैं इस बात पर विशेष जोर दूंगी कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में मैं धन्यवाद के साथ यह निवेदन करना चाहूंगी कि रेडियो द्वारा रवीन्द्र जयन्ती जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये, मंत्री महोदय उसी को इतिश्री न समझ लें । अभी अनेक लेखक और कवि जो आज जीवित नहीं हैं उनके बारे में समाज को मालूम होना चाहिए कि उनकी समाज को क्या देन है । (†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन) एक बात मैं और कहना चाहूंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने दूसरे सदस्य को पुकारा है ।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि इसके भूतपूर्व माननीय मन्त्री डा० केसकर जी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करूं क्यों कि उन्होंने दस वर्षों तक बहुत ही योग्यता, परिश्रम, अध्यवसाय और लगन के साथ इस मन्त्रालय का नेतृत्व और संचालन किया था । भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार करने और उसको उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिये उन्होंने जो प्रयत्न किया उसके लिए युग-युगों तक भारतीय जनता उनका आदर करेगी । लेकिन केवल यही नहीं कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी प्रोत्साहन दिया हो । उसी के साथ उन्होंने सुगम संगीत, विविध भारती और लोक संगीत का भी प्रचार और प्रसार किया जिसके लिए हम उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करते हैं ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस मन्त्रालय के नए मन्त्री, हमारे आदरणीय मित्र डा० बी० गोपाल रेड्डी, एक ऐसे अवसर पर इस मन्त्रालय में नियुक्त हुए हैं जबकि उनके कन्धों पर इसका दुहरा दायित्व है । पहले मन्त्री राज्य स्तर के मन्त्री थे और अब श्री रेड्डी पूर्ण मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री नियुक्त हुए हैं। इसलिये जहां इससे उनके सम्मान में वृद्धि हुई है वहां उनके ऊपर उतना ही उत्तरदायित्व

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री भक्त दर्शन]

भी बढ़ गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपनी योग्यता और लगन के द्वारा उस उत्तरदायित्व को पूरा करने में सफल होंगे।

उनके सम्बन्ध में मुझे एक विशेष निवेदन करना है। वर्षों पहले उन्होने कवि कुल गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर की विश्वभारती में सत्यम्, शिवं, सुन्दरम् का पाठ पढ़ा था। मुझे भी कुछ समय वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था परन्तु डा० रेड्डी उस समय वहां नहीं थे। और मुझे विश्वास है कि कवीन्द्र रवीन्द्र से उन्हें जो प्रेरणा मिली थी उसे वह अपने कार्यकाल में बनाये रखेंगे।

मैं सबसे पहले मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से सात आठ वर्ष पूर्व प्रेस आयोग ने अनेक सिफारिशें की थीं। प्रति वर्ष हम इस बात को दुहराते रहे हैं कि जो सिफारिशें उस आयोग ने की हैं उनमें से अनेकों सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई हैं। और अब तो बहुत से क्षेत्रों से यह मांग की जा रही है कि एक नया आयोग नियुक्त किया जाए यह सिफारिश करने के लिये कि किस प्रकार प्रेस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपना व्यक्तिगत ध्यान उस आयोग की सिफारिशों की ओर दें और जो सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं उनको जल्दी से जल्दी कार्य रूप में परिणित करने का प्रयत्न करें।

श्रीमन्, केवल दो सिफारिशों के बारे में ही मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझसे पहले कई एक आदरणीय मित्रों ने समाचार पत्रों के स्वामित्व में जो एकाधिकार (मोनोपली) की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके बारे में इशारा किया है। अभी उस दिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया था कि प्रेस रजिस्ट्रार महोदय इस का अध्ययन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रेस रजिस्ट्रार जी के प्रति पूरी आस्था रखते हुए भी मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कि मन्त्रिमण्डल के स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिये स्वयं प्रेस आयोग ने बहुत से सुझाव उस समय दिये थे जिनको कि आज कार्यान्वित करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो स्वयं माननीय मन्त्री जी को साहस के साथ कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। यहां पर मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके बारे में और अधिक कह सकूं।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि माननीय मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि वह एक प्रेस सलाहकार परिषद् की नियुक्ति करना चाहते हैं। उनके इस विचार का मैं स्वागत करता हूं लेकिन मेरी छोटी राय में उनका जो उद्देश्य है वह उससे पूरा नहीं होगा। प्रेस आयोग ने जिस प्रेस कौंसिल की स्थापना का सुझाव दिया था, जब तक वह नियुक्त नहीं की जाती तब तक असली मन्तव्य पूरा नहीं हो सकेगा।

अभी कुछ दिन पहले दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स की बैठक में हमारे माननीय गृह मन्त्री जी ने, जिसमें कि डा० गोपाल रेड्डी स्वयं उपस्थित थे, उसमें गृह मन्त्री महोदय ने कहा था कि मैं अपने आदरणीय मित्र से अनुरोध करता हूं कि प्रेस कौंसिल की शीघ्र स्थापना करें ताकि मेरे हाथ मजबूत हों और हमारा काम हल्का हो और सरल हो। अब जो चीज कि हमारे प्रधान मन्त्री जी चाहते हैं, खुद हमारे सूचना और प्रसारण मन्त्री महोदय चाहते हैं और गृह मन्त्री महोदय चाहते हैं, मन्त्रिमण्डल के इतने महत्वपूर्ण मन्त्री जब इसको चाहते हैं तब इसके होने में देरी क्या है? इसके लिये सन् १९५६ में राज्य सभा में एक कानून पास भी हो गया था लेकिन लोक-सभा में उसके आते-आते चुनाव हो गये और वह 'कोल्ड स्टोरेज' में रख दिया गया और समाप्त कर दिया गया। मैं माननीय

मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको पुनर्जीवित करें। उसको नया प्राण दें चाहे उसके स्वरूप को कुछ बदल दिया जाये। अतः समाचारपत्रों की आचार संहिता बनाने के लिये और उनके ऊपर स्वयं अपना ही नियन्त्रण बनाये रखने के लिये यह बहुत आवश्यक है।

श्रीमन्, फिल्मों के सम्बन्ध में यहां पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। अपनी हिन्दी की फिल्मों को देख कर तो मेरा सिर मारे शर्म के नीचे झुक जाता है। क्योंकि उनका स्तर दिन दिन गिरता जा रहा है। राजकीय पुरस्कारों की जो व्यवस्था पिछले दिनो की गई थी, यह कितने शर्म की बात है कि हिन्दी ४० प्रतिशत भारतवासियों की मातृभाषा होते हुए भी और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उसको प्रोत्साहन दिये जाने पर भी हमारी हिन्दी फिल्मों को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार नहीं मिल पा रहा है। अतः ज़रा हम गौर करें कि आखिर बात क्या है? हमारे जो फिल्म निर्माता लोग हैं वह क्वालिटी——स्तर को ऊंचा रखने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि उनको केवल रुपया कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं और यह केवल मात्र रुपया कमाने की मशीनें बनती जा रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डा० केसकर ने फिल्म सेंसर बोर्ड के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने का जो प्रयत्न किया था उस प्रयत्न में और ज्यादा प्रगति होनी चाहिये। हमारे बच्चों और हमारे युवकों और युवतियों के चरित्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाये। हम इस बात को सहन नहीं कर सकते कि जो जनता के सेवक हैं, माननीय मन्त्री के रहते हुए, एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो हमने संकल्प किया है उसके रहते हुए इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण किया जाये जिससे कि हमारे माथे पर कलंक का टीका लग जाये। मुझे आशा है कि इसका कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा।

मुझे एक सूचना मिली है कि डा० केसकर ने चूंकि सेंसर नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने का प्रत्यन किया था तो यह कहा जाता है कि जब उनकी हार का समाचार रेडियो में प्रचारित हुआ, और अखबारों में प्रकाशित हुआ तो कई फिल्म निर्माताओं ने बड़ी खुशी मनाई। जहां यह फिल्म निर्माताओं के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है वहां डा० केसकर के प्रति एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे नये मन्त्री डा० गोपाल रेड्डी उनसे भी अधिक साहस के साथ इस ओर कदम उठायेंगे।

श्रीमन्, आकाशवाणी के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं का प्रचार करने में, राष्ट्रीय एकीकरण करने में जितना प्रशंसनीय उद्योग इस बीच किया जा रहा है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है। एक माननीय मित्र के भाषण प्रारम्भ करते हुए यह आक्षेप किया था कि हमारी आकाशवाणी ने पिछले चुनावो में निष्पक्षता का पालन नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिस में आकाशवाणी ने किसी भी राजनीतिक पक्षपात को प्रश्रय दिया हो। इस किस्म का वह एक भी दृष्टान्त उपस्थित करें। मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि उसने पूरे तरीके से घरघोर निष्पक्षता का परिचय दिया है।

श्रीमन्, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के ५६ केन्द्र स्थापित होने जा रहे हैं। उसकी सूची इस वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम वर्षों से यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित किया जाये। डा० केसकर न इसके लिए बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित की थी। उनकी इसमें व्यक्तिगत इच्छा भी थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पायी। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया गया था कि हम उसे रामपुर में कायम कर रहे हैं, पर रामपुर में इसे कायम करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। रामपुर रुहेलखण्ड के लिये एक केन्द्र हो सकता है। लेकिन

[श्री भक्त दर्शन]

यह जो हमारा गंगा यमुना के उद्गम स्थानों का क्षेत्र है, जिसके कि अन्दर बद्री और केदार की पवित्र भूमि है उस इलाके के लिये जहां आज भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति बहुत कुछ अंशो में वर्तमान है, उसके लिये एक अलग केन्द्र की स्थापना होनी चाहिये ।

श्रीमन्, अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे उप-सूचना तथा प्रसार मन्त्री लाला शामनाथ यहां इस समय सदन में बैठे हुए हैं । उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से आदर प्रकट करते हुए एक बात मैं कहना चाहताहूं मुझे आशा है कि वह बुरा नहीं मानेंगे । हिन्दी के समर्थकों में आज एक खलबली मची हुई है और यह ख्याल किया जा रहा है कि उपमन्त्री महोदय आकाशवाणी की हिन्दी के रूप को बदलना चाहते हैं । वह कहते हैं कि शायद अब आल इण्डिया रेडियो में गजलों और कव्वालियों का जोर होने वाला है और चुनांचे की चटनी और अगर्चे की दाल पकने वाली है । हमारे लाला शामनाथ उर्दू के बड़े शैदायी हैं और शायद शायर भी हैं । जहां मैं उनका आदर करता हूं वहां साथ ही मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले १०–१५ वर्षों के अन्दर आकाशवाणी ने हिन्दी का जो स्वरूप निर्धारित किया है वह एक स्टैंण्डर्डाइज्ड और टकसाली हिन्दी बन चुकी है । उसके साथ में छेड़छाड़ करना इस समय न्यायपूर्ण नहीं होगा ।

सबसे बड़ी बात क्या है ? आज हिन्दी को दो दिशाओं में खींचा जा रहा है । एक ओर तो उसको सरल करने के नाम पर बहुत से लोग चाहते हैं कि उसके अन्दर अरबी और फारसी के शब्द भर दिये जायें तो दूसरी ओर उसको सारे देशमें समझने के लायक बनाने के लिये संस्कृत निष्ठ भाषा बनाने का प्रयत्न किया जाता है । दक्षिण भारत के मित्र अक्सर यहां पर मुझ से कहा करते हैं कि जैसी हिन्दी में मैं बोलता हूं, मैं यह नहीं कहता कि उसके लिये मैं कोई गौरव अनुभव करता हूं,लेकिन जिस तरह की हिन्दी मैं बोलता हूं उसको बंगाल और दक्षिण भारत के मित्र समझ लेते हैं लेकिन जैसी हिन्दी, मुझे क्षमा करें, हमारे प्रधान मन्त्री महोदय बोलते हैं, उसको समझना उन के लिये कठिन होता है ।

उर्दू के लिए, मिर्जा गालिब के प्रति मेरी बहन श्रीमती कमला चौधरी ने जो अपना आदर प्रकट किया है, उसके सामने हम नतमस्तक हैं । उर्दू साहित्य ने विश्व साहित्य को एक बड़ी देन दी है । उर्दू का प्रोग्राम अलग हो, उसकी तरक्की हो और उस के लिये अधिक समय दिया जाय उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है; हम उसका समर्थन करते हैं । लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी और उर्दू की एक खिचड़ी बनाना और एक वर्णशंकर भाषा को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना मैं समझता हूं कि यह हिन्दी की हत्या करनी होगी । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और तब जाकर इस पर कोई कदम उठायें ।

बस इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की अनुदान की मांगो का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़—उत्तर) : रेडियो संसार के विभिन्न क्षेत्रों को निकट लाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । मुझे आशा है कि हमारा देश विशाल होने के कारण और भाषा और संस्कृति में विविधता होने के कारण सूचना भेजने वाले स्टेशनों की संख्या बढ़ जाएगी । सूचनाएं भेजने वाले और सूचनाएं ग्रहण करने वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ानी चाहिये ।

रेडियो का ग्रामीण जनता पर बहुत प्रभाव होता है । गांव में पंचायत रेडियो से लोग प्रोग्राम सुनते हैं । लोगों को लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली के नियमों से अवगत करने के लिये एक गांव में एक से अधिक रेडियो होने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो कलाकारों के गाने टेपरिकार्ड कर लिये जाते हैं। दूसरी पर वहां से रेडियो पर सुनाए जाते हैं। इस गृह से कलाकारों को पुन: अपने गाने सुनाने का अवसर नहीं मिलता।

ए० बी० सी० श्रेणी के कलाकार हैं। अपनी श्रेणी को अच्छा बनाने के लिये कोशिश करने के अवसर कलाकारों को मिलने चाहियें।

स्टाफ कलाकार ठेके पर लगाए जाते हैं। यह अच्छी प्रणाली नहीं है। इस तरह से उनकी सेवाओं को सुरक्षा नहीं होती।

हमारे देश में कई संस्कृतियां और भाषायें हैं। रेडियो पर विभिन्न संस्कृतियां और भाषाएं इकट्ठी होती हैं। इस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। रेडियो पर विभिन्न क्षेत्रों के कवियों, लेखकों, दार्शनिकों, और कलाकारों के बारे में बताया जाता है। इससे एकता की भावना बढ़ती है।

रेडियो के अतिरिक्त विज्ञापन के और साधन भी हैं--फिल्म विभाग, प्रकाशन विभाग और प्रदर्शिनी हैं। देश में चलती फिरती गाड़ियां (मोबाइल वैंस) जाती हैं। कई गांवों में गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। वहां भी इन के पहुंचने का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि लोगों को हाथकरघा व्यापार इत्यादि से परिचय हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शिनियों भी होनी चाहियें।

प्रकाशन विभाग से यह मन्त्रालय बहुत सेवा कर रहा है। अपने प्रकाशनों द्वारा यह राष्ट्रीय समस्याओ की ओर ध्यान दिलाता है।

आकाशवाणी में बड़े कलाकार और समाज में विख्यात व्यक्ति जब अपने विचार करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने वक्तव्य की अनुलिपि देनी पड़ती है। जब वह अनुलिपि निरीक्षा के बाद उनके पास आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वक्तव्य बदल दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिये। विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अनुदानों पर चर्चा चल रही थी उस समय तत्कालीन मन्त्री महोदय डा० केसकर को चारों ओर से धन्यवाद दिया जा रहा था, उनसे मैंने कहा था कि कहीं अधिक बोझा धन्यवाद का न पड़ जाय इसलिये मैं अधिक बोझ आपके कन्धों पर नहीं रखना चाहता। लेकिन आज जब वे इस पद पर नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में विरोधी दल का एक सदस्य होने के नाते जो परम्परायें उन्होंने पिछले दस वर्षों में डाली हैं उनके लिये अपना आभार प्रदर्शित करता हूं। मेरा अपना विश्वास है कि डा० केसकर के स्थान पर जब डा० गोपाल रेड्डी ने इस मन्त्रालय का भार लिया है तो जिन परम्पराओं का श्रीगणेश पिछले दस वर्षों में हुआ है उन के सम्बन्ध में मन्त्री बदलने के साथ नीति में परिवर्तन नहीं होगा, अपितु उनमें और विकास होगा।

इसके साथ ही साथ जो बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भाषा के सम्बन्ध में अभी यहां कुछ चर्चा चल रही थी कि हिन्दी का सरलीकरण किया जाय और हिन्दी को सरल स्वरूप दिया जाय जिसमें कि सड़क पर चलने वाले साधारण व्यक्ति से लेकर ऊपर तक सब उस को समझ सकें। मेरा अपना विश्वास है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री भक्त दर्शन ने भी बतलाया कि भाषा के सम्बन्ध में इस समय देश में दो दष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण वह है जो पंजाब, काश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तक सीमित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २९ मई, १९६२/ज्येष्ठ ८, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २८ मई, १९६२
७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३३५—५८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७०	गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड	३३३५—३६
१०७२	स्टैण्डर्ड वेक्यूअम आयल कम्पनी	३३३६—३७
१०७४	प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन	३३३७—३८
१०७५	छोटे उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात	३३३८—३९
१०७७	शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें	३३३९—४१
१०७८	जम्मू तथा काश्मीर से लोक-सभा के सदस्य	३३४१—४३
१०७९	त्रिपुरा में रहन सहन के खर्च का देशनांक	३३४३—४४
१०८०	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	३४४४
१०८५	जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड के कर्मचारियो के लिये पेंशन	३३४४—४६
१०८१	तेल की पाइप लाइन	३३४६—४९
१०८३	अध्यापकों का वेतन	३३४९—५१
१०८४	लोहा और इस्पात के झूठे कोटाधारी	३३५१—५३
१०८६	रूस से ए० एन० १२ विमानो और हैलीकाप्टरो की खरीद	३३५३—५४
१०९०	भारत-तिब्बत सीमान्त क्षेत्रों के अन्दर भारत-विरोधी गतिविधियां	३३५५
१०९१	सैलम में सोना	३३५५—५६
१०९२	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यान्विति	३३५६—५७
१०९३	विज्ञान के ग्रीष्मकालीन स्कूल	३२५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३३५८—३४०२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७१	सेक्शन आफिसरों की तालिका	३३५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों क लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०७३	मनीपुर प्रशासन	३३५९
१०७६	रूरकेला में "सिन्टरिंट प्लान्ट"	३३५९
१०८२	मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता .	३३५९-६०
१०८७	हीरे की खानें	३३६०
१०८८	शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र .	३३६०
१०८९	कच्छ और पश्चिम पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार . .	३३६०-६१
१०९४	जिला मेहसाना (गुजरात) में तेल का सर्वेक्षण .	३३६१
१०९५	भारत में संयुक्त राज्य अमरीका से विद्यार्थी . .	३३६१
१०९६	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन . .	३३६१-६२
१०९७	गांधीनगर (गुजरात राज्य) में तेल के लिये छिद्रण . .	३३६२
१०९८	बुनियादी शिक्षा	३३६२
१०९९	भारत से विदेशी प्रविविज्ञ	३३६२-६३
११००	खनन उद्योग	३३६३
११०१	जीवन बीमा निगम के बिना भुगताये हुए दावे और असमायोजित धनराशि	३३६३
११०२	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम . .	३३६३
११०३	भारतीय प्रशासन सेवा . . .	३३६४
११०४	सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिये जिप्सम . .	३३६४
११०५	लक्कादीव द्वीप समूह तथा मिनिकाय विनियम . .	३३६४
११०६	उड़ीसा में लौह अयस्क . . .	३३६५
११०७	हथियारों के लिये लाइसेंस देने की नीति में उदारता .	३३६५
११०८	पब्लिक स्कूलों में सरकारी छात्र . .	३३६५-६६
११०९	नूनमती तेल शोधक कारखाना	३३६६
१११०	लोक-सभा के लिये नाम निर्देशन . . .	३३६६-६७
११११	दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी . .	३३६७
१११२	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम . .	३३६७-६८
१११३	भारतीय विमान बल के विमान के साथ दुर्घटना . .	३३६८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०२६	भारतीय प्रशासन सेवा आदि की परीक्षायें . . .	३३६८३--६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०२७	भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष भर्ती	३३६९
२०२८	अभारतीय आई० सी० एस० अफसरों की पेंशन	३३६९
२०२९	पेंशन के लिये अर्हतादायक आयु	३३७०
२०३०	उत्तर प्रदेश में अस्पृश्य जातियां और पहाड़ी आदिम जातियां	३३७०
२०३१	सिवालिक पट्टी का भूतत्वीय सर्वेक्षण	३३७०
२०३२	इस्पात कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ	३३७१
२०३३	विदेशी राष्ट्रजन	३३७१
२०३४	गुलवर्ग इंजीनियरी कालेजों को अनुदान	३३७१
२०३५	आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	३३७२
२०३६	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	३३७२
२०३७	आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति आवास योजना	३३७२
२०३८	आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी कालिज	३३७२–७३
२०४०	कोरापट (उड़ीसा) में सीमेण्ट का कारखाना	३३७३
२०४१	रूरकेला उर्वरक संयन्त्र	३३७३
२०४२	उड़ीसा की लोहा तथा इस्पात की आवश्यकता	३३७३–७४
२०४३	सामुदायिक विकास पाठ्यक्रम	३३७४
२०४४	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से प्राप्त ऋण	३३७४–३३७५
२०४५	ललित कला अकादमी	३३७५
२०४६	विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी	३३७५–३३७६
२०४७	उड़ीसा में आदिम जाति शिक्षा	३३७६
२०४८	उड़ीसा में स्कूलों में मध्याह्न भोजन	३३७६–७७
२०४९	उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता	३३७७
२०५०	उड़ीसा में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	३३७७
२०५१	केन्द्रीय मन्त्रियों को दिये गये भत्ते	३३७७–७८
२०५२	हिन्दी में नोट लिखना	३३७८
२०५३	अखिल भारतीय विज्ञान असैनिक सेवा	३३७८
२०५४	शराब का उपभोग	३३७८–७९
२०५५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुम काफी का पता लगाया जाना	३३७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०५६	बहुमूल्य हीरों आदि का तस्कर व्यापार	३३७९
२०५७	डी० एम० कालिज, इम्फाल	३३७९
२०५८	मनीपुर में बंगाल सुरक्षा अधिनियम	३३८०
२०५९	मनीपुर में विभिन्न पदों के वेतन क्रम	३३८०
२०६०	आसाम में 'त्रिपुरा' और 'हलम्स' आदिम जातियां	३३८०–८१
२०६२	विशेष पुलिस प्रतिष्ठान	३३८१
२०६३	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ऋण	३३८२
२०६४	इस्पात और स्क्रैप का निर्यात	३३८२
२०६५	मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में कल्याण पदाधिकारी	३३८२
२०६६	नेल्लौर को सीमेन्ट की सप्लाई के लिये माल-डिब्बे	३३८३
२०६७	मध्य प्रदेश में मिट्टी के निक्षेप	३३८३
२०६८	राजस्थान में भारी उद्योग	३३८३–८४
२०६९	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	३३८४
२०७०	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण	३३८४–८५
२०७१	दिल्ली के पुस्तक विक्रेता	३३८५
२०७२	निर्वाचन आयोग में हिन्दी का प्रयोग	३३८५
२०७३	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में नोट लिखा जाना	३३८५
२०७४	कर संग्रह में उत्तर प्रदेश का हिस्सा	३३८६
२०७५	कांगों में भारतीय फौज	३३८६
२०७६	आय-कर कार्यालय, कोटा में प्रतीक्षालय	३३८७
२०७७	निकोबार द्वीप समूह में व्यापार	३३८७
२०७८	अन्दमान द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी	३३८७–८८
२०७९	पर्वतारोहण अभियान	३३८८
२०८०	मध्य प्रदेश में विज्ञान मन्दिर	३३८९
२०८१	आदिम जाति खण्ड	३३८९
२०८२	दिल्ली में पुलिस बल	३३८९–९०
२०८३	पंचायत न्यायालयों सम्बन्धी समिति	३३९०
२०८४	दिल्ली में विवाह-विच्छेद	३३९०–९१
२०८५	कच्छ में लिग्नाइट निक्षेपों का सर्वेक्षण	३३९१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०८६	कच्छ में पाकिस्तानी मुसलमानों का अवैध प्रवेश . .	३३६१
२०८७	गोरखपुर में देवदाह में खुदाइयां	३३६२
२०८८	सांची में स्मारक . .	३३६२
२०८६	उत्तर प्रदेश को लोहा	३३६२–६३
२०६०	सिंगरेनी कोयला खानें	३३६३
२०६१	निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र	३३६३
२०६२	पंजाब में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण	३३६४
२०६३	जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण .	३३६४
२०६४	भूमिहीन लोगों के लिये भूमि .	३३६४
२०६५	जीपों का आयात	३३६५
२०६६	इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें . .	३३६५
२०६७	मतदान की पुरानी पद्धति	३३६५–६६
२०६८	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापन-शुल्क . . .	३३६६
२०६६	कोयम्बटूर में काफी का पकड़ा जाना . . .	३३६६–६७
२१००	कछार ज़िले में प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज . . .	३३६७
२१०१	मद्रास की लोहे और इस्पात की आवश्यकतायें . . .	३३६७–६८
२१०२	पंजाब में कालिजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान . .	३३६८
२१०३	सेना इंजीनियरी सेवा	३३६८
२१०४	पंजाब में लोक सहायक सेवा शिविर . . .	३३६८–६६
२१०५	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति के लोग	३३६६
२१०६	भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को पारिश्रमिक .	३३६६
२१०७	मेहसाना ज़िला (गुजरात) में तेल का ड्रिलिंग . .	३४००
२१०८	१० मई को छुट्टी की घोषणा . .	३४००
२१०६	दिल्ली में पूर्व निर्मित स्कूल	३४००
२११०	जिला चांदा (महाराष्ट्र) में शास्ती कोयला खान . .	३४०१
२१११	कोयले का उत्पादन (मध्य प्रदेश) .	३४०१
२११२	कर से छूट	३४०१
२११३	विदेश जाने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा देना . .	३४०१–०२

विषय   पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२११४ आगरा विश्वविद्यालय के अधीन कालेज . . . ३४०२
२११५ पाकिस्तान को वापस भेजे गये पाकिस्तानी राष्ट्रजन . . ३४०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३४०५-०७

(१) श्री हेम बरुआ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती ज़िलों में २१ और २२ मई, १९६२ को कुछ चीनियों के कथित प्रवेश और फोटो लेने की ओर प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री एफ० एच० मोहसिन ने पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में दरभंगा एवियेशन के मालवाहक डकोटा विमान के गिरने की ओर जिसके फलस्वरूप उसमें बैठे हुए चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, परिवहन तथा संचार मन्त्री का ध्यान दिलाया।

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४०७--०९

(१) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११९० में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश १९६२ की एक प्रति।

(२) दिल्ली में अनिधिकृत रूप से बनाये गये मकानों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २८९ पर श्री हरिश्चन्द्र माथुर के अनुपूरक प्रश्नके २९ मार्च, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३११।

(ख) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३५२।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र---क्रमशः

(ग) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३८१।

(घ) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४२६।

(ङ) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७३।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ अप्रैल १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२४ की एक प्रति।

(५) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :---

(क) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५ में प्रकाशित बम्बई परिचर्या परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६२।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१७ में प्रकाशित धर्मार्थ धर्मस्वों के कोषाध्यक्ष बम्बई (पुनर्रचना) आदेश, १९६२।

(६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ मई, १९६२ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ६८४ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त पर लाने ले जाने पर एक) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३४०९

(२) शिक्षा मन्त्री (डा० का०ला० श्रीमाली) ने सस्ती अमरीकन पुस्तकों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२५ पर श्रीमती रेणुका राय के एक अनुपूरक प्रश्न के २० मार्च, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया।

(२) प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) ने पाकिस्तान द्वारा असम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पुनः खाईयों में घुस जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें ३४०९-५४

(१) शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई; तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—क्रमशः

(२) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २९ मई, १९६२/८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा ।
विधि मन्त्रालय तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।